सप्तदश माला, खंड 5, अंक 3 बुधवार, 20 नवम्बर, 2019

29 कार्तिक, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है । यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 3, बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 / 29 कार्तिक, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44	14- 45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

सभा पटल पर रखे गए पत्र 47

मंत्री द्वारा वक्तव्य 51

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति" पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संजय शामराव धोत्रे 51

कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन के प्रस्ताव के बारे में 52

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

विशेषाधिकार का प्रश्न 53

नियम 377 के अधीन मामले 93-113

(एक) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर तथा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की

आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 93-94

(दो) झारखंड के धनबाद जिले में सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 95

(तीन) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में 'कृषि मेला' आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि किशन 96

(चार) मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री छतर सिंह दरबार 97

(पांच) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पट्टा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 98

(छह) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान

किए जाने की आवश्यकता के बारे में

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 99

(सात) बी.पी.सी.एल. विनिवेश के बारे में

श्री हिबी ईडन 100

(आठ) जी.आर.ई.एफ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन 101

(नौ) तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर 102

(दस) पावर ग्रिड कॉर्पोरशन द्वारा एकत्र किए जा रहे एमवीए प्रभारों के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर 103

(ग्यारह) बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में

श्री राहुल रमेश शेवाले 104

(बारह) बिहार के गोपालगंज जिले में रेल संपर्क के बारे मे

डॉ. आलोक कुमार सुमन 105

(तेरह) राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल 106

(चौदह) राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को जनजातीय सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. जोशी 107

(पंद्रह) महाराष्ट्र में किसानों को राज्य में हुई बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों की हुई क्षति के कारण उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

डॉ. सुजय विखे पाटील 108

(सोलह) आर.सी.एस. उड़ान योजना के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे 109

(सत्रह) देश में केंद्रीय लोक सेवकों को प्रदत्त आवासीय तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 110

(अठारह) तपेदिक रोग से निपटने की आवश्यकता

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 111

(उन्नीस) औषधीय पौधों की स्वीकृत सूची में पुष्प जनक पौधे की एक प्रजाति ग्लोरियोसा सुपरबा को शामिल किए जाने के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति 112

(बीस) वक्फ संपत्तियों के बारे में

श्री के. नवसकनी 113

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 114-189

श्री जसबीर सिंह गिल 114-115

डॉ. सुभाष सरकार 116-118

श्री हनुमान बेनीवाल 118-122

श्री पी.आर. नटराजन 122-123

श्री भगवंत मान 124-126

कुमारी प्रतिमा भौमिक	127-129
श्री कौशलेन्द्र कुमार	130
प्रो. सौगत राय	131-133
श्री अनुराग शर्मा	134-134
श्रीमती मीनाक्षी लेखी	135-141
डॉ. ढालसिंह बिसेन	142-145
श्री एम. सेल्वराज	146
एडवोकेट अजय भट्ट	147-150
श्री पी.पी. चौधरी	151-153
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर	154-155
डॉ. अमर सिंह	155-156
श्री अधीर रंजन चौधरी	158-161
श्री मलूक नागर	162-163
श्री राजीव प्रताप रूडी	164-169
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	170-181

खंड 2 से 9 और 1 182-196

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 196

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 / 29 कार्तिक, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 41- श्री गोपाल शेट्टी जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम एक विषय उठाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह विषय बड़ा गंभीर है। हम यह मुद्दा उठाना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शून्य काल में लॉटरी में आपका नाम खुला है, उस समय आपको मौका मिलेगा। यह आपका अधिकार है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस भी दिया है, इसके मद्देनजर आप मौका दीजिएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको मौका देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका जो प्रिविलेज है, उसके लिए मैं आपको प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दे रहा हूं। ठीक है? सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 41- श्री गोपाल शेट्टी जी।

(प्रश्न संख्या 41)

श्री गोपाल शेट्टी: माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विपक्षी नेताओं को, जिन्होंने आज शांति बनाए रखी है। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर आज चर्चा होने वाली है। मैं डिफेंस के जो तीनों अंग हैं, उनका मैं ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं। हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने का ये काम करते हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत बार इनके बारे में बोला भी है। इतना ही नहीं, यह देश के पहले प्रधान मंत्री हैं जो हर दीपावली में इनके परिवार वालों के साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। मैं अपना मुद्दा उठाते हुए यहां पर श्री नितिन गडकरी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने चार दिन पहले अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि डिफेंस के अधिकारी एक फाइल पर निर्णय लेने में आठ-आठ साल लगाते हैं। इस बात को मैं इस विषय के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है, उसको आठ साल पूरे हो गए हैं और वह नौवें साल में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2011 में मुंबई में आदर्श सोसायटी बिल्डिंग का जो मसला निकला, उसके बाद में एक सर्कुलर निकालकर पूरे देश के सारे कन्स्ट्रक्शन्स को बंद करने का काम किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, नए काम को तो नहीं, लेकिन जो इनका सर्कुलर निकला हुआ है, उसमें रिपेयरिंग करने के लिए भी रोका गया है। इसे अब आठ-नौ साल हो गए हैं। मैंने स्वयं प्राइवेट मेंबर्स बिल के

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माध्यम से यहां पर दो बार चर्चा की। फ्लोर ऑफ द हाउस, एम. ओ.एस., भामरे साहब ने उसका उत्तर दिया कि हम इस सर्कुलर को विड्रा कर रहे हैं। मैं पर्रीकर जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने पांच साल के बाद सकुर्लर निकालकर उसको रेक्टिफाई कर दिया और सभी लोगों को परमिशन देने की बात कही। एक टैक्निकल लूप-होल उसमें यह रह गया कि नेवी के जितने स्टेशन थे, उनका उल्लेख न करने की वजह से नेवी के लोगों ने फिर से पूरा का पूरा काम बन्द कर दिया। देश के प्रधान मंत्री जी यह कहते हैं कि देश के सभी लोगों को वर्ष 2022 तक हमें घर देना है। मैं मानता हूं कि देश के जितने भी अंग हैं, व्यवस्थाएं और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सभी लोगों को प्रधान मंत्री जी के निर्देशों पर चलना चाहिए। उसके बावजूद जिनके स्वयं के घर थे और वे टूट गए, उनकी रिपेयरिंग की परमिशन को रोका गया है। कई लोगों की तो अधिक उम्र होने के कारण मृत्यु भी हो गई, लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिली है। आज जो उत्तर आया है, उसमें यह कहा गया है कि हम इसके बारे में मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आठ साल हो गए हैं। अभी मॉनीटरिंग करने में और कितने साल लगेंगे?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य जी, कृपया संक्षेप में बोलें। कोशिश कीजिए कि प्रश्न काल में संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री जी संक्षेप में उसका जवाब दें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें वह कह रहे हैं कि आठ साल हो गए, लेकिन यह मुद्दा वर्ष 2016 का मुद्दा है। जब वर्ष 2016 का नोटिफिकेशन आया, उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसके इम्प्लिमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सेक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस पर थोड़ी स्टडी चल रही है। हमारी सभी फोर्सों से हमने उनकी राय मंगवाई हैं, जिस पर हमारी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आठ-दस मीटिंग्स हुई हैं। हमारी कोशिश है कि इस काम को फास्ट तरीके से किया जाए। मुझे लगता है कि हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान दे देंगे।

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा और फिर एक बार देश के प्रधान मंत्री जी को याद कराना चाहूंगा, वे यहां बैठे भी हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि “एक देश, एक कानून”। जब

हम “एक देश, एक कानून” को लेकर आगे चल रहे हैं। आर्मी के लोग परमिशन दे रहे हैं, एयरफोर्स के लोग परमिशन दे रहे हैं, लेकिन नेवी के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी का आदेश और निर्देश है कि एक देश में एक कानून, तो क्या आप उसको तुरंत इस लोक सभा का सत्र समाप्त होने के पहले अमल में लाने का प्रयास करेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के अलग-अलग मायने होते हैं। नेवी के बारे में जो माननीय सांसद बोल रहे हैं, मैं उनको एश्योर करता हूं कि यह मसला भी आखिरी एंड पर है और उसके बारे में सारी चर्चा हो गयी है और जैसा कि मैंने कहा है, नेवी ने कहा है कि जो वर्ष 2011 की गाइडलाइंस हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो, इसके लिए जो कुछ भी करना है, मंत्रालय चाहता है कि उसको लेकर हम आगे बढ़ें। इसलिए इस मुद्दे का निवारण हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मुद्दे को पूर्व राज्य रक्षा मंत्री के समक्ष भी उठाया था। अब हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, तो मैं उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न हो रही है, जहाँ एक सैन्य शिविर स्थित है। यह एक अत्यंत शांतिपूर्ण क्षेत्र है और 1799 के बाद से यहां कोई युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्पष्ट है कि जिन लोगों के घर शिविर से 10 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उन्हें अपने मकानों के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि किसी दिन कोई मकान अचानक ढह जाए और राहगीरों पर गिरे, तो इससे एक बड़ी त्रासदी उत्पन्न हो सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से संज्ञान में लेकर समाधान प्रदान करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया इन मामलों के बारे में एक त्वरित सूची जारी करें, कम से कम, उन क्षेत्रों को छूट दें जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में नहीं हैं ताकि आम नागरिक सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकें, अपने घरों की मरम्मत कर सकें और साथ ही आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर

सकें। हमें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जहाँ एक सामान्य नियम लागू कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में मामले, और भी अधिक विलंब और बड़े पैमाने पर निलंबन हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसका परिणाम यह है कि अनेक निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वास्तव में अपने घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का अवसर नहीं मिल रहा है।

माननीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में एक लचीला और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। लोगों को अपने सामान्य कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से, अत्यधिक संवेदनशील और उच्च-सुरक्षा वाले क्षेत्रों में अधिक समय और सावधानी की आवश्यकता को हम समझते हैं। लेकिन यह मुद्दा तीन वर्षों से लंबित है और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो कई लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यथोचित उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक एनओसी लेकर रिपेयर करने पर कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी मसले हैं, चूंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और इसीलिए हमने दो-तीन बार गाइडलाइंस चेंज की हैं। आपने जो भी मुद्दा उठाया है, आप एनओसी लेकर रिपेयर कर सकते हैं और एक मुद्दा जो सभी का है कि रिपेयर हो या नयी कंस्ट्रक्शन हो, वह अभी फाइनल स्टेज पर है और जैसा मैंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी उसका निबटारा कर देंगे।

श्री अरविंद सावंत : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र गोपाल शेट्टी जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि मुम्बई में कोलाबा में नेवी नगर है, जो नेवी की कालोनी है, उसके साथ लगते हुए झुग्गी-झोपड़ियां हैं। कफ परेड पर भी झुग्गी-झौंपड़ियां हैं। महाडा ने एक सात मंजिला बिल्डिंग बनायी, उसकी तीन मंजिलें आज तक खाली रखी हुई हैं क्योंकि नेवी ने ऑब्जेक्शन किया था। सड़क के दूसरी तरफ चालीस-चालीस मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। लेकिन सात मंजिल की बिल्डिंग को मना कर

रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना लेकर आए हैं, ऐसे में वहां की झुग्गी-झौपड़ियों के लिए अगर घर बनाना है तो वहां बना नहीं सकते हैं क्योंकि नेवी परमिशन नहीं देती है। इसलिए इस विषय पर आप यह मत कहिए कि देख रहे हैं, आपको इसको करना ही होगा। आपने एक कानून की बात की है, लेकिन नेवी बहुत ऑबजेक्शन करती रहती है। चालीस-चालीस मंजिल की बिल्डिंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हैं और आप सड़क के इस तरफ की बिल्डिंग को परमिशन नहीं देते हैं। राज्य सरकार ने वहां बिल्डिंग बनाकर रखी है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी घर बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पर कितने समय में निर्णय ले लेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, उन पर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस विषय का सॉल्यूशन निकालेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय सेना की 342 एस्टैब्लिशमेंट्स की इन्होंने पहचान कर ली है। लेकिन वायुसेना और नौसेना की किसी स्थापना का और सेना के अन्य स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई है। जब 21 अक्टूबर, 2016 को यह परिपत्र जारी हो गया और भारतीय सेना उसको कर रही है तो नेवी और एयरफोर्स ने इस तरह के उन प्रतिष्ठानों की सन् 2016 से ले कर अब तक कोई भी पहचान क्यों नहीं की है? कब तक इसको समय-सीमा में पहचान कर लिया जाएगा? इस बारे में बार-बार मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पर काम करेंगे तथा इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। यह परिपत्र 21 अक्टूबर, 2016 को जारी हुआ था। उसके बाद भारतीय सेना ने 342 एस्टैब्लिशमेंट्स रेनोवेट करने के लिए या बनाने के लिए पहचान कर ली है। इसी तरह से शेट्टी साहब या हमारे अन्य सदस्य जो नेवी या एयरफोर्स की बात उठा रहे हैं, उनके संबंध में यह कब तक समय-सीमा में पहचान कर ली जाएगी और उसके बाद इस पर कब तक कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): अध्यक्ष जी, माननीय राजनाथ जी विदेश यात्रा पर हैं और एमओएस जवाब दे रहे हैं। मगर फिर भी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, मेरे पास सूचना है कि माननीय राजनाथ जी के स्थान पर आपको उत्तर देना है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। सर, चूंकि पिछले टेन्योर में रक्षा मंत्रालय को मैंने संभाला है, इसलिए मैं थोड़े फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत ही सेन्सिटिव मामला है। चूंकि हमारी सरकार विकास के लिए कमिटिड है, अर्बन हाऊसिंग के लिए भी कमिटिड है, इस विषय पर बहुत सारा अध्ययन मंत्रालय में हुआ है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ कि यह नहीं है कि कुछ भी परमिशन नहीं दी गयी है। परमिशन दी गई है। मैं उसके लिए पहले एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि सन् 2011 से पहले जितनी भी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कन्सट्रक्टिड थीं, उनमें कुछ रिपेयर वगैरह हो रही हैं। यह नई पॉलिसी के अन्दर नहीं आता है। वे पहले से ही वहां मौजूद हैं और वे उन इमारतों की मरम्मत कर सकते हैं जिनका निर्माण वर्ष 2011 से पहले किया गया है। अगर हमारे मन में यह लगता है कि सन् 2017 के बाद कुछ भी परमिशन नहीं मिली, यह भी सच नहीं है। सन् 2017 के बाद मुंबई में टोटल प्रपोज़ल रिसीव्ड – 22, उसमें भी अंडर एग्ज़ामिनेशन एक है। सिक्योरिटी के कारण अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन नहीं दी गई, तो वह बात अलग है, मगर सात को परमिशन दी गई है। उस सात की लिस्ट भी मेरे हाथ में है। तो ऐसा नहीं है जैसे बोला गया कि पॉलिसी बनाते-बनाते इतने साल हो गए, मगर बीच में हम रुक गए हैं और रुकावट की वजह से हम दु:ख में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें मंजूरी मिल रही है। मगर जहां हाई-सिक्योरिटी का मामला आता है तो उसके कंसीड्रेशन में, अध्ययन में और इंसपेक्शन में समय हाँ, खर्च किया जा रहा है। इसलिए, मैं सराहना करूंगी कि यदि सभा कृपया इस बात को ध्यान में रख सके कि संसद के सदस्य मिल सकते हैं। मैंने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कम से कम छह बैठकें की हैं और यह सब अब अंतिम रूप देने के चरण के करीब है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए,

क्योंकि इसमें सिटी लिमिट के अंदर सेंसिटिव एरियाज़ हैं। [अनुवाद] जैसा कि माननीय सदस्य सावंत जी ने कोलाबा या उस जैसे क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए थे। क्या हम मुंबई हमले में हुई घटनाओं को याद नहीं कर सकते? ये वही स्थान हैं जो अत्यधिक असुरक्षित हैं और जहाँ हमलों का खतरा बना रहता है। [हिन्दी] इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस विषय में सेना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्टेंस चर्चा के तहत कुछ अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, जिससे ऑक्युपेंट्स को दिक्कत न हो, उसी समय एकदम उधर से सबको खाली कर के देश की सुरक्षा को खतरे में न डालें। इसीलिए मैं मानती हूँ, मैं लिस्ट के साथ बोल रही हूँ, परंतु परमिशन जहां दे सकते हैं, बिना संकोच के वहां वे देते आ रहे हैं। मगर जहां पॉलिसी का इंतजार करना है, थोड़ा सब्र रखें, पॉलिसी आएगी।

श्री राहुल रमेश शेवाले : अध्यक्ष महोदय, 21 अक्टूबर, 2016 को सर्कुलर निकलने के बाद हमें लगा कि मुम्बई के सभी लोगों को राहत मिलेगी और मुझे खुद को लगा कि राहत मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का घर नेवी के एस्टेब्लिशमेंट के बाजू में होने की वजह से इस सर्कुलर की वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा था, ऐसा मुझे लगता था। जैसे मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताते हुए मुझे खुद का घर रिपेयर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मेरे पिताजी नेवी में ऑफिसर थे, अब वे रिटायर हो गए। मेरे पिताजी नेवी में और मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेरे खुद के घर को रिपेयर करने की परमिशन नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है, वे जो ऑफिसर्स हैं, हर बार अलग-अलग डेफिनेशन बताते हैं। जैसे अरविंद सावंत जी ने बताया कि जो नेवल कालोनी के बाजू में एक बिल्डिंग सेवन फ्लोर की है और दूसरी बिल्डिंग 40 फ्लोर की है, सभी को न्याय मिलना चाहिए। उस राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण, जो डेफिनेशन बनाई जाती है, एक्चुअली सिविलियन्स और सर्विस पर्सन्स की लड़ाई है। हम डिफेंस के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में हम आने वाले भी नहीं हैं और उसको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो अधिकारी बैठते हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन अलग बताते हुए, एक अलग कानून बताते

हुए यह डेवलपमेंट रुकवा रहे हैं। मुम्बई के सभी नागरिक डिलेपिडेटेड कंडीशन में हैं। मुम्बई में इमारत गिर सकती है, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से राहत मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस सर्कुलर के माध्यम से राहत नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन के बारे में जरा विचार कीजिए। धन्यवाद।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मैं इस विषय में माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाह रही हूं। एक बिल्डिंग की हाइट, मान लीजिए 10 मंजिल की है, वह बिल्डिंग लिमिट के अंदर है। उसकी शेडो मतलब उसके पीछे के शेडो के एरिया में जो आ रहे हैं, उस मंजिल तक या उससे कम तक परमिशन जरूर मिलेगी। अगर उससे ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। मगर वह सर्कल जितने रेडियस के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है, उस हाइट तक बनाने में कोई ऐतराज नहीं है। मगर उससे ज्यादा बनाना है तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। वह एक विषय है। दूसरा, अगर उधर फ्लाइट लाइन में बिल्डिंग आती है, फ्लाइट लाइन के मुताबिक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि इस हाइट तक ही आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट आने में, उतरने में और चढ़ने में दिक्कत न हो। यह थोड़ा डिटेल में पढ़ने में समझ में आएगा। कारण बिना और सताने के लिए तथा माननीय सदस्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिस पर मैं आपत्ति बोलना चाह रही हूं, कुछ झगड़ा नहीं है। हम सब को भी देश के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देर हो रही है, मैं मान रही हूं, मगर यह नहीं है कि सिविल, जनता, आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री का आपस में झगड़ा है। झगड़ा कुछ नहीं है। मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मगर समय लग रहा है, मैं मान रही हूं, समय लग रहा है। मगर प्लीज नो कॉनफ्लिक्ट्स। थैंक यू।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: नमस्ते, अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न यह है। [अनुवाद] संशोधित एन.ओ.सी. दिशा-निर्देश कब तक सामने आएंगे और कौन से दिशानिर्देश संशोधित किए जा रहे हैं? धन्यावाद।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आंसर में कहा है, प्रोसेस आखिरी एंड पर है। हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे।

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के संदर्भ में जो सारे प्रश्न उठाए गए, जो मिनिस्टर साहब ने कहा, वह भी हमें मंजूर हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जहां पर नेवल रेजिडेंस कालोनी है, उसके अगल-बगल के एरिया के मकानों को परमिशन नहीं देती है। जहां पर ऑर्डिनेंस डिपो है या सुरक्षा के अन्य इश्यूज हैं, वह हमारी समझ में आता है। लेकिन जहां पर उनका रेजिडेंस है, उसके अगल-बगल के मकानों के डेवलपमेंट में या झुग्गी-बस्तियों के डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सरकार के मापदण्डों के द्वारा जो सिक्योरिटी के इश्यूज तय किए हैं, यह हमें मान्य हैं। लेकिन राइफल रेंज है या नेवल रेजिडेंस कालोनी है, उसके अगल-बगल के लोगों को न अटकाया जाए। ऐसी हमारी विनती है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, हम इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सेना के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग समझदारी से करें, यह सरकार की भी इच्छा है और पूरे देश में इसके बारे में एकरूपता है। जो मेरा राज्य झारखंड है, वहां इस सर्कुलर के बाद एक अलग तरह की समस्या है। सेना का रांची में जो एस्टैब्लिशमेंट था, पहले वह शहर के बाहर था, लेकिन अब वह शहर के बीच में आ गया है, क्योंकि रांची शहर राज्य की राजधानी बनने के बाद काफी बढ़ गया है। जो सेना की समस्या है, वह जमीन लीज पर थी, उस लीज का इन्होंने रिन्यूअल नहीं किया। इल्लीगल तरीके से सेना रांची में रहती है। पिछले 25 साल से उनका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है। हमने रांची में एक एयरपोर्ट बनाया और रांची एयरपोर्ट के रास्ते को जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, यह कहा गया कि उसमें 8-8 साल नहीं लगते हैं, मैं खुद

ही ढ़ाई साल तक पूरी सरकार के, पूरे एस्टैब्लिशमेंट के दिल्ली में चक्कर काटता रहा और किसी तरह से ढ़ाई साल के बाद हमको रास्ता दिया गया। वह सेना की खाली लैंड है और केवल हमें 60 मीटर की रोड चाहिए थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, रांची जैसी जो समस्या है, आपका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, इस सर्कुलर के बाद भी जो इस तरह की समस्या होती है, क्या उसके बारे में किसी तरह की कोई कमेटी बनेगी या इस तरह की समस्याओं से आम आदमी को निजात मिलेगी?

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों में से कोई एक ही प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, जो ऐसे पब्लिक हित या सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उन्हें निश्चित तौर पर प्राथमिकता देंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, हमारे हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में एक कैंटोनमेंट भी है। जैसे दिया तले अंधकार होता है, वैसे ही दिल्ली कैंटोनमेंट की जो विसिनिटी है, जिसकी बात अभी हो रही है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की विसिनिटी की जो सुविधा है, उसमें कई गाँव हैं, जहाँ बिजली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान की राजधानी और राजधानी के अंदर एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, उनके एरिया में एक गाँव हैं, जहाँ आजादी के बाद आज तक कोई बिजली नहीं है। लोग वहां बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। आप इस बारे में सोच सकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आप बाद में इस पर बोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आप इस मुद्दे को निपटाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे? आप थोड़ा इस बारे में सदन के सामने बता दीजिएगा।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदय, यह हमारा कर्तव्य है और हम निश्चित तौर से इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे।

श्री तापिर गाव : ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी एंड पब्लिक रिलेशन्स अरुणाचल प्रदेश के वासी निभाते हैं। हर साल मैत्री दिवस, आर्मी एंड पब्लिक का एक फेस्टिवल हुआ करता है। उसको 11 साल हो गए हैं। आफ्टर 1962 वार, इंडियन आर्मी 1963 से, 1964 से जैसे-जैसे अरुणाचल प्रदेश में आई, उस समय वह नेफा था, नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जितनी आर्मी आई, पब्लिक ने उसका स्वागत किया और सारी इनहैबिटेबल जमीन को पब्लिक ने आर्मी को दे दिया। आज तक उसका न सर्वे हुआ, न कंपन्सैशन हुआ, जैसे वालोंग हो, मेसुका हो, एलोंग हो, हर जगह पर, आज तक पब्लिक को न वहां कल्टिवेशन करने का मौका मिला। पूरी आर्मी एक्सटेंड करती जा रही है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैडम जब डिफेंस मिनिस्टर थीं, तब मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और आज के डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है। अरुणाचल की पब्लिक ने जैसा आर्मी का स्वागत करके उसे रखा है, उनको कल्टिवेबल लैंड दी हैं, इसके कंपन्सैशन के लिए, ऑफिशियली लीगली एक्वायर करने के लिए मीज़रमेंट अरुणाचल वासियों के लिए आप कब करवाएंगे?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, इसका जवाब मैं देना चाहती हूं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जाकर, ऑनरेबल मुख्य मंत्री जी के समक्ष अरुणाचल प्रदेश में लैंड एक्वीजीशन और उसके कम्पेनसेशन के विषय में मैंने उनसे चर्चा की। जैसा कि हमारे मेम्बर-ऑफ-पार्लियामेंट को इसकी जानकारी है, कम्पेनसेशन के बहुत सारे विषय सॉर्ट-आउट हुए हैं, तब भी मैं मानती हूं कि आज भी कम्पेनसेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर मंत्रालय डेफिनिटली उसे कंसीड्रेशन में लेकर उसके ऊपर विचार कर रहा है। मुझे जानकारी है कि उसका फैसला तुरन्त करने में मंत्रालय सक्षम है और वह इसे कर रहे हैं। [अनुवाद] लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि मैं वहां गई थी, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कई मुआवजे का भुगतान किया था, जो कई मामलों में बेहद सहयोगी रहे हैं। मैं सशस्त्र बलों के साथ उनके सहयोग को स्वीकार करती हूं। लेकिन मैंने उनमें से कई को हटा दिया था। जो एकाध बचे हैं, उनके ऊपर मंत्रालय काम कर रहा है।

(प्रश्न संख्या 42)

श्री एस. ज्ञानतिरावियम[*] : महोदय, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा वर्ष 2013 से उत्पन्न परमाणु ईंधन अपशिष्ट की कुल मात्रा क्या है?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया है? मैं विवरण चाहता हूं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंताओं की सराहना करता हूं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा विभाग के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में से एक है और यह तमिलनाडु के लिए भी गौरव का प्रतीक है। वास्तव में, यह चिंता उस समय उत्पन्न हुई जब मीडिया के कुछ वर्गों में रिएक्टर में अपशिष्ट ईंधन के संग्रहण तथा उसके उपरांत रिएक्टर से दूर रखने की प्रक्रिया से संबंधित कुछ रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। लेकिन वास्तव में, जिन्हें इस संबंध में रिपोर्ट करने का प्रयास किया गया था, वे यह नहीं समझ पाए कि कुडनकुलम सोवियत संघ के साथ 1988 में तत्कालीन सरकार द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न एक समझौते का परिणाम है। परंतु दस वर्ष बाद, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, 1998 में तत्कालीन सरकार द्वारा इस समझौते को पुनः नवीनीकृत किया गया, जो उचित ही था। 1988 में संपन्न समझौते के अनुसार, अपशिष्ट ईंधन को सोवियत संघ में ले जाया जाना था। यह दोनों राष्ट्रों के मध्य एक आपसी समझौता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, 1998 में रूस सरकार के साथ एक नया समझौता किया गया। उस समझौते के अनुसार, अपशिष्ट ईंधन को भारत के भीतर ही संग्रहित किया जाना था। अन्यथा, संभवतः तारापुर की तरह, हमारे पास पहले से ही एक अंतर्निर्मित भंडारण सुविधा होती, जैसा कि वर्तमान में कई प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है। इसलिए, किसी भी प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत और अत्यंत सुरक्षित तंत्र है। प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए, संभवतः पांच से सात वर्षों तक, रिएक्टर के भीतर ही भंडारण किया जाता है। इसके बाद — चूंकि रिएक्टर को अपशिष्ट से भरने की अनुमति नहीं दी जा

---
[*] मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सकती क्योंकि इससे उसकी कार्यप्रणाली रुक जाएगी — इस ईंधन अपशिष्ट को स्थानांतरित किया जाता है। हम इसे अपशिष्ट नहीं कहते क्योंकि इसका पुनः उपयोग भी किया जाता है। इसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो रिएक्टर से कुछ दूरी पर होता है और परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों की शब्दावली के अनुसार इसे "रिएक्टर से दूर" भंडारण कहा जाता है, जहाँ इसे लगभग 40 वर्षों तक सुरक्षित रूप से गहराई में पृथ्वी के भीतर रखा जाता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे 'बंद ईंधन प्रक्रिया' कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत अग्रणी रहा है। हम अब इस अपशिष्ट ईंधन का पुनः उपयोग के लिए प्रसंस्करण भी कर रहे हैं। अतः इस संदर्भ में व्यक्त की गई आशंकाएं पूर्णतः निराधार हैं। संभवतः, हम सभी को मिलकर आम जनता के बीच उन संभावित आशंकाओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए जो उठाई गई हैं। धन्यवाद, महोदय।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री एस. ज्ञानतिरावियम* : मैं यह पूछ रहा हूं कि भंडारण की व्यवस्था कहां की जा रही है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनके बारे में हमें सदन में खुलेआम चर्चा नहीं करनी चाहिए। सदन में हर सदस्य का अधिकार है और इसके लिए सदन में चर्चा होती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह एक संवेदनशील प्रश्न है। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: बालू जी, मैं आपको हमेशा परमिशन देता हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, उन्हें दूसरा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी पूरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में आपको सब जानने का अधिकार है, इसलिए यह संसद बनी है, लेकिन जब देश का सवाल हो, तो कम से कम हमें उसके बारे में यहां सोचना चाहिए।

---

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप सभी बैठिए। अभी सेकेंड सप्लिमेन्टरी है। मैं इनको टोक नहीं रहा था। मैं अगले वालों के लिए कह रहा था। मैंने उनको आग्रह करके बुलाया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह सप्लिमेन्टरी नहीं पूछना चाहते थे, तो भी मैंने उनसे आग्रह किया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका सवाल नहीं है। आप बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जिसको मैं अलाऊ न करूं, कोई भी माननीय सदस्य सदन में न उठे। मैं पुन: आग्रह करना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. ज्ञानतिरावियम : भंडारण के लिए सरकार ने कौन से स्थानों को चिन्हित किया है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को गंभीरता से लिया गया है और हमें माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वे उसी क्षेत्र से हैं और वहां के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया, यह दो समझौतों की विरासत का हिस्सा है, जो उस समय की सरकार द्वारा क्रमशः 1988 और 1998 में विधिवत रूप से संपन्न किए गए थे। अब भंडारण से संबंधित यह मुद्दा इस कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि उस रिएक्टर में अंतर्निहित भंडारण क्षमता 2022 तक पूर्ण हो जाएगी। अतः, हमें उससे पूर्व रिएक्टर से दूर भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस

प्रक्रिया को 'रिएक्टर से दूर' भंडारण कहा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी संकेत दिया गया है कि सुरक्षा कारणों से सटीक स्थान का उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से रिएक्टर से एक उचित दूरी पर स्थित है। जब रिएक्टर भर जाता है और फिर इसे पृथ्वी की सतह से लगभग 15 मीटर नीचे लगभग 40 वर्षों तक संग्रहीत किया जाता है और फिर इसे पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

माननीय सदस्य की एक और संभावित चिंता यह हो सकती है कि यह स्थान पूरे भारत के अपशिष्ट ईंधन के लिए एक डंपिंग साइट बन जाएगा। मैं इस अवसर का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए करना चाहता हूं कि ऐसा निश्चित रूप से नहीं होगा। कृपया इस बारे में आश्वस्त रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक ईंधन-विशिष्ट प्रक्रिया होगी। अतः यदि कोई ईंधन, जैसे कि तारापुर या राजस्थान से लाया जाता है, तो वह स्वचालित रूप से अस्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्निहित तंत्र स्थापित किया जा रहा है, वह इसी प्रकार का है। अतः हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि यह ईंधन पुनः उसी रिएक्टर में उपयोग किया जाएगा जो रूस के सहयोग से संचालित हो रहा है।

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस सभा को कुडनकोलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए साइबर सुरक्षा हमले का विस्तृत विवरण प्रदान करें। क्या यह तथ्य है कि सुरक्षा एजेंसी, एन.पी.सी.आई.एल., ने प्रारंभ में इस हमले से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसे स्वीकार किया? इसलिए, यह सरकार भविष्य के हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और इस वर्तमान हमले का स्रोत क्या है जो मीडिया रिपोर्ट्स का आरोप है कि यह उत्तरी कोरिया से संबंधित है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि हम अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी विदेशी हमलों से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज़ है और निश्चित रूप से, यह पूरे सदन की सर्वसम्मत चिंता होनी चाहिए। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, जैसा कि उन्होंने कहा है, विभाग द्वारा कुछ स्पष्टीकरण, आंशिक रूप से स्वीकारोक्ति तब दिए गए जब उन्हें एहसास हुआ कि

वास्तव में क्या हुआ था। फिर भी, मेरा यह मानना है कि हम सभी के लिए अत्यंत राहत की बात यह है कि यदि इस प्रकार की कोई त्रुटि या दोष हुआ भी है, तो वह केवल प्रशासनिक ब्लॉक के इंटरनेट सर्किट तक सीमित है, न कि सीधे परमाणु संयंत्र के परिसर या उसके नियंत्रण सर्किट में। किसी न किसी कारणवश, संभवतः समझ की कमी या समय पर उचित जानकारी न दिए जाने के कारण इसे मीडिया में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। हालांकि, एक प्रभावी प्रणाली स्थापित है जो परमाणु संयंत्र की इंटरनेट और कनेक्टिविटी को प्रशासनिक ब्लॉक से पूरी तरह अलग रखती है। कुछ नए सुरक्षा तंत्र स्थापित किए गए हैं, जैसे कि कठोर इंटरनेट सुरक्षा, प्रतिबंधित वेबसाइटें आदि, जिसके कारण इंटरनेट पूरी तरह से असंपृक्त और अभिगम से बाहर है। जैसा कि माननीय सदस्य ने यथोचित कहा, तथा बाद में विभाग द्वारा भी स्पष्ट किया गया, जो घटना हुई वह केवल प्रशासनिक कार्यालय तक सीमित थी और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है। अन्यथा, हमारे पास प्रारंभ से ही एक अत्यंत सुरक्षित, विश्वसनीय और आत्मविश्वासपूर्ण तंत्र है जो हमारी साइबर सुरक्षा में किसी भी प्रकार की उल्लंघन को रोकने में सक्षम है। मेरा मानना है कि यह तंत्र कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। हमारे पास त्वरित कार्रवाई बल भी मौजूद है। अलार्म तुरंत सक्रिय हो जाता है और सामान्यतः परमाणु संयंत्र के इंटरनेट सर्किट तक पहुंचना संभव नहीं है।

डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन : महोदय, मैं इस प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी के उत्तर को शब्दशः उद्धृत करना चाहूंगी। इसमें कहा गया है :

> “देश में रेडियोधर्मी अपशिष्ट के पृथक्करण, विभाजन एवं दहन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का विकास निरंतर किया जा रहा है, जिससे अपशिष्ट की मात्रा में और भी उल्लेखनीय कमी आएगी।”

क्या इसका अर्थ यह है कि यह अभी भी प्रारंभिक चरण में है? मैं अब दूसरी पंक्ति उद्धृत करूंगी।

“रेडियोधर्मी अपशिष्ट की अल्प मात्रा को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में गहन भूवैज्ञानिक भंडार की आवश्यकता नहीं है।”

मेरा मानना है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर भंडारण की आवश्यकता का निर्णय करना उचित नहीं है। एक परमाणु रिएक्टर डैमोकल्स की तलवार की भांति ही है जो आसन्न खतरे का अंदेशा है। हमने भोपाल जैसी विनाशकारी घटनाओं से सबक लिया है, जो हमें इस विषय पर और भी अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। अतः रेडियोधर्मी अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए एक दोहरी सुरक्षा युक्त भंडारण स्थल की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, अपशिष्ट की मात्रा को एकमात्र मानदंड न मानते हुए गहन भूवैज्ञानिक भंडार के निर्माण के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक ठोस और संतोषजनक उत्तर देने का आग्रह करती हूं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुश हूं कि माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया है। मुझे लगता है कि इसे सदन के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे एक संतोषजनक उत्तर देना चाहिए, मुझे आशा है कि मैं न केवल उन्हें बल्कि अन्य सदस्यों को भी अपने जवाब से संतुष्ट कर पाऊँगा। यहां मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य जिस विकिरण का उल्लेख कर रहे हैं, वह घातक या विषाक्त मानदंड में नहीं आता। आज दुनिया के कुछ देशों में, उदाहरण के लिए, फ्रांस में, उनके पास आवासीय कॉलोनियों में परमाणु संयंत्र हैं। सुरक्षा तंत्र बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं और जब यह मुद्दा कुछ साल पहले सभा में आया था, तो मैंने यह पता लगाने के लिए एक छोटा सा शोध किया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कितने वैज्ञानिकों की वास्तव में विकिरण से मृत्यु हो गई थी या विकिरण के कारण बीमार पड़ गए थे। मैंने मृत्यु सूची का अध्ययन किया और पाया कि मुश्किल से तीन या चार असामयिक मौतें हुई हैं, जिनमें से दो मौतें कैंसर के कारण हुईं, जो विकिरण से संबंधित नहीं थीं।

दूसरे शब्दों में, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह है कि सबसे पहले, हम सभी का यह दायित्व है कि हम एक जन जागरूकता अभियान शुरू करें कि परमाणु संयंत्रों से स्वास्थ्य के लिए कोई विकिरण जोखिम नहीं है क्योंकि तंत्र सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। अन्यथा, जहाँ भी हम नया संयंत्र शुरू करते हैं या संभावित निर्माण स्थल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, वहां जन जागरूकता की कमी

के कारण कुछ प्रकार की आशंकाएँ और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया। हमने इसका सामना राजस्थान और पूर्वोत्तर के मेघालय में किया।

बंद ईंधन प्रसंस्करण के संबंध में, जैसा कि आप कह रहे हैं, संग्रहण को पृथ्वी की सतह से लगभग 15 मीटर नीचे गहराई में किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कई वर्षों के प्रयोग और परीक्षण के बाद विश्वसनीय पाया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ सबसे कठोर निगरानी विधियों का पालन कर रहे हैं। संयंत्र की योजना बनाते समय ही, यहां तक कि संयंत्र के निर्माण से पहले भी, गहन जांच की जाती है। निर्माण के दौरान हर तीन महीने में निरीक्षण किया जाता है। निर्माण के बाद भी, हर छह महीने में निरीक्षण किया जाता है। तीन साल बाद समीक्षा होती है। फिर, पांच साल बाद, हमारे पास बाहरी स्रोतों से इसकी समीक्षा करने के लिए एक तंत्र है। हमारे पास परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है। इसके अतिरिक्त, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा भी निगरानी और जांच के लिए अनुमत करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक सदस्य है। इसलिए, मेरा मानना है कि यह एक समय-परीक्षित प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है।

दूसरी बात, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह आशंका क्यों उत्पन्न होती है। मैं माननीय सदस्य की सराहना करता हूं। उन्होंने विदेश में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, जैसे कि फुकुशिमा आदि। वे संयंत्र उन स्थानों पर स्थित थे जो भूकंपीय क्षेत्र/सुनामी क्षेत्र के निकट थे, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक समुदाय के पास पर्याप्त अनुभव का अभाव था। जबकि, हमारे मामले में, उदाहरण के लिए, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूकंपीय क्षेत्र/सुनामी क्षेत्र इंडोनेशिया में है जो इससे लगभग 1,300 किलोमीटर दूर है। …(*व्यवधान*) दूसरी ओर, अन्य पौधों के लिए जो पश्चिमी तट में स्थित हैं जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आदि, निकटतम बिंदु पाकिस्तान में है जो फिर से लगभग 1,000 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसलिए, मुझे लगता है, उस आशंका को भी वैज्ञानिक मापदंडों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

इसलिए, मेरा मानना है कि हमें आश्वस्त रहना चाहिए। साथ ही, हम सभी को मिलकर जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इन विस्तार योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा

सकें। अब हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर भारत तक विस्तार दिया है। दिल्ली के निकट हरियाणा में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अतः मेरा मानना है कि इस विस्तार अभियान में जन जागरूकता एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी।

(प्रश्न संख्या 43)

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली : अध्यक्ष महोदय, इस देश की गरीब जनता जब सभी जगह से निराश हो जाती है तो न्याय मिलने का एकमात्र स्थान न्यायालय होता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अकेले उत्तर प्रदेश में 75,00,000 से ज्यादा केसेज कोर्ट में पेन्डिंग है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा केन्द्र सरकार और कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार देती है। वर्ष 2014-15 के बजट में कुछ बढ़ोतरी भी की है। क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि जो 75,00,000 केस पेन्डिंग हैं, क्या इस बारे में कोई टाइम बाउंड हो सकता है, जिससे मिनिमम केसेज कोर्ट में रह जाएं?

दूसरा सवाल है कि न्याय सस्ता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की पार्टी जब पिछले चुनाव में थी, बीस सालों से लगातार मांग करती रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर और मेरठ चल कर हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए इंसान को आठ सौ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब आप छोटे-छोटे राज्य एक दिन में बना सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ या मुरादाबाद मंडल में खोलने के लिए काफी अर्से से जनता और एवेकेट्स का आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

جب عوام غریب کی ملک ہمارے صاحب، اسپیکر محترم :(امروہہ) علی دانش کنور
ہے۔ ہوتا کورٹ جگہ واحد ایک کی پانے انصاف تو ہے جاتی ہو مایوس سے جگہ سبھی
زیادہ سے **7500000** میں پردیش اتر اکیلے کہ ہے دیا جواب نے جی منتری ماننئے
بنیادی کہ ہے بھی کہا میں جواب نے جی منتری ماننئے ۔ پینڈنگ میں کیسزکورٹ
ریاستی حصہ کچھ اور سرکار مرکزی حصہ کچھ کا اس لیکن ہے، کمی کی ڈھانچہ
والے آنے کیا ہے۔ کی بھی بڑھوتری کچھ میں بجٹ کے **15-2014** سال ہے۔ دیتی سرکار

میں بارے اس کیا ہیں، پینڈنگ کیس 7500000 جو گےکہ پائیں دیکھ ہم میں سالوں کچھ جائیں؟ رہ میں کورٹ کیسز کم سے کم سے جس ہے، سکتا ہو باوُنڈ ٹائم کوئی کی سرکار ہے۔ ترجیح کی سرکار یہ ملے، سستا انصاف کہ ہے سوال دوسرا مغربی کہ رہی کرتی مانگ لگاتار سے سالوں بیس تھی، میں چناوٗں پچھلے جب پارٹی لئے کے پانے انصاف کا کورٹ ہائی کر چل میرٹھ اور سہارنپور اندر کے پردیش اُتر ریاستیں چھوٹی چھوٹی آپ جب ہے۔ پڑتا کرنا طے سفر کا میٹر کلو 800 کو انسان ایک یا میرٹھ بینچ کی کورٹ ہائی اندر کے پردیش اُتر مغربی ہیں۔ سکتے بنا میں دن ایک چل آندولن کا ایڈوکیٹس اور عوام سے عرصہ کافی لئے کے کھولنے میں منڈل مرادآباد ہے؟ رہی کر غور پر اس سرکار کیا ہے، رہا

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। यह संविधान का भी दायित्व है। हमारी सरकार का भी कमिटमेंट है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। थोड़ा गला बझा हुआ है, क्षमा करेंगे। मैं एक बात सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं। जस्टिस डिलेवरी का काम जजेज का है और सरकार का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर देना है। यही न्यायपालिका की आजादी का मूल आधार है। सैंट्रली स्पांसर्ड स्कीम वर्ष 1993 से चल रही है। मैं कमिटमेंट का एक संकेत सदन को बताना चाहता हूं, अब तक जो पैसे दिए गए, उसका 50 परसेंट पिछले पांच साल में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है।

माननीय सदस्य, आपके प्रदेश में 2278 कोर्ट हाउस बने हैं और 1937 रेजिडेंशियल युनिट्स बने हैं। सरकारों का भी सहयोग रहा है, मैं मानता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर 19,414 कोर्ट हाउस बने हैं और 17,103 रहने की युनिट्स बनी हैं। हमने क्या काम किया है, मैं सदन को विनम्रता से बताना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी का पहला निर्देश था कि पुराने कानून समाप्त करो। हमने 1500 पुराने कानून समाप्त किए। दूसरा,

इन्फ्रास्ट्रक्चर देने में पूरा सहयोग करो, वह काम हमने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। हमने नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड बनाया, जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पैंडिंग केसेज़ की सूची है और दस करोड़ आर्डर्स और डिसीजन्स की सूची है। आप एक बटन दबाकर मालूम कर सकते हैं।

हमने क्या प्रोएक्टिव मीजर्स दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास अभी तक सारी चिट्ठियों का ब्यौरा विस्तार से है। मैं सारे हाईकोर्ट के जजेज़ को कहता हूं कि कृपा करके दस साल के केसिस को त्वरित डिस्पोजल करें। मैं भारत के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिख रहा हूं कि वे सिविल और आपराधिक मामलों के निपटान में तेजी लाएं। जजेज़ पीआईएल सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, यहां गरीब भी जाते हैं। मैंने बार-बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और व्यक्तिगत रूप से भी कहता हूं। मैं आज सदन में बड़ी विनम्रता से सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेज़ से आग्रह करना चाहता हूं कि वे प्रोएक्टिव मीजर्स में दस साल और दस साल से पुराने केसेज़ को प्राथमिकता से डिस्पोज ऑफ करें। मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया है, 16,000 करोड़ डिजिटाइज्ड हैं। इसे और करने की जरूरत है। माननीय दानिश अली जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लोक अदालत में 1 करोड़ 72 लाख केस डिस्पोज आफ हो चुके हैं। मैं आईटी का भी मंत्री हूं, कॉमन सर्विस सैंटर्स हैं, मैं इनके माध्यम से प्रीलिटिगेशन एडवाइस का कार्यक्रम चला रहा हूं। माननीय सैक्रेट्री जनरल मेरे साथ थीं, जब हमने जस्टिस विभाग में काम शुरू किया था। यहां एक लाख से अधिक लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, उनको देते हैं। हमें और काम करने की आवश्यकता है, मैं स्वीकार करता हूं और हमारा सतत प्रयास भी है।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर देता हूं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है।

श्री अखिलेश यादव: माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट की बधाई तो दें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपने कई काम अच्छे किए हैं, और कई काम और भी किए हैं, तभी तो नतीजा आया। आप इसे छोड़ दीजिए।

श्री अखिलेश यादव: आपकी जानकारी में है, आप बधाई तो दें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अगर आपको स्ट्रक्चरल सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं उत्तर दूंगा।

श्री अखिलेश यादव: आप हाई कोर्ट की बधाई तो दीजिए, सबसे सुंदर हाई कोर्ट बना है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप किसी भी सदस्य के प्रश्न का जवाब मत दीजिए। आपको केवल दानिश अली जी के प्रश्न का जवाब देना है।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे उनका नोटिस लेना पड़ता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां कोई वरिष्ठ नहीं है, सब माननीय सदस्य हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सदस्य आप बहुत सही बात कह रहे हैं, यह मांग बहुत वर्षों से है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। मैं इस मांग के वजन को भी समझता हूं, लेकिन इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि जो प्रिंसिपल हाई कोर्ट है उसका फुल कोर्ट इसे रिकमेंड करे, राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे और इसके लिए ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराए। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। यह काम

जैसे ही होगा, हम इसे त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे।जहां तक बात है कि कहां होना चाहिए, यह स्वर तो पश्चिम में बहुत जगह से आता है, आप लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा।

कुंवर दानिश अली : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं जानता हूं कि यह सरकार इतनी मजबूत है और माननीय कानून मंत्री जी इतने मजबूत हैं कि अगर इच्छा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच ऐसे ही दे दीजिए, जैसे पिछले सैशन में आप एक बिल लाए थे जिसे सुबह कैबिनेट में पास किया था और दो घंटे के बाद आ गया था। यह आपकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जेलों में दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने दलित लोग जेलों में बंदी हैं, क्या आप बताएंगे?... (व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، ماننئے منتری جی نے کہا کہ اس کی ایک پرکریا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سرکار اتنی مضبوط ہے اور ماننئے قانون منتری اتنے مضبوط ہیں کہ اگر اِچھا ہے تو مغربی اُتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ ایسے ہی دے دی جائے، جیسے پچھلے سیشن میں آپ ایک بِل لائے جسے تھے صبح کابینہ نے پاس کیا تھا اور دو گھنٹہ بعد آ گیا تھا۔ یہ آپ کی وِل پاور پر منحصر کرتا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر جیلوں میں دلِت، پچھڑے اور اقلیتی طبقہ کے لوگ ہیں۔ کیا ماننئے منتری کے، پاس سرکار کے پاس کوئی ایسا آنکڑہ ہے کہ کتنے دلت لوگ جیلوں میں بند ہیں، کیا آپ بتائیں گے؟ ---(مداخلت)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बीच में न बोलें। माननीय मंत्री जी सक्षम हैं। कई बार इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठे-बैठे मत बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत के संवैधानिक चिन्तन ने अभी तक अपराध नियंत्रण में जाति को नहीं रखा है और बहुत ही अच्छा है कि नहीं रखा है, चाहे वह सरकार हमारी हो या आपकी सरकार हो। जो भी अपराधी है, वह अपराधी है और हमें उनको किसी भी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन, मैं आपकी बात को नोटिस में लेता हूं। हमारी सरकार की एक कोशिश है कि जो अंडरट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 50 परसेंट से अधिक अंडरट्रायल के रूप में पूरा कर लिया है, उनको छोड़ा जाए। यह प्रावधान भी है और मैं इसके लिए हर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखता हूं। मैंने एक बात और भी कही है कि अगर महिला अंडरट्रायल प्रिजनर ने 25 परसेंट पूरा कर लिया, जो उनका सेन्टेंस होगा, उनको छोड़ दिया जाए, यह हमारा सतत् प्रयास है। हम अंडरट्रायल के अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली, अपराध अनुसंधान प्रणाली बिना किसी जाति, समुदाय और उपासना पद्धति के दबाव में चले और ऑब्जेक्टिवली चले। ... (व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। स्टैंडिंग कमेटी की विजिट के दौरान हम लोग बहुत सारे जेलों में गए। वहां हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो विदाउट ट्रॅायल हैं, जो तीन साल, चार साल, सात साल से वहां हैं। मुझे यह पूछना है कि अगर सात साल के बाद यह पता चले कि उसका कोई दोष नहीं है और सॉरी बोलकर उसको छोड़ देंगे। लेकिन, उसकी जिन्दगी का जो प्राइम टाइम खराब हो गया,

उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कृपया स्पेसिफिक एक लाइन में उत्तर दीजिए कि उसकी जिन्दगी खत्म करने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

श्री रवि शंकर प्रसाद: भारत के कॉस्टिट्यूशनल जस्टिस सिस्टम का एक एसेंस है कि अगर आपके खिलाफ एक आरोप लगा, अनुसंधान किया गया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, [अनुवाद] न्यायालय ने पाया: "हमें उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले।" यह न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं कि यदि छोटे अपराध में किसी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में लिया जाता है, तो जमानत दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर अच्छी तरह से चर्चा की गई है और मैं पहले से ही इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय: अंडरट्रायल के बारे में बताइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप पहले वहां बात कीजिए। आप इतने विद्वान प्रोफेसर हैं। आप पहले परमिशन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरन : महोदय, न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। यह एक कहावत है। यह कहावत हो सकती है लेकिन जहां तक हमारे देश का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि यह हमारे न्यायिक क्षेत्र में एक वास्तविकता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता को कम करने और उच्च निपटान दर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 की सिफारिशों पर विचार कर रही है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ का देश में 'व्यवसाय में सुगमता' पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जहां मामलों की लंबितता आर्थिक मंदी को और बढ़ा रही है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कृपया मुझे थोड़ा विस्तार से बोलने की अनुमति दें। हमारे माननीय प्रधान मंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि 'व्यवसाय करने में सुगमता' हमारे शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए, और इसी कारण से हमने इस प्रक्रिया में 70 से अधिक अंकों की प्रगति हासिल की है। वाणिज्यिक न्यायालय और मध्यस्थता संस्थानों की स्थापना की गई है।

जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 478 नियुक्तियां की हैं। यह एक रिकॉर्ड है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति में तेजी लाने की ज़रूरत है। हम इस पर जोर दे रहे हैं। उस प्रक्रिया की बात करते हुए, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता है। मैंने पहले भी यह कहा है और अब फिर से कहता हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि स्नातक प्रतिभाओं, विशेषकर वंचित समुदायों के युवाओं को, पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। उन्हें आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में स्थान मिलना चाहिए ताकि भारत में एक सुदृढ़ और सक्षम अखिल भारतीय न्यायपालिका का गठन हो सके, जो न्याय प्रदान करने में समर्थ हो। यह हमारा स्पष्ट और सुदृढ़ दृष्टिकोण है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कुछ उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की है। हम उनके विचारों का सम्मान करते हुए विचार-विमर्श कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए। न्याय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। मध्यस्थता को प्रोत्साहन देना, वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करना और अनुबंध प्रवर्तन में भारत की रैंकिंग को ऊपर उठाना भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेना चाहता हूं, इसलिए सप्लीमेंट्री कम बुलाता हूं। हमारे ओवैसी साहब सीट पर बैठे-बैठे कुछ कह रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री दीजिए, फिर किच-किच मत करिए क्योंकि हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेना रहता है,

क्योंकि सदन में मैंने सुबह ग्यारह बजे कहा था कि अधिकतम प्रश्न हों, संक्षिप्त जवाब हों, इसलिए मैं विनोद सोनकर और तिवारी जी के बाद अगला प्रश्न लूंगा। विनोद सोनकर जी बोलिए।

श्री विनोद कुमार सोनकर : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार के प्रयास से न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त पैसा दिया गया जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे सज़ायाफ्ता कैदी हैं जिनकी सजा लगभग पूरी हो गई है या पूरी होने के कगार पर है, लेकिन वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कैदी कैंसर रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं और अब उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई अपराध वे कर सकते हैं, क्या सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए कुछ विचार कर रही है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : देखिए, जिनको सजा हो गई है, वे अंडरट्रायल नहीं हैं। सज़ायाफ्ता लोगों को पेरोल मिले या नहीं मिले, बीमारी के आधार पर मिले, यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों का है। अगर वे कोर्ट से चाहें तो बेल ले सकते हैं और अपनी बीमारी के आधार पर अपनी सजा को कम करने का आग्रह कर सकते हैं। यह अधिकार भारत सरकार का नहीं है। चूंकि अपराध-निष्पादन राज्यों का विषय है, इसलिए उनको राज्य सरकार के पास आग्रह करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारी न्यायालय प्रणाली में मामले लंबित होना गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री जी सिर्फ यह कह कर नहीं बच सकते कि न्याय पहुंचाना न्यायाधीशों का काम है और इसलिए इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथ्य यह है कि आज भी हमारी न्यायिक प्रणाली में लगभग दो करोड़ मामले लंबित हैं। तथ्य यह है कि हमारे उच्च न्यायालयों में, लंबित या गैर-नियुक्ति या रिक्ति लगभग 50 प्रतिशत के करीब है। इसलिए, मैं मंत्री जी से एक बहुत सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने पिछले

पांच वर्षों में सरकार द्वारा की गई कई पहलों को सूचीबद्ध किया है। क्या वह सभा को यह बताना चाहेंगे कि हमारी न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या कितनी थी 2014 उन्होंने कब कार्यभार संभाला और आज तक हमारी न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या क्या है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार नहीं किया है। लेकिन आपको स्वयं एक अनुभवी अधिवक्ता के रूप में पता चलेगा कि मामले की सुनवाई करना, मामले का निर्णय करना, निर्णय देना न्यायाधीशों का काम है और यह सरकार का काम नहीं होना चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यही मतलब है।

मैंने यह भी कहा है कि हमने सबसे ज्यादा नियुक्तियाँ की हैं। हम इसे जारी रखेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 478 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा गई है; उच्चतम न्यायालय के 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है. …(*व्यवधान*) महोदय, मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है कि मैं वह डेटा प्राप्त करूंगा और उन्हें पुनः सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप हर सवाल का जवाब मत दीजिए। जो आपसे पूछा गया है, उसका जवाब दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मनीष तिवारी जी, वह डाटा लेकर में आपको दे दूंगा। मेरे पास सब उपलब्ध है। मैं आपको विस्तार से पत्र लिखकर भेज दूंगा। क्या अब आप संतुष्ट हैं?

[अनुवाद]

(प्रश्न संख्या 44)

श्री एन. रेड्डप्प : मुझे ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट के अनुसार, बी.एस.एन.एल. के 77,000 से अधिक कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है। बी.एस.एन.एल के कुल कर्मचारियों की संख्या 1,50,000 है। इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी बाहर जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बी.एस.एन.एल. कैसे चल सकता है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। इस स्थिति से उबरने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या बीएसएनएल में बेरोजगार युवाओं को समायोजित करने के लिए निकट भविष्य में किसी नई भर्ती का कोई संभावना है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया शॉर्ट में जवाब दें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे): माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, यह हम से बार-बार सदन में सवाल पूछते थे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को कब जिंदा करेंगे, हम उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।**...** (व्यवधान) कृपया आप शांत रहिए।... (व्यवधान) महोदय, हम बी.एस.एन.एल. के पुनरुद्धार किए जाने इसे लाभदायक बनाए जाने की दिश में कार्यरत हैं। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर माननीय सदस्यों की सुचनाएं प्राप्त हुई हैं, यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर*

(तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 752/17/19)]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 753/17/19)]

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 810 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 754/17/19)]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर श्री, श्री सोम प्रकाश।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण और अनुज्ञापीकरण (संशोधन) नियम, 2019 जो 6 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 637(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 755/17/19)]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मेरा नियम 288 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक कार्य मंत्रणा समिति का संबंध है, मैं नियम 288 के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। नियम 288(1) कहता है:

> "इस समिति का कार्य यह अनुशंसा करना होगा कि सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों की उन चरणों या चरणों पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित किया जाए, जिन्हें अध्यक्ष, सदन के नेता से परामर्श करके, समिति को संदर्भित किए जाने हेतु निर्देशित करें।"

[हिन्दी]

सर, एक के बाद एक बीएसी कमेटी की मीटिंग होती जा रही हैं, हम इश्यूज चुनते हैं, सदन शुरू हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि यहां कौन-सा विषय आने वाला है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर कल रख दी गई है। इसलिए आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, पूरे हफ्ते के बिजनेस नहीं होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरे हफ्ते का ही रखा है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपने एसोसिएशन के बारे में सहमति जताई थी, वह नहीं आया।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति" पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति" पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वं प्रतिवेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सदन पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 756/17/19

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन के प्रस्ताव के बारे में

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा 19 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 19 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

माननीय अध्यक्ष: अब शून्यकाल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज सूची में आपका प्रश्न है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय</u>

विशेषाधिकार का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी व्यवस्था दे दूँ। कृपया आप बैठ जाएँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे दूँ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई केन्द्रीय): मैंने एक विशेषाधिकार का मुद्दा उठाया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपका प्रिविलेज मोशन देख लिया है, यह मुझे मिल गया है। मैं आपके प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: यह किसी सदस्य का विशेषाधिकार नहीं है। यह सदन का है। मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। …(*व्यवधान*) हम पहले ही एक नोटिस दे चुके हैं। यह किसी सदस्य का नहीं बल्कि सदन का मामला है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कॉल एंड शकधर, चैप्टर-11, पेज नम्बर 269 (अंग्रेजी) एवं पेज नम्बर 244 और 289 (हिन्दी) में उल्लिखित है कि विशेषाधिकार का क्षेत्र फौजदारी मामलों में नहीं है। संसद किसी भी सदस्य का फौजदारी कानून प्रक्रिया से किंचित भी बचाव नहीं कर सकती है।

दाण्डिक न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी से हाउस का विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाएगा।

भारत के न्यायालयों ने भी उपरोक्त की पुष्टि की है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, मैं सदस्य के विशेषाधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सदन के विशेषाधिकार की बात कर रहा हूं। सभा को सूचित किया जाना चाहिए। …(*व्यवधान*) मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं इसे उठा रहा हूं ...*(व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जब कोई रूलिंग दे दी जाती है, तो रूलिंग के बाद कोई डिसकशन नहीं होती है। माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। नियम एवं प्रक्रिया की किताब में यह बात लिखी है कि जब अध्यक्ष किसी मामले में निर्देश दे दे, तो उस पर कोई डिसकशन नहीं होती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन जी, आप बोलें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: '*शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।* शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस सदन को चलाने वाले सभापति हैं। शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी का नाम लिस्ट में है, इसलिए ये बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं माननीय अध्यक्षपीठ के साथ-साथ सरकार का ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य से चावल की खरीद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो संकटग्रस्त स्थिति में है क्योंकि सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वैध अधिकार को अस्वीकार कर रही है। छत्तीसगढ़ को हमारे देश का 'धान का कटोरा' कहा जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस क्षेत्र में चावल की 20,000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। यह उपलब्धि उन मूल निवासियों, विशेषकर जनजातीय समुदायों की कड़ी मेहनत और सतत संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने सदियों से चावल की इन विविध किस्मों को

संरक्षित रखा है — जिन पर हम सभी को गर्व है। [हिन्दी] राज्यों की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ... (व्यवधान) इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धन उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि भी दी जानी प्रारंभ की गई है।... (व्यवधान)सर, क्या प्रोत्साहन राशि देना अन्याय है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शून्यकाल में आपने अपना विषय रख दिया है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सरकार वहां से चावल नहीं खरीदती है। ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में और बहुत सारे राज्य हैं, जहां से चावल खरीदा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदा जाता है। ... (व्यवधान) पिछले दो सालों से, वर्ष 2017 और 2018 से यह जो नियम है, उसको शिथिल किया गया था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टी. आर. बालू जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। **... (**व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल टी. आर. बालू जी की ही बात रिकॉर्ड में अंकित हो।

... (व्यवधान) *

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और सोनिया *जी* को धन्यवाद देता हूं। ...(*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, डॉ. कलैगनार करुणानिधि जी एक द्रविड़ समुदाय से हैं। …(*व्यवधान*) वे तमिल जगत के सर्वाधिक गौरवशाली नेता थे। …(*व्यवधान*) उन्होंने शास्त्रीय तमिल पुरस्कार और तमिल भाषा के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये दान किए। …(*व्यवधान*) 2010 में, फिनलैंड के एक प्रोफेसर को यह पुरस्कार दिया गया है। …(*व्यवधान*) महोदय, यह क्या है? …(*व्यवधान*) सदन व्यवस्थित नहीं है। मैं कैसे बोलूं, महोदय? …(*व्यवधान*) महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : संतोष पाण्डेय जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बोल रहे हैं?

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में किसानों को छला गया है। ... (व्यवधान) जब मृत्यु का समय आता है, उस समय व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है और बछिया की पूंछ को पकड़ा जाता है। ... (व्यवधान) जब यह चुनाव आया, तब चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में वाइन को, शराब को बंद करेंगे। ... (व्यवधान) हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे और धान का एक-एक दाना, एक-एक बीज खरीदने की बात इन्होंने कही थी। ... (व्यवधान)

आज छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है। ... (व्यवधान) इन्होंने गंगा जल उठाकर सौगंध ली थी। ... (व्यवधान) इन्होंने दारूबंदी की बात की थी, इन्होंने कर्जा माफी की बात की थी। ... (व्यवधान) मैं आज इस सदन से पूछना चाहता हूं कि आपने दो बार तेंदूपत्ता का बोनस, गन्ने का बोनस 2,500 रुपये में खरीदने की बात की है। ... (व्यवधान) आप छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने की कोशिश न करें। ... (व्यवधान) आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने धान खरीदी में 15 दिनों का विलंब क्यों किया? ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं सरकार से पुन: निवदेन करता हूं कि पिछले बरस की भांति इस बरस भी नियमों को शिथिल करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल सरकार से खरीदने की मैं मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : टी. आर. बालू जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी :सर, आप कुछ तो कहिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कोई संभावना नहीं है। केवल टी.आर. बालू जी का निवेदन कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, तमिल प्रमुख, डॉ. कलैगनार करुणानिधि जी ने पुरस्कार के लिए और शास्त्रीय तमिल के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये दान किए हैं। …(*व्यवधान*) यह एक अनुदान पुरस्कार स्थापित करने के लिए था। … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप बैठ जाएं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मुझे बोलना है। …(*व्यवधान*) मैं अपनी मांग सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। …(*व्यवधान*) महोदय, वर्ष 2010 में एक करोड़ रुपये की निधि से फिनलैंड के प्रोफेसर अस्कर परपोला को शास्त्रीय तमिल के विकास हेतु प्रथम शास्त्रीय तमिल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2010 से आज तक, नौ

पुरस्कार प्रतिष्ठित विद्वानों को दिए जाने थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। महोदय, भारत सरकार द्वारा 143 स्थायी पदों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन अब तक एक भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। भारत सरकार ने इस संस्थान की उपेक्षा कर दी है। यह संस्थान वर्तमान में निष्क्रिय स्थिति में है। यहां न तो निदेशक है, न पंजीयक है और न ही वित्तीय सलाहकार है। यहां तक कि एक भी व्यक्ति स्थायी पद पर नियुक्त नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं-नहीं, आप नहीं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट दें। अध्यक्ष, महोदय, यह क्या है? महोदय, मैं विस्तृत रूप से बात नहीं कर रहा हूं। महोदय, मेरे नेता डॉ. स्टालिन जी हमारे प्रधान मंत्री की सराहना करते हैं, जब भी वे विदेश या भारत का दौरा करते हैं, तमिल का महिमामंडन करते हैं, तिरुवल्लुवर, कनियन पुंगुंद्रनार, तिरुक्कुरल और पुरानानुरु जैसे महान कवियों का उल्लेख करते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। महोदय, यह उचित नहीं है। महोदय, इन दिनों आप अत्यंत उदार रहे हैं, लेकिन आज न जाने क्या कारण है कि स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, और मैं भारत सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, मेरा विनम्र सुझाव है कि वास्तविकता कुछ और ही है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया करके कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाएं। आप अपना विषय रखिए।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, भाजपा से संबंधित लोग चेन्नई में तिरुवल्लुवर का भगवाकरण कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं। श्री मोहनभाई कुंडारिया।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मेरी यह मांग है कि सत्तारूढ़ दल तत्पर होकर कलैग्नर करुणानिधि के नाम पर स्थापित सभी 143 स्थायी पदों और पुरस्कारों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): महोदय, मैं आपका ध्यान सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट शहर की ओर दिलाना चाहता हूं। राजकोट शहर सौराष्ट्र क्षेत्र का मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया है और गुजरात की 35 प्रतिशत जनसंख्या कार्य करती है। गुजरात के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजकोट एक औद्योगिक नगरी है और ऑटो मोबाइल, ज्वैलरी, टाइल्स, घड़ियों व फूड प्रोसेसिंग में मुख्यत: अग्रणी भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ का मुख्य गिर वन और ऐतिहासिक सोमनाथ द्वारकाधीश मंदिर है। यह क्षेत्र अपने उपरोक्त कार्यों के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस क्षेत्र में कार्यकलाप, बिजनेस मीटिंग व धार्मिक गतिविधियां भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं।

मान्यवर, मैं उपरोक्त गतिविधियों के लिए आपके माध्यम से एक कन्वेंशन सेंटर व सेमिनार हॉल का निर्माण करवाने का अनुरोध करता हूं, जो उपरोक्त सभी कार्यों को निर्देश देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण एन.एस.आई.सी. ग्राउंड में करवाया जा सकता है। यह कन्वेंशन सेंटर ऑडीटोरियम, पुस्तकालय, एग्जिबिशन हॉल व फूड कोर्ट आदि की सुविधाओं से परिपूर्ण हो। अंत में आपसे पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उक्त मांगों को पूरा करने पर विचार करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी को श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

"धन्य-धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुभाल, धन्य जनम भारतबरिषे"

असमिया साहित्य, संस्कृति, समाज व आध्यात्मिक जीवन में युगांतरकारी महापुरुष जगदगुरु श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं

आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव संस्कृति और श्रीकृष्ण संस्कृति के प्रसार के लिए जगदगुरु श्रीमंत शंकरदेव ने बरगीत, अंकिया नाट, भाओना, नाघर, सत्र स्थापित कर पूरे पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को भाईचारे, सामाजिक सदभाव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज के एकात्मवाद के सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने प्रकृति रक्षा के विचारों को प्रतिपादित कर कहा था कि-

"कुकुर, श्रीगाल, गदरभरो आत्माराम-जानियों सबाको कोरियो प्रणाम कोरियो प्रणाम।"

अर्थात् कुत्ता, भेड़िया और गधा, सभी की आत्मा एक ही है। देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, लेकिन देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य लगभग 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से किया था। इन विचारों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने दो बार सम्पूर्ण भारत वर्ष की पदयात्रा की थी। 15वीं शताब्दी में समकालीन भक्ति आंदोलन में नेतृत्व देने वाले महान संतों में भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे अधिक परिभाषित श्रीमंत शंकरदेव ने ही किया था। उन्होंने कहा था -

"कोटि-कोटि जन्मान्तरे जाहार आसे महापून्य राखि हि-हि
कदासित मनुष्य होअय भारत बरिषे आसी।"

अर्थात् करोड़ों जन्मों के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है उसी पूण्य के फलस्वरूप मनुष्य को भारत वर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा था-

"धन्य-धन्य कलिकाल धन्य नर तनु भाल धन्य धन्य भारत बरिषे।"

भारत वर्ष की इतनी महान संकल्पना श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित की गयी थी।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी मांग रखिए कि आपको सरकार से क्या लगवाना या करवाना है? आप कहें तो आपकी तरफ से मैं रख देता हूं।

श्री दिलीप शइकीया : सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे महापुरुष के बारे में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम जानकारी है। अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की तरह देश में श्रीमंत शंकरदेव फाउंडेशन स्थापित किया जाए। जिससे पूर्वोत्तर ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में भी श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं और सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ देश भर में श्रीमंत शंकरदेव की पुण्य जन्म तिथि को एन. आई. एक्ट के तहत राजकीय अवकाश घोषित किया जाए जिससे उनके आदर्शों और सिद्धांतों को सच्ची श्रद्धा और सम्मान दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शून्य काल में जिस विषय पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से उसे सदन में रखें ताकि सरकार का और देश की जनता का आपके विषय पर ध्यान पहुंच सके। यही मेरा आपसे आग्रह है।श्री सी. पी. जोशी को श्री दिलीप साईकिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है।महोदय, ठाणे रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहां से देश की पहली रेल दिनांक 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। यह स्टेशन करीब 266 साल पुराना है। यहां पर प्रतिदिन करीब आठ लाख से ज्यादा यात्री आना-जाना करते हैं एवं सुबह-शाम के दौरान यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है। करीब पांच महीने पहले दिनांक 30 जून, 2019 को मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्टेशन का दौरा किया था तो मुझे पता चला कि वर्तमान समय में इस स्टेशन की इमारत करीब पचास साल पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इमारत में कई जगहों पर दरारें भी आ चुकी हैं, जिससे इमारत कभी भी गिर सकती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि ठाणे रेलवे स्टेशन की पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर उसकी जगह पर एक नई आधुनिक इमारत जिसमें कार्यालय, प्रतीक्षा कक्ष एवं म्यूजियम रूम भी बनाने के लिए संबंधित विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश देने की कृपा करें।

श्री रामदास तडस (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केन्द्रीय वस्त्र मंत्री जी का ध्यान कपास की खरीदी के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने चालू कपास सीजन वर्ष 2019-20 के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 5550 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे के कपास का 5255 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों के लिए सफेद सोना कहलाने वाली फसल कपास इस बार उनके लिए सफेद सोना साबित नहीं होने जा रही है क्योंकि देश में कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया केन्द्र द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद शुरू न करने के कारण किसान सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव 4000-4500 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास बेचने को मजबूर है, जिससे किसान को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। विश्व में कपास की मंदी के कारण कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20 लाख गांठ खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसे बढ़ाकर एक करोड़ गांठ खरीदी की जाए जिससे सही भाव भी मिले और खुले मार्किट में भी किसानों को सही भाव के ऊपर दाम मिले। आज महाराष्ट्र राज्य में बहुत जगहों पर ज्यादा बारिश होने से किसानों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने से केन्द्र सरकार से मदद की अपेक्षा है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया केन्द्र द्वारा कपास की खरीदी करते समय कपास की आद्रता की सीमा 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 15 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्रीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त सभी समस्याओं पर अपने स्तर से विचार कर शीघ्र समस्याओं का निदान कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी. पी. जोशी को श्री रामदास तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, असम में जो सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें अभी तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, इस बारे में वहां की जनता पिछले काफी समय से प्रयास कर रही है, किन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इसीलिए मेरा आपके

माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि असम में सीबीएसई के सभी विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाए, इस बारे में आप आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री अब्दुल खालेक को श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म (आई.आर.सी.टी.सी.) के माध्यम से जो दूर जाने वाली ट्रेनें हैं, जैसे कि दूरंतो है, राजधानी है, शताब्दी है, इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के ऊपर आईआरसीटीसी द्वारा खान-पान की दरों में बढ़ोत्तरी करने का परिपत्र (मूल्य पत्रक) जारी किया है, जिसको रद्द करने का निवेदन मैं इस शून्य प्रहर के माध्यम से सरकार को करना चाहता हूँ।

महोदय, आप तो जानते हैं कि दूरंतो, और शताब्दी आदि सप्ताह में दो-दो दिनों तक चलने वाली ट्रेने हैं, जिनसे लाखों यात्री सफर करते हैं। हर तरह के यात्री राजधानी जैसे आम आदमी जाते हैं, वैसे ही मध्यम वर्गीय भी जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 15 रुपये चाय का भाव था, उसको बढ़ा कर 35 रुपये किया गया है। यह सवेरे की चाय का भाव हुआ है। वही चाय अगर शाम को पीते हैं तो 140 रुपये देने पड़ेंगे। नाश्ते के लिए 90 रुपये से बढ़ा कर 140 रुपये और लंच के लिए 145 रुपये से बढ़ा कर सीधे 245 रुपये कर दिए गए हैं, यानी सौ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। जो आम आदमी ट्रेन से जाते हैं, यह उनके ऊपर इस आर्थिक मंदी में भारी बोझ होगा।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म डिर्पाटमेंट ने जो भारी मात्रा में खानपान की बढ़ोत्तरी की है, वह जल्द से जल्द खारिज करें। रेल मंत्री जी को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप आम आदमी को न्याय देने की कृपा करें।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मुंगेली क्षेत्र अमरूद यानी बिही के लिए बड़ा मशहूर क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ब्रिटिश शासन के समय क्षेत्र में रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हुआ था, परंतु ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही वह परियोजना ठप्प हो गई थी। बाद में देश के यशश्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उप्रकम बना कर रेलवे का काम प्रारंभ किया गया। लेकिन पिछले एक साल से उस काम में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। क्षेत्र की जनता परेशान है। यह क्षेत्र की जनता की बहुप्रतिक्षित मांग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि उक्त योजना के काम में तेज़ी लाएं, ताकि जनता को रेल सेवा का लाभ मिल सके।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर, महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है, पालघर में करीबन 47 हजार हेक्टेयर खेती का नुकसान हुआ है। पालघर ट्राइबल एरिया होने के नाते वहां पर सबसे ज्यादा नागली और वरई तथा अन्य फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इसमें किसान पूरी तरह से टूट गया है। वसई और पालघर में सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। फूलों की खेती करने वाले किसानों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादन होता है, बारिश की वजह से उसका भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में चीकू का सबसे ज्यादा उत्पादन धांड में होता है। महाराष्ट्र में जो मछुवारे हैं, पालघर में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, किसानों के साथ-साथ उन मछुवारों की भी मदद करने की आवश्यकता है।

महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए जो 6 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से जो 6 हजार रुपये दिया जा रहा है, उसके बदले में करीबन 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बागवानी खेती के लिए 18 हजार प्रति हेक्टेयर के बदले 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा उनको दिया जाए।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने लोक सभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूं, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर के किसान भाइयों की सिंचाई का समाधान मिल सकेगा। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पहाड़ी तथा ऊँचाई क्षेत्र में है। वहां नर्मदा नदी होने के बावजूद भी किसान भाइयों को जल की कठिनाई के कारण खेती करने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही आम जनमानस को भी जल की काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि हमारे संसदीय क्षेत्र की हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, ओरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बना दिया जाए तो जल की समस्या से निजात मिल सकेगा, जिससे आस-पास के स्थानों का भी जलस्तर बढ़ेगा। जल की जो व्यापक समस्या है, उसका भी समाधान हो पाएगा। साथ ही जिन तहसीलों में जल की समस्या है, वहां के किसान भाइयों को खेती करने में भी अधिक सुविधा मिलेगी। इस प्रयास से जमीन का जलस्तर बढ़ने के परिणामस्वरूप नलकूप तथा कुएं में जल की उपलब्धता वर्ष भर रहेगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना 'हर घर जल, हर घर नल, हर खेत में पानी' का सपना भी साकार हो जाएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर के हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, ओरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती गीताबेन वी. राठवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री सु. थिरुनवुक्करासर (तिरुचिरापल्ली): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी माननीय संसद सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं सभी माननीय संसद सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं, न केवल अभी चुने गए संसद सदस्यों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो भविष्य में चुने जाने वाले हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, महोदय! यह आपके और मंत्रियों के लिए भी उपयोगी होगा। यह मुद्दा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के बारे में है।

…(*व्यवधान*) कृपया मुझे दो मिनट दीजिए। इसे 1993-94 में 5 लाख रुपये के साथ शुरू किया गया था। फिर इसे 1998-99 में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसे 2011-12 में और बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से, कोई वृद्धि नहीं हुई है। महोदय, डॉ. कलैगनार 1988-89 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं एक विधायक था। मैं सदन में अनुरोध करने वाला पहला व्यक्ति था। फिर मुख्यमंत्री, डॉ. कलैगनार जी ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की। अब, 30 वर्षों के बाद यह तमिलनाडु में 3 करोड़ है। …(*व्यवधान*) मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। केरल में यह 6 करोड़ रुपये है। दिल्ली में यह 4 करोड़ रुपये है और इसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार, औसतन लगभग सभी राज्यों में इसमें 2 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की गई है। यह केवल एक विधायक क्षेत्र के लिए है। सांसद क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जैसे कि तमिलनाडु में छह विधायक क्षेत्र, केरल में सात और कुछ राज्यों में आठ विधायक क्षेत्र होते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कम से कम प्रति विधायक क्षेत्र 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए। यह एक बहुत ही न्यूनतम धनराशि है।

माननीय अध्यक्ष: इसके बाद श्री के. षणमुग सुंदरम हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री सु. थिरुनवुक्करासर: महोदय, मुझे एक मिनट और दें। विधायकों के पास निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय भवन हैं, लेकिन सांसदों के लिए कोई कार्यालय नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय में एक सांसद कार्यालय के निर्माण के लिए एम.पी.एल.ए.डी. कोष से 50 लाख रुपये की अनुमति दी जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अगले वक्ता हैं श्री के. षणमुग सुंदरम। क्या वे उपस्थित हैं?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : इसके बाद श्री हाजी फजलुर रहमान हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री सु. थिरुनवुक्करासर थिरुनवुक्करासर : महोदय, एक मिनट और। इस निधि में से हमें लगभग 22 प्रतिशत खर्च करना होता है, अर्थात 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए; 7.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए; राष्ट्रीय आपदा के लिए एक करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं; और राज्य आपदा के लिए 25 लाख रुपये दिए जा सकते हैं। …(*व्यवधान*) यह पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसे बड़े पैमाने पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, और कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सरकार की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति हो सकती है, लेकिन वह इस धनराशि को बढ़ाने और कम-से-कम इसे दोगुना करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए, प्रति विधायक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह धनराशि कम से कम 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। यह मंत्रियों के लिए भी उपयोगी होगा। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर यथाशीघ्र विचार करे और मुझे लगता है कि सभी सांसद इस अनुरोध का समर्थन करेंगे। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र में एक बेहट तहसील है। जहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मेरा आपसे कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में झुग्गी-झोपड़ियों में आग लग जाती है और जान-माल का बहुत नुकसान होता है। इसी तरीके से गर्मी में बिजली के तार टूटने पर वहां फसल जलकर राख हो जाती है और उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मान्यवर, बेहट तहसील में फायर ब्रिगेड की कोई शाखा नहीं है और आग लगने पर जनपद मुख्यालय सहारनपुर से फायर ब्रिगेड पहुँचने में लगभग एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। हमारा यह कहना है कि इस तहसील का रकबा लगभग 50-60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि यह एक बहुत पुरानी समस्या है। इस पर पहले भी काफी मर्तबा गौर किया गया, लेकिन इत्तेफाक से आज तक इस पर

अमल नहीं हो पाया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस समस्या को हल कराने में जिला सहारनपुर के लोगों की मदद करने का कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

نے آپ کہ شکریہ بہت بہت کا آپ جناب، **:(سہارنپور) صاحب الرحمٰن فضل حاجی جناب** دیا۔ موقع کا بولنے میں آور زیرو مجھے

کوئی کا بریگیڈ فائر پر جہاں ہے۔ تحصیل بیہٹ ایک میں حلقہ پارلیمانی سہانپور سال ہر کہ ہے کہنا سے آپ میرا ہے۔ مسئلہ سنجیدہ ہی بہت ایک یہ ہے۔ نہیں انتظام بہت کا مال و جان اور ہے جاتی لگ آگ میں جھوپڑیوں جھُگی میں موسم کے گرمی راکھ کر جل فصل وہاں پر ٹوٹنے تار کے بجلی سے طریقے اسی ہے۔ ہوتا نقصان زیادہ ہے۔ ہوتا نقصان زیادہ بہت بھی سے اس اور ہے جاتی ہو

لگنے آگ اور ہے نہیں شاخہ کوئی کی بریگیڈ فائر میں تحصیل بیہٹ محترم، گھنٹہ ڈیڑھ سے ایک بھگ لگ میں پہنچنے بریگیڈ فائر سے سہارنپور مکھیالیہ پرضلع بیچ کے میٹر کلو **50-60** بھگ لگ رقبہ کا تحصیل اس کہ ہے کہنا یہ ہمارا ہے۔ جاتا لگ ۔ ہے مسئلہ پرانا بہت ایک یہ کہ ہے گزارش سے آپ ہماری لئے اس ہے۔ ہوا پھیلا میں نہیں عمل پر اس تک آج سے قسمتی بد لیکن ہے، گیا کیا غور بار کافی بھی پہلے پر اس پایا۔ ہو

ضلع میں کرانے حل کہ مسئلے اس آپ کہ ہوں کرتا گزارش سے آپ میں میں ہے۔ امید مجھے ایسی گے، کریں کوشش کی کرنے مدد کی لوگوں کے سہارنپور ہوں۔ کرتا ادرا شکریہ بہت بہت کا آپ

(ختم شد)

माननीय अध्यक्ष : श्री गिरीश चन्द्र - उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव जाधव।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र बुलढाणा के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर रखना चाहता हूं। वर्ष 2010-11 के अर्थ संकल्प में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में खामगाव-जालना नई रेल लाइन बनाने हेतु 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2012-13 में रेल विभाग को सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ 1,026 करोड़ रुपये का इस्टीमेट भी दिया गया था। उसके बाद 25 फरवरी, 2016 के रेलवे अर्थ संकल्प में पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित नई लाइन्स में खामगाव-जालना रेल मार्ग बनाने हेतु तीन हजार करोड़ रुपये की लागत राशि स्वीकृत की गई थी। इस संदर्भ में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विगत 100 वर्षों से खामगाव-जालना नई रेल लाइन बनाने की माँग क्षेत्र की जनता की ओर से की जा रही है। यह अत्यधिक चिंता एवं आश्चर्य का विषय है कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। विधान सभा चुनाव 2014 के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने खामगांव में अपनी चुनावी रैली में कहा था कि अगर खामगांव का विधायक और महाराष्ट्र में बी.जे. पी. की सत्ता आएगी तो इस रेल लाइन के काम को हम प्राथमिकता से शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हुआ है। महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि बुलढाणा जिला पिछड़ा जिला है। यह आत्महत्याग्रस्त किसानों का जिला है। इस जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस रेल लाइन शुरू करने की कार्रवाई करें।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने काफी प्रगति की है, लेकिन आपका ध्यान मैं देश के आखिरी छोर कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां रेल से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दे हैं। एक, छितौनी से तमकुही

तक 64 किलोमीटर की रेल परियोजना दस सालों में मात्र चार किलोमीटर तक पूर्ण हुई है और इस परियोजना को धन के अभाव में पूर्ण रूप से लम्बित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को बिहार, कुशीनगर और नेपाल की जनता के लिए शुरू कराया जाए। कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र बौद्ध सर्किट क्षेत्र में है। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण आखिरी दौर में है। पर, वह आज तक रेल की सुविधा से वंचित है। वहां रेल की परियोजना की पूर्ण डीपीआर वर्ष 2018 से रेलवे बोर्ड में सुप्तावस्था में है। इसे जाग्रत करके इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी. पी. जोशी को श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, हज़ारों वक्फ संपत्तियां अभी भी अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे में हैं, लेकिन सरकार इसे हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। संबंधित मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले डेढ़ वर्षों में अतिक्रमण के 2,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, जीरो आवर चल रहा है और हाउस में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सभी किताब पढ़ा कीजिए। शून्य काल में किसी कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। शून्य काल में कोई भी माननीय कैबिनेट मंत्री के होने की आवश्यकता नहीं है। एक, दो, सभी मंत्रीगण बैठे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सब बातों का नोटिस ले रहा हूं। मैं अध्यक्ष हूं। आपका संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): यह जानकर आश्चर्य होता है कि वक्फ की भूमि पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी अवैध कब्जा किया गया है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों में 16,963 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया है। अतः मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसी वक्फ भूमि को शीघ्र खाली कराने हेतु आवश्यक और ठोस कदम उठाए जाएं, तथा इसे उसके धार्मिक उद्देश्य के लिए उचित रूप से उपयोग किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सबको मौका मिलेगा। सदन सबके लिए है।

श्री सी. पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए। चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में किसानों की फसल बर्बाद हुई है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संरक्षण किसी को ज्यादा बोलने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण विषय के लिए है।

श्री सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, इस विषय में आपका संरक्षण इसलिए चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए।

महोदय, पिछले कार्यकाल में जब राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा राजे जी मुख्य मंत्री थी, तो उस समय भी फसल खराब हुई थी, लेकिन उस समय तीन दिनों तक विधान सभा स्थगित की गयी और हम सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में गए थे। 50 परसेंट फसल खराबी का जो नियम था, पहली बार उसको घटाकर 33

परसेंट किया गया और करोड़ों रुपये किसानों के खातों में भारत सरकार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से गए। अभी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में एक दिन में ही 8 से 10 इंच बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 125 इंच तक बारिश हुई, जो कि कल्पना से परे है। वहां किसानों के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उन किसानों को राहत पहुंचाई जाए। अभी राज्य सरकार ने किसानों की मांग के ऊपर गिरदावरी शुरू की है, लेकिन ऊपर से अधिकारियों को निर्देश है कि गिरदावरी में 30-32 परसेंट से ज्यादा फसल की खराबी नहीं दिखानी है, जब कि फसल की खराबी 80 परसेंट से ज्यादा हुई है।

महोदय, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है। पहले भी भारत सरकार की टीम आई और अध्ययन करके गई। वहां वास्तव में जो फसल की खराबी हुई है, उसका अध्ययन करके किसानों की फसल खराबी का पैसा दिलाया जाए। महोदय, वहां अफीम के किसान भी हैं। उनकी फसल खराबी के कारण भी मार्फिन पूरी नहीं बैठ पाई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, हमने भी उनसे आग्रह किया है। अगर इसमें कमी होगी, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला नहीं होगा। यही आग्रह मैं अपनी ओर से करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह को श्री सी. पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन माननीय सदस्यों को इस सप्ताह के अंदर शून्य काल में अतिरिक्त समय बिना लिस्टेड दिया गया है, उनका नंबर अगले सप्ताह के शून्य काल में नहीं आएगा, जब तक कि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट नहीं हो। यदि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट होगा, तो उनका नंबर आ जाएगा और यदि जनरल विषय होगा, तो नहीं आएगा। न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड, मध्य प्रदेश में विगत 15-16 नवंबर को अत्यधिक वर्षा हुई। कोटा बैराज और राजस्थान की चंबल नदी में लगातर अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। इसके कारण आठ विधान सभा के छोटे एवं सीमांत किसानों की हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हुई, इसके साथ ही सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं

और बेजुबान मवेशियों को कष्ट झेलना पड़ा है। वहां कई मवेशियों की मौत भी हो गई है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और सड़कों की मरम्मतीकरण के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। वहां जिनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके भवनों के जीर्णोद्धार कराने के साथ-साथ मवेशियों को चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए भी मैं सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करती हूं। जिन किसान भाई-बहनों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए भी मैं मुआवजे की मांग करती हूं। महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि (थूथुक्कुडी): महोदय, सरकार द्वारा किए गए शोध के अनुसार, भारत की लगभग एक-तिहाई समुद्र तट रेत के कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तमिलनाडु में, इसके लगभग 41 प्रतिशत समुद्र तट रेत के कटाव के कारण समाप्त हो गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र थूथुक्कुडी में व्यापक तटरेखा है और सैकड़ों मछली पकड़ने की बस्तियां यहां स्थित हैं। कुछ ही हफ्तों में, इस क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा समुद्र में डूबने की कगार पर है। यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, और सरकार द्वारा समुद्री दीवारों तथा घाटियों का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे देश में इस चुनौती का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार के पास इन गांवों और मछुआरों के जीवन की सुरक्षा हेतु कोई दीर्घकालिक और प्रभावी योजना मौजूद है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. मणिक्कम टैगोर तथा श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुप्रिया सुले जी।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, नमस्ते, थैंक यू। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल एक एक्सीडेंट हुआ था। जो वारकरी सम्प्रदाय के लोग हैं, उनमें 2 का देहान्त हो गया और 16 का एक्सीडेंट हो गया। एक प्रोग्राम नितिन जी की लीडरशिप में शुरू हुआ था। आलंदी से पंडरपुर और देहू से पंडरपुर, जिसको हम महाराष्ट्र में पालकी मार्ग कहते हैं, उसको जल्द से जल्द पैसा मिले और वह काम पूरा हो जाए।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): मैं तमिलनाडु राज्य के निर्धन वर्ग से संबंधित एक गंभीर समस्या को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित चावल की आपूर्ति में भारी कमी देखी गई है। ज्ञात हुआ है कि अक्टूबर माह में चावल की बिक्री के आधार पर आपूर्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। केंद्र सरकार की असंवेदनशील कार्रवाई के कारण गरीब लोगों के लिए उपलब्ध चावल का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। अनुमान है कि प्रत्येक 1,000 लाभार्थियों में से 100 व्यक्तियों को चावल से वंचित होना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी में राशन की दुकानों में 25 टन चावल की आपूर्ति नहीं हुई है और पूरे राज्य में 21,000 टन चावल की आपूर्ति नहीं हुई है। महोदय, मैं इस अवसर पर सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में, राज्य सरकारों को रु.3.50 प्रति किलोग्राम की दर से चावल की आपूर्ति की जाती थी, जबकि भाजपा सरकार अब चावल की आपूर्ति रु.32.50 प्रति किलोग्राम की दर से करती है। तमिलनाडु में दो करोड़ परिवार राशन कार्ड धारक हैं। इसमें से अधिकांश को चावल मिल रहा है। केंद्र सरकार की असंवेदनशील कार्यवाही से निर्धन लोग प्रभावित होंगे। इसलिए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु को चावल की सामान्य आपूर्ति बहाल की जाए और गरीब लोगों की सुरक्षा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप लिख कर भी लाए हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक मिनट का वहां पर ध्यान रखेंगे और उतना ही पढ़कर बोलेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान भारत में हाल ही में घटी दो महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं — एक परसों दिल्ली के जे.एन.यू. में हुई, तथा दूसरी कल तिरुवनंतपुरम में घटित हुई।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने केरल का मामला बोला है।

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन: नहीं, मैं केरल के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक व्यापक समस्या उठाना चाहता हूं, जो भारत में छात्र समुदाय के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यवहार से संबंधित है। परसों जे.एन.यू. में छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। वहीं, कल त्रिवेंद्रम में विधायक शफ़ी परम्बिल और के.एस.यू. के राज्य अध्यक्ष के. एम. अभिजीत हड़ताल पर थे। कृपया आप हड़ताल का कारण देखें। 9 वर्ष और 13 वर्ष की दो *दलित* लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और अभियोजन पक्ष ने कुछ नहीं किया और अंततः अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। मामले की सी.बी.आई. जांच कराने के लिए केरल में छात्र समुदाय ने कल विधानसभा तक मार्च निकाला था। विधायक के साथ बेरहमी से हाथापाई की गई। महोदय, तस्वीरों से पता चलता है कि किस तरह से के.एस.यू. के अध्यक्ष के साथ पुलिस द्वारा हाथापाई की जा रही थी। इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। देश में छात्र समुदाय के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। इसलिए, मैं वलयार की घटना पर सी.बी.आई. जांच और इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग कर रहा हूं। छात्र समुदाय को हड़ताल करने का अधिकार है। छात्र समुदाय की वास्तविक लोकतांत्रिक मांगों के लिए उन्हें हड़ताल करने का अधिकार है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सब एसोशिएट कर दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. मुरलीधरन और श्री कोडिकुन्नील सुरेश को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं पश्चिम बंगाल में जनता पर डेंगू के द्वारा हुए अटैक के हाल के बारे में बताऊंगा। मैं इसे बांग्ला में बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

*पश्चिम बंगाल में 50,000 लोग डेंगू से पीड़ित हैं और 23 व्यक्तियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार इस खतरे को नियंत्रित करने में असमर्थ है। कोलकाता के बाल चिकित्सालयों में 85% रोगी डेंगू से पीड़ित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से तत्काल राहत की मांग करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोगवाहक नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए करोड़ों रुपये कहां गए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मनरेगा की राशि से जलस्त्रोतों की नियमित सफाई क्यों नहीं करायी जा रही है? उन्हें यह बात आम लोगों को बतानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए। यह जानना आवश्यक है कि वास्तविक स्थिति क्या है, अब तक डेंगू से कितनी मौतें हुई हैं और क्या इस संबंध में राज्य सरकार को केंद्र से किसी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। धन्यवाद महोदय।

---

* मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज में सरायमीर रेलवे स्टेशन के पूरब ग्राम पवई-लाड़पुर समपार संख्या 50 सी एवं ग्राम खरेवा समपार संख्या 52 सी है। यहां अंग्रेजों के जमाने से पटरी बिछायी गई है। उक्त दोनों गेटों से 50 गांवों की जनता जाती है। छात्र-छात्राओं के लिए मदरसा, स्कूल, कॉलेज एवं ब्लॉक आदि तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। किन्तु जनवरी, 2018 में 50सी और 52सी को बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस बारे में शासन-प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। अत: आप से अनुरोध है कि संपूर्ण जनता की जनभावना के हित में समपार संख्या 50सी और 52सी को पुन: खोलने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रेखा अरूण वर्मा को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री थोमस चाज़िकाडन (कोट्टायम): महोदय, कृपया मुझे इस सम्माननीय सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाने की अनुमति दें। हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड पिछले एक साल से बहुत संकट में है। 5,000 से अधिक कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष से वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता है। इस मामले को संसद के पिछले सत्र के दौरान इस सम्माननीय सभा के समक्ष मेरे द्वारा उठाया गया था। कोलकाता में मूल कंपनी हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिक्विडेटर, केरल सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक के प्रतिनिधियों और एच.एन.एल. के प्रबंध निदेशक के साथ एक चर्चा हुई। बैठक के दौरान लिक्विडेटर ने 25 करोड़ रुपये में एच.एन.एल. के 100 प्रतिशत शेयर केरल सरकार को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसे तुरंत मंजूरी दें ताकि कंपनी अपना परिचालन फिर से शुरू कर सके और कर्मचारियों और श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान किया जा सके। इससे समाचार-पत्र उद्योग और अपने अस्तित्व के लिए इस औद्योगिक इकाई पर निर्भर 5,000 से अधिक परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बार फिर इस महती सभा के माध्यम से भारत सरकार से इस प्रस्ताव पर तुरंत सहमति देने का आग्रह करता हूं।

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुवन्नामलाई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात धार्मिक स्थल है, जो पूरे वर्ष हर माह लाखों तीर्थयात्रियों को पवित्र अरुणाचलेश्वर मंदिर की परिक्रमा और दर्शन के लिए आकर्षित करता है, जिसे 'गिरिवलम' के नाम से जाना जाता है। चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यहां तक कि तिरुवन्नामलाई से होकर गुजरने वाली पुडुचेरी-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का भी यहां पर ठहराव नहीं है। तिरुवन्नामलाई का रेलवे स्टेशन एक खराब स्थिति में है; यहां तक कि यात्रियों के लिए कोई प्रतीक्षा कक्ष नहीं है। तिंडीवनम से तिरुवन्नामलाई तक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से संबंधित कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। यात्रियों को ट्रेन से शहर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच सीधी ट्रेन सुविधा की तत्काल आवश्यकता है। मैं आगामी आम बजट में चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच एक दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के लिए आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू में मूंगफली की जो खरीद हो रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 85 प्रतिशत वर्षा आधारित खेती होती है, मात्र 15 परसेंट ही पानी से सिंचाई होती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बारिश हुई, हमारे क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार होती है, उसमें कुछ खराब भी हो गई।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

नैफेड खरीद करती है वह राजफैड के थ्रू करती है। मूंगफली के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है। वे पूरी रात ठंड के मौसम में बाहर लेकर बैठे रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस बात को फोकस किया जाना चाहिए। नैफेड को निर्देशित किया जाना चाहिए कि खरीद पारदर्शिता से हो। 25 क्विंटल का मिनिमम कैप किसान पर लगा रखा है यानी एक किसान से 25 क्विंटल मूंगफली ही खरीदी जाएगी। मेरा निवेदन है कि इस कैप को हटाया जाना चाहिए। किसान की जितनी पैदावार हुई है, उसे खरीदने का कष्ट सरकार करे। मेरा यही अनुरोध सरकार से है।

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह को राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री वी. वैथिलिंगम (पुडुचेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुडुचेरी में लगभग 1.5 लाख श्रमिक ई.एस.आई. निगम के अंतर्गत नामांकित हैं, जिनके परिवार के अधिकांश सदस्य भी लगभग तीन लाख लाभार्थियों में सम्मिलित हैं। अतः कुल मिलाकर लगभग 4.5 लाख लोग ई.एस.आई. निगम में नामांकित हैं। वर्तमान में, ई.एस.आई. निगम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कोई प्रत्यक्ष अस्पताल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः मैं ई.एस.आई. निगम से पुडुचेरी में 100 बिस्तरों वाले एक मॉडल अस्पताल की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं, जिससे श्रमिकों को हृदय जैसे गंभीर ऑपरेशन की आवश्यक चिकित्सीय सुविधा सुलभ हो सके। फिलहाल ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है और कर्मचारियों को उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुडुचेरी में एक अस्पताल स्थापित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट): आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सभी प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी विद्यालयों के नवीनीकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि

आंध्र प्रदेश में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से दो महत्वपूर्ण अनुरोध प्रस्तुत करना चाहता हूं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। अतः मैं केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि आंध्र प्रदेश को 50 प्रतिशत मिलान अनुदान प्रदान किया जाए, जिससे इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

दूसरी बात, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्यालयों के नवीनीकरण को मनरेगा के साथ एकीकृत किया जाए ताकि चित्रकारी और बढ़ई से संबंधित सभी कार्य, और यहां तक कि अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके।

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सीट बदलकर दी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैं साथ ही लोक सभा सचिवालय का आभार व्यक्त करता हूं, खासकर मैडम सैक्रेट्री जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं।मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के बारे में बोलना चाहता हूं। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, गरीब लोगों के लिए काफी लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार से निर्देश हुआ है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, वहां की लोकल बॉडीज़, चुनी हुई इकाइयों के थ्रू लागू किया जाए ताकि सही में बेनिफशरीज को लाभ प्राप्त हो सके। यह निर्देश भारत सरकार से जारी हुआ है। हमने देखा कि इसके बावजूद भी जितनी भी योजनाएं हैं, उनको ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि लोकल बॉडीज़ को बाईपास किया गया है और सारी योजनाएं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास रख ली हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को सही से इसका लाभ नहीं मिला। इसके अलावा काफी कम्पलेंट्स हुईं, भारत सरकार के सामने भी हुई। केंद्र शासित प्रदेश या जहां एसैम्बली नहीं है, वहां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निर्देश जारी करे और जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक तरह से लागू की जाएं। इनके ऊपर ध्यान रखना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा निर्देश

जारी किए गए और इसके बाजवूद भी इसे लागू नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि काफी लोग परेशान हुए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत दादरा और नागर हवेली में जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में फिर से बताया जाए कि उसको ठीक से लागू करें ताकि जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ अच्छी तरह से लोगों को मिले। यह मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष, महोदय, अभी यह मुद्दा उठाया गया था कि डेंगू बुखार के कारण 50,000 लोगों की मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता शहर में मृतकों की संख्या 23 हो गई है। कोलकाता भारत का एकमात्र राज्य है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य विभाग को एक प्रमुख प्राथमिकता मिलती है। मुझे भारत सरकार द्वारा कोलकाता शहर की इस स्थिति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा को भ्रमित होने नहीं देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हम सभी बच्चों की मृत्यु से अत्यंत चिंतित हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम समन्वित प्रयास करके डेंगू का शीघ्र उन्मूलन सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार राज्य के सहरसा जिला में कोसी नदी जो हिमालय से निकलती है, वह इस जिले से भी होकर गुजरती है। स्थिति यह है कि सहरसा जिला की दर्जनों पंचायत जो इसके पश्चिमी हिस्से में हैं, उनका सम्पर्क प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से कटा गया है, कहीं जाने के लिए नाव ही एक सहारा है जिसके कारण वहां के लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। उन इलाकों में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि कोई व्यक्ति रात में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए

तो उसको मरना ही पड़ता है। रात में नाव भी नहीं चलती है। कोसी नदी एक प्रखर नदी है और उस पर जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक उस इलाके के लोगों का कल्याण नहीं होगा। उस इलाके को सिर्फ कोसी नदी ही नहीं बल्कि बागमती और कमला नदी भी पीछे से घेरती है। वहां के लोगों का जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस इलाके के लोगों को भी सुविधा मिले। भारत सरकार डेंगराही घाट कठडूमर घाट में पुल का निर्माण कराए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यही मांग करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में विस्तारित और विश्व की सबसे बड़ी नमक की झीलों में से एक सांभर झील के अंदर लगातार पक्षियों की बहुत त्रासदी हो रही है। मैं एक मिनट में आपनी बात को समाप्त करूंगा। सांभर झील में हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के साथ-साथ दूसरे पक्षी अपना जीवन चक्र बढ़ाने के लिए सांभर झील में आते हैं। मगर, दुर्भागय से 17 हजार से ज्यादा प्रवासी पक्षी काल-कवलित हो गए। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के रूप में विश्व के पटल पर एक बार फिर राजस्थान की नाकारा सरकार की वजह से कहीं न कहीं देश की साख पर सवाल उठा है। पन्द्रह दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सही रूप से यह पता नहीं चल पाया कि हजारों की तादाद में पक्षियों की मौत कैसे हुई। राजस्थान में जांच के लिए कोई लैब नहीं है। केंद्र से भी टीम गई थी, मगर पक्षियों का मरना अभी भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार बड़े स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हस्तक्षेप करे और वहां बचे हुए पक्षियों का रेस्क्यू करवाए। रेस्क्यू में जो लापरवाही हुई है, उसकी उच्च स्तर पर जांच कराकर कार्रवाई करे। इसका दूसरा कारण यह भी है कि बरसाती नदियों का सम्मिलित क्षेत्र में अतिक्रमण भारी तादाद में हो गया है। एक निजी रिसोर्ट को पूर्व की सरकार ने साल्ट लेक की जमीन लीज पर दे दी। लगभग 431 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। पक्षियों की त्रासदी का यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस पर एक उच्च स्तरीय निर्णय जरूरी है क्योंकि साल्ट लेक का मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही है। आप इसके लिए तत्काल कदम उठाएं, नहीं तो

साइबेरियन सारस खत्म हो जाएंगे, उनका यहां आना बंद हो जाएगा। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. टी. थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की तमिलनाडु में चेन्नई यात्रा के दौरान पूर्वी तट सड़क (ई.सी.आर.), राज्य राजमार्ग 49, सभी के आकर्षण का केन्द्र था। यह अत्यंत दर्शनीय एवं सुन्दर है। लेकिन यह तमिलनाडु में, विशेषकर चेन्नई क्षेत्र में, सर्वाधिक दुर्घटना-प्रवण घातक सड़कों में से एक है। दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में अत्यधिक गति, तीव्र मोड़, ब्लैक स्पॉट और ईस्ट कोस्ट रोड के दोनों ओर व्यापक अतिक्रमण शामिल हैं। यद्यपि दुर्घटनाओं के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, किन्तु मृत्यु दर में वृद्धि का मुख्य कारण वास्तविक ट्रॉमा और आपातकालीन देखभाल सुविधाओं से युक्त एक पूर्ण विकसित अस्पताल की अनुपस्थिति है। वर्ष 2016 में तमिलनाडु में मृत्यु दर 17000 बताई गई है जो वर्ष 2019 तक चिंताजनक रूप से बढ़ गई है। इंजामबक्कम में पहले से ही एक सरकारी अस्पताल पहले से ही स्थापित है, जिसमें सात बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, यह एक पूर्ण विकसित चिकित्सालय नहीं है और आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं है। महोदय, इसलिए, मैं आपके माध्यम से तमिलनाडु के लोगों के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चोलिंगनल्लूर में एक पूर्ण मल्टी-स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार पर जोर देने का अनुरोध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सय्यद ईम्तयाज़ ज़लील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि सदन के अंदर बहुत सारे ऐसे माननीय सांसद हैं जो शिरडी के साईंबाबा के भक्त हैं। शिरडी जाने के लिए जो रास्ता है और विशेषकर दक्षिण राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं, वे औरंगाबाद में उतरते हैं और औरंगाबाद से शिरडी की तरफ जाते हैं। यह रास्ता महज सौ कि. मी. का है लेकिन यह रास्ता इतना खराब है कि सौ कि.मी. ट्रैवल करने के लिए तीन-साढ़े-तीन घंटे लग जाते हैं। हमने पी.डब्ल्यू. डी मिनिस्टर साहब से अपील की है कि अगर औरंगाबाद और शिरडी को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस-वे बनाया जाए तो यकीनन बहुत सारे श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा और जो सफर तीन घंटे के अंदर कटता है, वह वे एक या सवा घंटे के अंदर वहां पर पहुंच सकते हैं और यकीनन वे जाते हैं तो दुआ मांगने के लिए जाते हैं। हमारी यह उम्मीद रहेगी कि वे वहां पर दुआ मांगें और अगर आप सुपर एक्सप्रेस-वे बनाने की इजाजत दे दें तो यकीनन वे लोग सरकार के लिए और आपके लिए भी दुआएं करेंगे।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिल्म फैस्टिवल अटैंड करने के लिए चाइना जाना था। मेरा जो प्रोफैशन है, उसके लिए वहां जाना था। उसके साथ पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं था। लेकिन वीसा के लिए वे लोग बोले कि होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एन. ओ.सी. लेना चाहिए और आपको इनफॉर्मेशन देनी चाहिए थी जो हमने उनको दे दी। लेकिन इनफॉर्मेशन, एनओसी के लिए जो हैरेसमेंट हुआ, वह बताने के लिए मुझे दस ज़ीरो ऑवर चाहिए। वह मैं छोड़ रही हूं। लेकिन फिर भी जब मुझे वीसा भी मिल गया, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मुझे एनओसी डिक्लाइन कर दिया गया और वह भी बिना किसी कारण के डिक्लाइन कर दिया गया। मुझे जानना है कि मुझे एनओसी क्यों नहीं दिया गया? मैंने जब उनके ऑफिस में रीज़न जानने के लिए फोन किया तो वे लोग रीज़न

बता नहीं सकते। लेकिन आपको इसमें इंटरफियर करना चाहिए क्योंकि मैं एम. पी. बन गई हूं, इसलिए बाहर नहीं जा सकती। यह कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन हम लोगों के*… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे मत बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सवाल उठाया है, वह सदन के पटल पर आ गया है लेकिन बोलते समय संयम भाषा में बात करें।

… (व्यवधान)

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, जो करतारपुर कॉरीडोर माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने खोला है, उसके लिए पूरे देश भर से और खासकर सिख और सिंधी समाज की तरफ से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां जाने के लिए जो पासपोर्ट कम्पलसरी किया गया है, उसे बंद करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको वहां जाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट बनाना पड़े, यह न्यायोचित नहीं है। पासपोर्ट की कंडीशन हटानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2000 रुपये या 1500 रुपये जो शुल्क रखा है, उसको भी अबॉलिश करना चाहिए। वह शुल्क भी नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के श्रद्धालु अजमेर की दरगाह में आते हैं तो हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर लोग यहां से वहां माथा टेकने जाते हैं तो उनसे भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह आपसे अपील है।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह को श्री श्री शंकर लालवानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के दो जिले झाबुआ और अलीराजपुर में बीएसएनएल की सर्विसेज पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। वहां न तो लैंडलाइन के फोन चल रहे हैं और न ही बीएसएनएल के फोन चल रहे हैं। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमें पिछले पांच-सात महीनों से वेतन नहीं मिला, मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है और जो केबल कट जाती है तो हमारे पास केबल भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दे कर इस समस्या का निराकरण करें।

[अनुवाद]

श्री गौतम सिगामणि पोन (कल्लाकुरिची): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को ऋण देने से इनकार करने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। सभी बैंक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों को भी ऋण देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि पूरे तमिलनाडु में हो रहा है। जब विद्यार्थी ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं, तो छात्रों से संपार्श्विक प्रतिभूति मांगी जाती है। विद्यार्थियों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति देना कैसे संभव है? उच्चतम न्यायालय का एक स्पष्ट निर्णय है कि रु. 4 लाख के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में, विद्यार्थी पढ़ाई बंद कर देते हैं या साहूकारों के पास चले जाते हैं और अंततः यह एक बड़ी त्रासदी का कारण बनता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बैंकों को उन विद्यार्थियों को ऋण देने का निर्देश दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस. को श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा उठाए गए विषय के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी गोड्डेति माधवी (अराकु): महोदय, आंध्र प्रदेश को एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसे विज़यानगरम के रेली गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। रेली गांव को

स्थायी परिसर का स्थान बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा पुनः परीक्षण करने पर इसे अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को अनुसूचित क्षेत्र में ही स्थापित करने के लिए आदिवासी संगठनों द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया। इसके लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में विज़यानगरम के सलुरु में 250 एकड़ भूमि की पहचान की। आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव ने इस संबंध में मंत्रालय को पहले ही एक पत्र लिखा है। मैं भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थान को रेली गाँव से विज़यानगरम जिले के सलुरु में स्थानांतरित करने की मंजूरी देने का अनुरोध करती हूं।

श्री नितेश गंगा देब (सम्बलपुर): महोदय, मैं ओडिशा राज्य के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्बलपुर से संबंधित फसल बीमा और किसानों की समस्याओं पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सम्बलपुर, ओडिशा के पश्चिमी भाग में स्थित है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसान पिछले लगभग 28 दिनों से हड़ताल पर हैं। ये छोटे और मध्यम वर्ग के किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं। चक्रवात और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी खरीफ फसलों को नष्ट कर दिया है। ये किसान न्यूनतम स्तर का जीवन जी रहे हैं। खरीफ फसल की विफलता ने उनकी मुस्कान और खुशी छीन ली है। वे फसल बीमा पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मैंने उनकी हड़ताल के दौरान व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात भी की है। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि फसल बीमा लाभार्थी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के बजाय ओडिशा सरकार ने इस रिपोर्ट को लगभग नौ महीने तक रोक कर रखा है। यह किसानों के प्रति ओडिशा सरकार की लापरवाही को दर्शाता है।

मैं राज्य सरकार के इस रवैये की निंदा करता हूं। मुझे हाल ही में पता चला है कि ओडिशा सरकार ने फसल बीमा लाभार्थियों की सूची कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार को भेजी है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का पैसा जल्द से जल्द जारी

किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि स्वामीनाथन समिति द्वारा अनुशंसित धान के मूल्य में वृद्धि की जाए, और किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए *मंडी* को मजबूत किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं देश के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पूरे देश के वृद्ध महिला-पुरुष, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की एक बड़ी और गम्भीर समस्या को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। जब हम लोग गाँवों में घूमते हैं, तो हजारों लोग ऐसी शिकायत करते हुए मिलते हैं, ऐसे लोगों की संख्या मेरे जिले में लाखों की है और पूरे देश में उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। पहले जिनको पेंशन मिलती थी, आज वह बंद है, चाहे वह दिव्यांगजन, विधवा या वृद्ध के लिए हो। केन्द्र सरकार द्वारा भी पेंशन दी जाती है और उसमें राज्य सरकारों का अंश भी होता है। इस समस्या को रखते हुए, इस संबंध में मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सर्वे के कारण या किसी भी तकनीकी कारण से ऐसे लोगों के नाम छूट गये हैं या पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, किसी कारण से आज उनको पेंशन मिलनी बंद हो गई है, तो उसके लिए भारत सरकार फिर से सर्वे कराए। जब सर्वे होता है, तो एजेन्सियों की गलती के कारण, वैसे लोग जो इसके सही हकदार हैं, जो जेन्यून बेनिफिशियरीज हैं, उनके नाम छूट जाते हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे सांसद हों या विधायक हों, उनको भी पाँच-दस प्रतिशत छूट मिले और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि हाँ, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, यह सच में निर्धन और भूमिहीन हैं। इसलिए जो इसके हकदार हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। यह देश के करोड़ों लोगों के कल्याण की योजना है, जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि करोड़ों गरीब लोगों का भला होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद के गरीब आर्टिजन्स की ओर दिलाना चाहता हूं। ये इतने गरीब आर्टिजन्स हैं, जो दिनभर काम करते हैं, तो रात को रोटी नसीब होती है। अचानक तुगलकी फरमान आता है कि उनकी भट्ठियों को बंद कर दिया जाए। इस सिलसिले में हमने श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं, उन्होंने पॉजीटिव रेस्पांस दिया। मुरादाबाद में पीएनजी लगाने का ऑर्डर दिया गया। मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इनकी भट्ठियों को उस वक्त तक न बंद किया जाए, जब तक पीएनजी वहां अवेलेबल न हो जाए। यह उनके डोर-स्टेप तक पहुँच जाए ताकि उनकी रोज़ी-रोटी चल सके। हम सब जानते हैं कि पॉलूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पॉलूशन के साथ-साथ भुखमरी या इलाज के अभाव में लोग मरने लगें, तो यह भी हमारे लिए एक शर्मनाक बात होगी।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खरगौन लोक सभा क्षेत्र के तहत बड़वानी और खरगौन जिलों के ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष दोनों जिलों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर काफी कपास होता है। परन्तु मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मेरे किसान भाइयों का व्यवस्थित रूप से सर्वे न करने और सही मूल्यांकन न करने के कारण उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बीमा कम्पनियों द्वारा भी सर्वे किया गया है। परन्तु कई किसानों द्वारा शिकायत करने के बाद भी आज तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ताकि मेरे किसान भाइयों को शीघ्र ही लाभ मिले। बीमा कम्पनियों से लाभ दिलाएँ ताकि किसानों का हित हो सके।

[अनुवाद]

श्री कुरुवा गोरांतला माधव (हिन्दुपुर): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बोया समुदाय, जिसे वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सबसे बड़ा जीवित समुदाय है। बोया समुदाय अपनी बहादुरी, साहस, निडरता, मूल्यों और निष्ठा के

लिए विख्यात है। वे प्राचीन जनजातियों में से एक हैं, जो विशेष रूप से युद्धकला में निपुण रहे हैं। इतिहास में उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और चोल, चालुक्य, काकतीय तथा विजयनगर जैसे साम्राज्यों एवं राजाओं की अत्यंत निष्ठा, वीरता एवं मूल्यों के साथ सेवा की है। ब्रिटिश काल में बोया समुदाय को वाल्मिकी जाति के साथ आपराधिक जनजाति एवं आदतन अपराधी के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। हाल के दिनों में, बोया वाल्मिकियों का इस्तेमाल सरदारों, अत्यधिक प्रभावशाली राजनेताओं, गुटवादियों और नक्सलियों द्वारा असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बोया वाल्मिकी अपने मासूम स्वभाव, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण कई क्रूर हत्याओं में फंसे हुए थे। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप, यदि उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, और यदि वे जीवित बचे तो जेलों में बंद किया जाता था। बावजूद इसके, बोया वाल्मिकी अपनी ईमानदारी और जुझारूपन के लिए सदैव प्रसिद्ध रहे हैं। उनमें अच्छे गुण हैं, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली, असामाजिक तत्वों द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेष रूप से एक बोया रेजिमेंट की स्थापना की जाए, ताकि बोया युवाओं को इसमें शामिल किया जा सके और वे देश के लिए लड़ सकें। वे दुश्मन देशों से देश की रक्षा करेंगे। …(*व्यवधान*)

इसके अलावा, तेलुगु राज्यों में मैदानी इलाकों में रहने वाले बोया वाल्मिकियों को पिछड़ा वर्ग माना जाता है। तेलुगु राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में यही समुदाय अनुसूचित जनजाति श्रेणी में हैं। …(*व्यवधान*) मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस भेदभाव को दूर करें और मैदानी इलाकों में रहने वाले वाल्मिकियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उनके साथ न्याय करें।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे जनहित के एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एक बहुत महत्वकांक्षी योजना के तहत लोक सभा स्तर पर पासपोर्ट

ऑफिस खोलने का निर्णय लिया, जो कि देश के बहुत सारे लोक सभा क्षेत्रों में खोला भी गया। महोदय, मैं बिहार के महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अभी तक महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुल पाया है। मैं समझता हूं कि वहां पासपोर्ट ऑफिस न खुलने का जो कारण है, वह वहां का वरीय डाक अधीक्षक है। मैं चाहता हूं कि उन वरीय डाक अधीक्षक के मनमानेपन पर आप अपने स्तर से एक निर्देश दें, जिससे उन पर रोक लगाई जाए। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वे अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के पदस्थापन में भी काफी अनियमितता बरतते हैं। उनके माध्यम से कर्मचारियों को भी काफी परेशान किया जाता रहा है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। विभाग कार्रवाई कर के ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर के कठोर सजा दे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। महोदय, महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में शीघ्र पासपोर्ट ऑफिस खुले, ऐसा निवेदन करते हुए मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के अविलंब लोक महत्व के विषय मुझे मिले हैं, मैं बिल पारित होने के बाद प्रयास करूंगा कि उन माननीय सदस्यों को समय दे सकूं।

सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 1.29 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय सभापति : अब, नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार किया जाएगा। श्री सी. पी. जोशी - उपस्थित नहीं।

श्री विनोद कुमार सोनकर।

(एक) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर तथा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): आज देश में विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए अच्छी शिक्षा के उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन और अन्य साधनों की कमी है। हालांकि, केन्द्र सरकार ने शिक्षा के गहन अध्ययन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कैम्पस निकटवर्ती क्षेत्रों में खोलकर छात्र/छात्राओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था की है। चूंकि बिना शिक्षा के जीवन लक्ष्य रहित और कठिन हो जाता है, इसलिए शिक्षा के महत्व और दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता को समझते हुए विशेषत: देश के पिछड़े क्षेत्रों में छात्र/छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैम्पस खोलने एवं केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है। लेकिन अभी

तक यहां पर न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैम्पस खोला गया है और न ही केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु कोई कदम उठाया गया है। अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैम्पस खोलने के साथ-साथ वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय की भी स्थापना किए जाने हेतु शीघ्र कदम उठाए, ताकि स्थानीय गरीब छात्रों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति : श्रीमती पूनमबेन माडम - उपस्थित नहीं।

(दो) झारखंड के धनबाद जिले में सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद (झारखंड) में आईटी यूनिवर्सिटी न होने से, होने वाली समस्या पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झारखंड राज्य में आई. टी. यूनिवर्सिटी नहीं रहने के कारण झारखंड राज्य के बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस राज्य के लोग काफी गरीब हैं और बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, जिन्हें बाहर जाकर पढ़ने में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अत: सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले के सिन्द्री में आई. टी. यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए जहां पर सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज बिरसा इंस्टीट्यूट है, वहां पर आई.टी. यूनिवर्सिटी बनायी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : डॉ. सुजय विखे पाटील - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे - उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल – उपस्थित नहीं।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'कृषि मेला' आयोजित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक प्रमुख महानगर है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गन्ना यहां की प्रमुख फसल है। गोरखपुर और इसके आस-पास बड़ी संख्या में चीनी मिलें स्थित हैं। पूर्वांचल की भूमि उपजाऊ है। यहां अन्य फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इस क्षेत्र की उर्वर भूमि की इष्टतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। किसानों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल का महत्वपूर्ण योगदान है। समय-समय पर कृषि विशेषज्ञों से किसानों को प्राप्त उचित मार्गदर्शन से भी कृषि पैदावार में वृद्धि होती है।

अत: आपसे अनुरोध है कि गोरखपुर में प्रति वर्ष एक किसान मेले का आयोजन करने की कृपा करें। इससे इस क्षेत्र के किसानों को अनेकानेक लाभ होंगे और कृषि पैदावार में कई गुना वृद्धि होगी। कृषि मेले में किसानों को अद्यतन कृषि तकनीक, उच्च कोटि के बीज, उपयुक्त उर्वरक के बारे में विशेषज्ञों की राय मिलेगी और उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी किसान मेला बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अत: इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में कृषि मेले का आयोजन करने की कृपा करें।

माननीय सभापति: डॉ. सुभाष रामराव भामरे - उपस्थित नहीं।

(चार) मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री छतरसिंह दरबार (धार): महोदय, यदि हमारे देश का कृषि क्षेत्र मजबूत हो जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। देश के कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुधारने, कृषि के विविधिकरण वाली बुनियादी सुविधाओं और उच्च मूल्यवाली आपूर्ति श्रंखला से छोटे किसानों को जोड़ने से लघु और सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि जब तक समाज का यह बड़ा वर्ग गरीबी से पीड़ित रहेगा तब तक हमारे समग्र आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों से लघु और सीमांत किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। हमारे मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र धार के किसानों की फसलें इस बार अतिवृष्टि के कारण विनष्ट हो गई है। सरकार से मेरा आग्रह है कि किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सभी किसानों के खातों में एक वाजिब रकम तत्काल अंतरित की जाए, जिससे इन्हें वर्तमान खराब स्थिति का सामना करने में मदद मिल सके तथा वे अगली फसल की बुआई आदि कर सकें।

(पांच) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पट्टा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अन्तर्गत एवं नर्मदा में रिजर्व फारेस्ट एरिया के लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। उन लोगों को यातायात के लिए सड़कों का आभाव है और उनके खेतों को पानी नहीं मिलता है। उनके बच्चे स्कूल के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि वन संबंधी जो कानून हैं, उनके कारण सड़कें नहीं बन पाती हैं, स्कूल नहीं बन पाते हैं तथा सिंचाई के लिए चैकडैम नहीं बन पाते हैं।

केन्द्र सरकार का कहना है कि विकास संबंधी कार्यों में कोई देरी नहीं होती है, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में आदिवासियों की मौलिक सुविधाओं के लिए जो निर्माण कार्य होने हैं उन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इन सबके कारण वनों में रहने वाले वनवासी लोग शहर जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे क्षेत्र में वनभूमि के पट्टों का अधिकार कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

मेरा सरकार से इस संबंध में आग्रह है कि आदिवासियों को तत्काल वन भूमि के पट्टों का अधिकार दिया जाए।

(छह) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जिन किसानों को फसलों की क्षति हुई, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ विकास के हिसाब से अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृष और पशुपालन है। इस बार मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड के किसान भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्षा के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसानों की हालत अति दयनीय हो गई है। सरकार की किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में सम्मान निधि बिल्कुल अपर्याप्त है।अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि सम्मान निधि की तरह ही पीड़ित किसानों के खातों में एक वाजिब रकम तत्काल अंतरित की जाए, जिससे किसान अगली फसल की तैयारी के साथ अपना जीवनयापन कर पाएं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्रीमती मीनाक्षी लेखी - उपस्थित नहीं।

(सात) बी.पी.सी.एल. विनिवेश के बारे में

श्री हिबी ईडन (एरनाकुलम): बीपीसीएल में सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं प्रबंधन नियंत्रण का लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि में विक्रय करने का मौलिक निर्णय राष्ट्रीय हितों के प्रति हानिकारक है और उस सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम की स्थापना के मूलभूत रणनीतिक उद्देश्यों के प्रतिकूल है। आठ लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति विस्तार के साथ, 2018-19 के लिए संचालन से सकल राजस्व 3,37,622.53 करोड़ रुपये और 13,000 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज करने के अलावा एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों को रोजगार के अवसरों और पहल (डी.बी.टी.एल.) के लक्षित लाभार्थियों के लिए किफायती ऊर्जा संसाधनों तक प्राथमिक पहुंच प्रदान करने के मामले में अग्रणी होते हुए, मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बीपीसीएल के विनिवेश करने के निर्णय को तुरंत वापस ले और महा रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थिरता सुनिश्चित करे, ताकि राष्ट्र के लाभ के लिए यह जीवित रह सके।

(आठ) जी.आर.ई.एफ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा प्रदान किए जाने की आवशयकता के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन (पालक्काड़): जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स का गठन 1960 में किया गया था और इसे 1969 में स्थायी बनाया गया। इस बल की संरचना, सेना की संरचना के समान थी। सेना के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मियों को जी.आर.ई.एफ. में तैनात किया जाता है जैसा कि किसी अन्य सेना संरचनाओं में किया जाता है। वर्ष 2015 में जी.आर.ई.एफ. को रक्षा मंत्रालय के तहत लाया गया। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 मई, 1983 को आर. विस्वान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में यह कहा था कि जी.आर.ई.एफ. भारत के सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग है और देश के विभिन्न अन्य माननीय न्यायालयों ने भी यही विचार रखा है। अधिसूचना बी.आर.डी.बी. संख्या एफ81(1)84 के अनुसाराई.एस.टी.टी./70463/डी.जी.बी.आर./ई2ए(टी एन्ड सी) 14 अगस्त, 1985 को जी.आर.ई.एफ. को भारत के सशस्त्र बलों का अभिन्न अंग घोषित किया गया। अतः सरकार से आग्रह है कि जी.आर.ई.एफ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व सैनिकों के समान दर्जा प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन - उपस्थित नहीं।

श्री ए. गणेशमूर्ति - उपस्थित नहीं।

(नौ) तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर (पेरम्बलुर): तमिलनाडु में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पंजापति झील पानी की कमी की समस्या से जूझ रही है। यह जलाशय लगभग 1,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसके पास 30 गांवों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। इस झील के पानी का उपयोग बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की सिंचाई और अन्य जल आवश्यकताओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तथापि इस झील की उपेक्षा की जाती रही है और आज यह सूखी पड़ी है। बारिश के मौसम में कावेरी नदी उफान पर आ जाती है। अतिरिक्त पानी संग्रहित नहीं होता और अधिकांश समय समुद्र में बह जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त जल को विभिन्न माध्यमों से इन झीलों और जल निकायों में संगृहीत किया जा सकता है। यदि इस पानी को झीलों की ओर मोड़ दिया जाए, तो रास्ते में आने वाली कई अन्य छोटी झीलों को भरने के अलावा, इससे न केवल भूजल स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि और पेयजल संबंधी प्रयोजन भी पूरे हो सकेंगे। यह पेयजल संकट की समस्याओं के संभावित स्थायी समाधान का भी एक तरीका है। इसलिए, मैं इस महती सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी की इस गंभीर समस्या को किसी व्यवहार्य तंत्र के माध्यम से हल किया जाए।

(दस) पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा एकत्र किए जा रहे एमवीए प्रभारों के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर (विज़यानगरम): पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एपीट्रांसको उप-स्टेशनों में बिजली आपूर्ति के लिए उच्च दरों पर एमवीए शुल्क की वसूली कर रहा है। आंध्र प्रदेश द्वारा 2500 मेगावाट के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों एन.टी.पी.सी. से बिजली लेने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हर महीने बिजली आपूर्ति ट्रांसमिटिंग शुल्क के लिए लगभग 85 से 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। क्या विद्युत मंत्रालय आंध्र प्रदेश डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एकत्र किए जा रहे एम.वी.ए. शुल्क को कम करने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि आंध्र प्रदेश एक नवगठित राज्य है।

(ग्यारह) बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, लोकतंत्र में ऐसी धारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ लोगों का विश्वास है कि सरकार हमेशा उनकी रक्षा करेगी। परन्तु पिछले कुछ समय से देश के पीएसयूज की वर्तमान स्थिति काफी परेशान करने वाली है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी के भुगतान पर लगातार देरी कर रही हैं। पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है और न ही त्योहारों पर उनको कोई इन्सेंटिव मिला है। यह बेहद निराशाजनक स्थिति है। कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में यह देरी उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कई परिवारों में कर्मचारी एकमात्र कमाने वाला होता है और इस स्थिति में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह स्थिति सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है कि सरकार निजी क्षेत्र के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रही है। इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तुरन्त ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करे।

(बारह) बिहार के गोपालगंज जिले में रेल संपर्क के बारे में

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से काफी संख्या में लोग इलाज कराने, पढ़ने एवं व्यापार के लिए विभिन्न महानगरों में जाते हैं। गोपालगंज जिले से कोई भी सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है। गोपालगंज जिले की जनसंख्या लगभग 26 लाख है। अतः माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सादर आग्रह है कि वैशाली एक्सप्रेस, बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस तथा अन्य मेल एक्सप्रेस को डायवर्ट कर गोपालगंज-थावे जं0 होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाने की कृपा की जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

माननीय सभापति : श्री के. नवासखनी - उपस्थित नहीं।

(तेरह) राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि/पशुधन हानि/फसलों के नुकसान सहित अन्य नुकसानों में राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राशि अत्यंत कम है, जिसकी वजह से वास्तविक नुकसान की एक तिहाई भरपाई भी नहीं हो पाती है। वहीं राज्य सरकार भी उक्त सहायता राशि के लिए केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष पर निर्भर है और हाल ही में राजस्थान में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए केन्द्र सरकार को 2645 करोड़ रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग हेतु पत्र भी प्रेषित किया था। मैं आपका ध्यान आपदा प्रबंध के नियमों व फसलों के नुकसान के लिए तय शर्त की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए नियमों व शर्तों में इस पर बदलाव किया जाए, जिससे कि खेत के खसरे को ईकाई मानकर वास्तविक नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही राजस्थान राहत कोष में ऐसी कई आपदाएं शामिल हैं जो राष्ट्रीय आपदा कोष की सूची में वर्णित नहीं हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय आपदा कोष में सम्मिलित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के एवज में मिलने वाली राशि को दोगुना करने हेतु सरकार को निदेशित करें।

(चौदह) राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को जनजातीय सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, संसदीय क्षेत्र चितौड़गढ़ का जनजाति बाहुल्य जिला प्रतापगढ़ कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। आज भी यहां के निवासियों की जीवनशैली, खान-पान, त्यौहार, रीति रिवाज में अपनी पुरानी संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। प्रतापगढ़ क्षेत्र एक पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्र होने के साथ-साथ पठारी भाग पर बसा है। यहां पर पर्यटन की प्रचुर संभावना है, भरपूर प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ प्राचीन पुरातात्विक स्थलों, विशेष खान-पान व आज के आधुनिक युग के दौर में भी वो प्राचीन सी परम्परागत संस्कृति यथा नृत्य, संगीत, पहनावा, भाषा शैली, खेल तथा सोने पर की जाने वाली थेवा कला अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही पहचान बनाते हैं। मेरा आग्रह है कि प्रतापगढ़ को ट्राइबल सर्किट में शामिल किया जाये जिससे इनकी संस्कृति का संरक्षण हो एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में किसानों को राज्य मे हुई बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों की हुई क्षति के कारण उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): महाराष्ट्र में बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

(सोलह) आर.सी.एस. उड़ान योजना के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के तहत देश में बहुत छोटे शहरों को बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। ऐसे कई छोटे एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स ने हवाई सफर की शुरुआत की है। आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के तहत प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स को इस रूट के अलावा और अतिरिक्त रूट प्रदान किए हैं, जो इन ऑपरेटर्स के लिए लाभदायक है। यह प्राइवेट एयर ऑपरेटर ऐसे फायदेमंद तरीके से अपनी एयर सेवा अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के रूट पर सरकार द्वारा जारी किए रूट पर एयर सेवा में ज्यादातर समय अलग-अलग कारण बताकर फ्लाइट कैंसल करती हुई नजर आ रही हैं। आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के रूट पर स्थापित इन विमानपत्तनों पर रात में लैंडिंग की व्यवस्था न होने के कारण भी यह एयर ऑपरेटर कई बार इस कारण का आधार लेकर फ्लाइट निरस्त कर रहे है। जलगांव एयरपोर्ट में इसी आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के तहत कुछ रूट को अलॉट किया गया है। इन रूट पर ज्यादातर समय फ्लाइट कैंसल हुई हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि ऐसे सभी आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के रूट पर प्रदान किए गए प्राइवेट एयर ऑपरेटर की समीक्षा करें और उन्हें इस स्कीम के तहत अलॉट किए हुए रूट पर एयर सेवा ऑपरेट करने के निर्देश दें। ऐसे एयरपोर्ट्स जहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है, वहां जल्द से जल्द यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रावधान करें। आर.सी.एस. उड़ान स्कीम के रूट पर रेगुलर एयर सेवा सुविधा उपलब्ध करने की यह मांग मैं सदन के माध्यम से करती हूं।

(सत्रह) देश में केंद्रीय लोक सेवकों को प्रदत्त आवासीय तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, देश को आजाद हुए 72 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण दिलाती हैं। जिला तथा इसके मंडल मुख्यालयों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण हैं। अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं। इनमें खेती भी होती है तथा अन्य कार्यों को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं, जिनकी संख्या 20-25 अथवा 50 तक भी होती है। उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा राजसी व्यवस्थाएँ जहां एक ओर इन अधिकारियों को जनता के सेवक के स्थान पर जनता का अहंकारी मालिक बनाती हैं, वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस नहीं जुटा पाता।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे नियम निर्धारित किए जाएं, जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप हों।

माननीय सभापति : डॉ. सुभाष रामराव भामरे - उपस्थित नहीं।

(अठारह) तपेदिक रोग से निपटने की आवश्यकता

[अनुवद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): दवा-प्रतिरोधी तपेदिक रोग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और भारत दुनिया में इस बीमारी के सबसे अधिक बोझ का सामना कर रहा है। डब्ल्यू.एच.ओ. के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में 410,000 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया और एच.आई.वी. रोगियों में 11,000 अतिरिक्त मौतों का अनुमान लगाया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को इस बीमारी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह जरूरी है कि सरकार राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एन.एस.पी.), संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) और निक्षय के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तक्षेप करे। हालांकि, नागरिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, मैं सभा से आग्रह करती हूं कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता के मुद्दे के रूप में लें।

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन – उपस्थित नहीं।

(उन्नीस) औषधीय पौधों की स्वीकृत सूची में पुष्प जनक पौधे की एक प्रजाति ग्लोरियोसा सुपरबा को शामिल किए जाने के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): ग्लोरियोसा सुपरबा एक पुष्पीय पादप प्रजाति है जिसकी खेती तमिलनाडु में तिरूप्पुर, करूर, डिंडगुल तथा इरोड जिलों में 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में होती है। इस पौधे के बीजों का औषधीय महत्व है। इस ग्लोरियोसा सुपरबा पौधे के लगभग एक लाख टन बीज निर्यात किये गये। इस औषधीय पौधे का महत्व विदेशों में भी है। चूँकि यह एक औषधीय पौधा है इसलिए इसके बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण इसका मूल्य बढ़ जाता है। विदेशों में इस पौधे की कीमत अधिक है। कुछ व्यापारी और व्यावसायिक संगठन किसानों से कम कीमत पर बड़े पैमाने पर इस औषधीय पौधे को खरीदते हैं और उन्हें उच्च कीमत पर विदेशों में बेचते हैं। ग्लोरियोसा सुपरबा के बीज भारत सरकार के औषधीय उत्पादों अथवा कृषि उत्पादों की सूची में नहीं है। इस कारण किसान अपनी उगाई गई फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें बैंकों से संपार्श्विक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000 छोटे किसान प्रभावित होते हैं। अत; मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्लोरियोसा सुपरबा को औषधीय पादपों की अनुमोदित सूची में शामिल किया जाए तथा इसके सीधे प्रापण के लिए व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।

(बीस) वक्फ संपत्तियों के बारे में

श्री के. नवसकनी (रामनाथपुरम)[*]: इस्लामिक कानून के तहत वक्फ एक अप्रतिबद्ध धर्मार्थ संपत्ति है जो धार्मिक या मानवतावादी गतिविधियों के लिए समर्पित होती है। देश भर में छह लाख एकड़ में वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपये है और देश भर में लगभग 512556 पंजीकृत और गैर-पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। लेकिन इन संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण के तहत है और इन विशाल संसाधनों की धोखाधड़ी से बिक्री के कई मामले दर्ज किए गए। पिछले तीन वर्षों में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण के 3000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सम्पत्तियों का उपयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किया जाए। सभी वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए और इस संबंध में राज्य निकायों को हर प्रकार की सहायता की जानी चाहिए।

माननीय सभापति : अब नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध विषय समाप्त हो चुके हैं। हम चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा पुनः आरंभ करेंगे।

---

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 3.05 बजे

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 - जारी

माननीय सभापति: श्री जसबीर सिंह।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति, महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। चिट फंड भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं स्थानीय कारोबार रहा है।

अपराह्न 3.06 बजे (श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी *पीठासीन हुए*)

लेकिन जैसा कि हम कह सकते हैं, इस कारोबार का 99 प्रतिशत हिस्सा अपंजीकृत या अविनियमित है। मेरे विचार से इस विधेयक में मात्र सतही परिवर्तन किए गए हैं। यह विधेयक शक्तिशाली प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में अप्रभावी है। इसमें केवल नामों में बदलाव किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस विधेयक में फोरमैन को सुरक्षा प्रदान की गई है। उसका कमीशन 5 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। वह समूह के सदस्यों के भुगतान को कुछ हद तक रोकने का अधिकार रखता है। आप चिट फंड घोटालों को देख सकते हैं, जो समाचार पत्रों में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं। अधिकांश फोरमेन वे कंपनियां हैं जो चिट फंड संचालित करती हैं। उन्होंने लोगों के हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गए हैं। लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

यहां पर कोई भी प्रोविजन पीनल एक्शन के लिए या कोई नोडल आफिसर अप्वाइंट नहीं किया गया। अगर आप ड्राफ्ट बिल को देख लें, तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जो वे पैसे देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अगर उनके साथ धोखा होता है, तो वे अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, यह कहीं भी मेंशन नहीं है। इस बिल में यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक फोरमैन या जो कंडक्टिंग कंपनी है, वह कितने ग्रुप्स चला सकती है। मेरा

मानना है कि इसको हमें रेग्युलेट करना चाहिए। इसकी गिल्टी पर विराम लगाना चाहिए, ताकि कोई बड़ा घपला, कोई मैग्नीट्यूट का फ्रॉड, जैसे हमें पीछे देखने को मिला कि बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के फ्रॉड हुए हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके।

सर, इस सारे बिल में जाएंगे, तो इसमें कहीं भी कोई रेग्युलेटर नहीं है। जैसे छोटे लेवल पर इसे रेग्युलेट करने के लिए, देख-रेख करने के लिए कांट्रीब्यूटर्स की कोई छोटी-छोटी शिकायतें रहती हैं, ईवेन अगर फोरमैन की भी शिकायत हो, तो सब डिवीजनल लेवल पर जैसे एसडीएम रहते हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई हेराफेरी नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से उनको एक तरह का लोकल लेवल तक रेग्युलेटर लगा देना चाहिए। यह 50 रुपये, 100 रुपये से शुरू होकर बड़े शहरों में ज्यादा अमाउंट तक जाता है। सर, यह देखने को मिला है, जैसे मैं अमृतसर से हूं, अमृतसर सोने के व्यापार की एक बहुत बड़ी मंडी है, अमृतसर के गहने काफी फेमस हैं। वहां पर जितनी स्वर्णकार बिरादरी है, वे भी अपना एक चिटफंड चलाते हैं। मगर उसमें कन्ट्रीब्यूशन पैसे से नहीं किया जाता है बल्कि उसमें हर आदमी और हर ग्रुप मेंबर एक सर्टन अमाउंट सोना या चांदी का देता है, वे ड्रा भी सोने या चांदी में निकालते हैं, पैसे में नहीं निकालते हैं। अगर हम इसे एलाउ कर दें कि पैसे के अलावा हम सोने-चांदी में भी कन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जो इल्लीगल काम चल रहा है उसे हम एक लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रेग्युलेट कर सकते हैं। सभी का पैसा है, चाहे वह सोना-चांदी या रुपये में हो, उसका ख्याल रखा जा सके। माननीय मंत्री अनुराग जी से मेरी दरख्वास्त है।

हमारे देश में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम प्लास्टिक मनी की तरफ जाएं। मगर इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि क्या यह पैसा चेक से देना है या कैश में देना है, ऑनलाइन देना है या क्रेडिट कार्ड से देना है। अगर इसी तरह कैश से चलता गया तो ब्लैक मनी ही यूज होगी। इसे रेग्युलेट करने और इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ परसेंटेज कैश भी एलाऊ कर दें। अगर इसे अच्छी तरह से रेग्युलेट करना है तो उसे चेक से पेमेंट करने का प्रावधान करना चाहिए। इस पर बहुत हैरानी वाली बात है ये छोटे-छोटे लोग ग्रुप्स में चलते हैं। एक गांव में दस महिला इकट्ठा होकर अपने लिए कर लेंगी, बड़े ऑफिसर्स के वाइफ और स्पाउस

के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। वे एक बड़े होटल में एक किट्टी पार्टी आयोजित करेंगे। चिट-चैट करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे। बैंक को जीएसटी से बाहर किया जा सकता है। चिट फंड पर बारह परसेंट जीएसटी लगाना अन्याय है, इसे बाहर रखना चाहिए। मैं माननीय मंत्री अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। हमारी टोपोग्राफी, जियोग्राफी और फाइनेन्शियल कन्डीशन और सोशल कन्डीशन काफी में फर्क है। पंजाब में एक कहावत है दस कोस, जो लगभग 2.5 किलोमीटर है दस कोस पर हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, इनको सेंट्रलाइज्ड करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप इसको रेग्युलेट करने की मेक्सिमम पॉवर और लिमिट्स फिक्स करने के लिए स्टेट को ऑथराइज करें। इसी के के साथ मैं अपनी बात रखते हुए आपका फिर से धन्यवाद करता हूं।

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 बिल पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 का मैं समर्थन करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है। प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था हो, उसी तरह से व्यवसाय सुगम हो, काम करने में आसानी हो, इसके साथ-साथ व्यवसाय भी सिस्टम में आ जाए, यह हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी की सोच है। इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें गैर कानूनी तरीके से जमा राशि संबंधी योजनाओं के जरिये लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस तरह की योजनाओं का सबसे अधिक शिकार कौन होता है? सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका शिकार बनते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, मैं जानता हूं कि गरीब लोगों को कितना दुख हुआ, कितने लोगों का हजारों करोड़ों रुपया चला गया। मैंने आंखों से देखा है कि कितने गरीब आदमियों का पैसा गया, कितने एजेंट्स घर से बाहर हो गए, महीना भर इधर से उधर घूमते रहे। लोगों की कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी।

चिट फंड के नाम से बहुत घोटाले सामने आ चुके हैं। यह देश के कई राज्यों में फैला हुआ है जैसे ओडिशा, असम आदि। इस बिल पर काफी चर्चा हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा बातें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं

केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, इस संशोधन में सरकार जो प्रस्ताव लाई है, वह स्वागत योग्य है। इस विधेयक से चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी। इस विधेयक में अधिनियम की धारा-2 के अनुबंध बी में देखिए, परिभाषा कैसे बदल रही है। सरकार की सोच कितनी सुंदर है। परिभाषा में 'बंधुत्व फंड' और 'आवर्ती बचत और क्रेडिट संस्थान' जोड़ा गया है, जो चिट को परिभाषित करता है। इसमें चिट फंड द्वारा लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान करने की व्यवस्था का भी स्वागत है।

विधेयक में व्यक्ति के लिए निर्धारित कुल चिट राशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। जो कंपनी छ: आदमी की है, उसे छ: लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। इस विधेयक में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें दो ग्राहकों की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या फोरमैन द्वारा विधिवत रिकार्डिंग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य की गई है। यह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा-2 के तहत आवश्यक है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो सुझाव देना चाहता हूं। आपने 18 लाख रुपये तो किया ही है, इसके साथ ही डिविडेंड और प्राइस शब्दों को हटाकर शेयर आफ डिस्काउंट किया है। यह बहुत अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन शेयर आफ डिस्काउंट की एक लिमिट होनी चाहिए। नहीं तो शेयर आफ डिस्काउंट में चिट फंड के ख्वाब दिखा देंगे और फिर लोगों का पैसा जमा करेंगे। इससे कोई बड़ी कंपनी छोटे चिट फंड से पूरा चैनल बना सकती है। इसे रोकने के लिए शेयर आफ डिस्काउंट में लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि ग्राहकों तक झूठे ख्वाब न पहुंचें। एक्टिविटी की कोई लिमिटेशन्स होनी चाहिए। जहां चिट फंड का आफिस हो, उसकी एरिया ऑफ एक्टिविटी 20 किलोमीटर रेडियस की लिमिटेशन्स में होनी चाहिए। ऐसे लिमिटेशन्स होने चाहिए। तब शायद सीआरएफ डिस्काउंट ज्यादा दिखाकर ज्यादा ख्वाब दिखाया, जो पहले हुआ था, वह बंद हो सकता है। सरकार जिस प्रावधान के लिए आई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होकर एक साथ मिलकर यह बिल पास कर दे, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा, जैसे

... *जो इसका विरोध करेंगे तो हमें लगेगा कि... * ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलकर यह बिल पास कर दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से इससे पूरा देश पीड़ित है। आजकल अखबार के पन्ने पलटते ही कहीं न कहीं यह समाचार जरूर मिलता है कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे कोई कंपनी हड़पकर भाग गई। गरीब आदमी जो दो सौ रुपये, ढाई सौ रुपये की दिहाड़ी करता है वह चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पैसा ठीक जगह सुरक्षित हो, मेरा पैसा दोगुना हो। इस तरह की कई कंपनियां आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के भी यह गोरख धंधा देश और प्रदेश के कोने-कोने के अंदर चल रहा है, जिससे हमारे लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई चिट फंड के नाम से ये उड़ा कर ले जाते हैं। इस मामले में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी, जो यहां विराजमान हैं, को धन्यवाद दूंगा। मेरा एक सजेशन है कि लाइसेंस को जारी ही नहीं करनी चाहिए। चिट फंड की क्या जरूरत है? हमार यहां पहले से बैंकिंग व्यवस्था एवं अन्य सिस्टम हैं। इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा। क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को बर्बाद किया है तो धीरे-धीरे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पुराने 1982 एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं। आपने इस संशोधन विधेयक द्वारा चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता लाने का आश्वासन दिया है। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद इस देश की जनता को है।

पश्चिम बंगाल के अंदर बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, जिसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कंटिन्यू कीजिए।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल: नवजीवन को-ऑपरेटिव सोसाएटी, राजस्थान के अंदर आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाएटी तथा पीएसीएल, जिसने करोड़ों रुपये हड़प लिए। इसी चिंता के कारण केंद्र सरकार यह बिल लेकर लाई है। चिट फंड की जो कंपनियां हैं, उनका राष्ट्रीय डाटाबेस इस बिल के पास होने के बाद बनेगा तब आम आदमी के पैसों की सुरक्षा हो सकेगी और घोटालों पर भी लगाम लगेगी क्योंकि आरोपियों से जब्त राशि पर प्रथम अधिकार जमाकर्ता का होगा।

सभापति महोदय, एक तो यह बिल यहां आया है। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट बिल आया तथा प्रधान मंत्री जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाईं, उसको कई राज्य सरकारों ने यह मानकर, कि यह दिल्ली की योजना है, नहीं चलाया। कई राज्यों ने जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको अभी तक लागू नहीं किया है। हमारे राजस्थान में विशेष रूप से लागू नहीं है। यह सही बात है कि पिछले पांच सालों तक जो मोदी जी की सरकार रही, उसमें किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का घोटाले के अंदर नाम नहीं आया। लेकिन, दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार सरकार आई और इनके जो वित्त मंत्री थे, खैर उनका चिट फंड से मतलब नहीं था। उन्होंने फेमा का उल्लंघन किया था, जिसके आरोप में वे जेल काट रहे थे। कल आप लोग हाय-हाय कर रहे थे कि उनको बाहर लाओ। बाहर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा। ये थोड़ी लाएंगे। आप उनकी जमानत की तैयारी करो। लेकिन इस तरह से राजनेताओं के जेल जाने से देश की बदनामी विश्व के नक्शे पर हुई है। एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री जी भारत को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, जहां पुराने कांग्रेस के समय में जब यहां के प्रधान मंत्री जी अमरीका जाते थे तो वहां के अमरीका के राष्ट्रपति उनसे नहीं मिलते थे और बिना मिले ही वापस लौट आते थे। आज 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के अंदर जब प्रधान मंत्री मोदी जी गये तो अमरीका के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया। हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया। ... (व्यवधान) आप चिन्ता मत करो। आप इस चीज की चिन्ता करो कि ... *जेल कब जा रहा है। ... (व्यवधान) नहीं जाए, यह ध्यान रखना क्योंकि वह भी जाने वाला ही है।... (व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, आप केवल बिल पर ही बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं बिल पर ही आ रहा हूं। इसके अंदर एक निवेदन है कि यह बिल यहां से पारित हो जाएगा। इसमें हमारे विपक्ष के साथी भी कहीं न कहीं साथ देंगे क्योंकि इनके अंदर भी कई भले लोग हैं, साथ देंगे, यह इनको भी पता है कि अब जनता जाग चुकी है। अगर सही बात पर साथ नहीं देंगे तो यह संख्या भी अगली बार कम हो जाएगी। इसलिए मदद भी करेंगे। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि राज्य में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने सेन्टर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ एफआईआर लॉज नहीं करेगी। वह बाध्य नहीं है। राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य हों, इस तरह का कानून पार्लियामेंट में पास हो जाए तो राज्य सरकारें मजबूर हों। ये कोई राज्य के हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों का सिस्टम अलग है। आज आपके पास जो केन्द्र की जांच एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई जांच तब करेगी जब स्टेट के अंदर किसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर लॉज होगी और स्टेट रिकमेंड करेगा। उसके बिना आप नहीं कर सकते। मेरा निवेदन था कि ऐसे मामलों के अंदर इसमें खुलकर आना चाहिए कि किस तरह से पीड़ित आदमी को न्याय मिले। अगर कोई घोटाला करके भाग जाए तो कैसे उसको पकड़ें। वैसे इसमें आपने यह भी किया है कि जिस राज्य की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 और कंपनी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की है, यह स्वागत योग्य है।

निश्चित तौर पर आम आदमी का पैसा नहीं डूबे, इस उद्देश्य से बिल महत्वपूर्ण है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकारों को अलग से पाबंद करें, चाहे तो मंत्री जी पूरे देश के जो वित्त मंत्री हैं, उनकी अलग से एक बैठक लें। प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्रियों को निर्देशित करें कि जो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया

जिसमें आधे से ज्यादा विपक्ष के लोग भी साथ देते रहेंगे और इसमें साथ दे रहे हैं और इन्होंने कहा भी था कि हम साथ देंगे लेकिन इनका ज्यादा भरोसा नहीं है। ये अंदर साथ देने की बात करते हैं और यहां सारे वैल में आ जाते हैं। मैं दो-तीन दिन से देख रहा हूं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं। इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। 2024 की बुकिंग तो इनकी हो गयी है। 2024 से आगे की तैयारी करो। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा बचा होगा। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन था कि जो आम आदमी है या जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, जिसका पैसा ये कंपनियां लूटकर ले जाती हैं और कई जगह तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। किसी ने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने के लिए जमा करी थी। ये कंपनी दुगुना, तिगुना कर देंगी, ऐसा आश्वासन देकर पैसा लेकर भाग जाती हैं। इनके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। आप यह बिल लेकर आए हैं। ऐसा ही बिल और आप लेकर आएं ताकि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सके।

मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि काला धन लाने की शुरुआत की है। अब आप कहेंगे कि काला धन आया तो नहीं है। काला धन आ रहा है। धीरे-धीरे आ रहा है। समय लगेगा। एक दिन में नहीं होगा। 70 साल खड्डे खोदे हैं। उन खड्डों को भरने में अभी समय लगेगा। धारा 370 हटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी। इस कार्यकाल के अंदर दो बड़ी जीत हुई हैं और अब जो बाकी बचा है, ... (व्यवधान) मैं बिल पर ही आ रहा हूं। वैसे मैं विपक्ष के अंदर रहा हूं। मुझे बोलने दो। दादा, आप अपनी बात करें। ... (व्यवधान) मैं ऑलराउंडर हूं। मेरा यही निवेदन होगा कि प्रधान मंत्री जी ने जिस सशक्त भारत की बात कही है, भारत को सशक्त किया, तकलीफ इनके मन के जरूर है। छोटे-मोटे कोई नगरपालिकाओं के चुनाव जीत गये होंगे। लेकिन नगरपालिका वाले यहां नहीं बैठेंगे। यहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आएंगे और जो पीएम बनेंगे, वे ही राज चलाएंगे। इसलिए आप ज्यादा खुश न हों।... (व्यवधान) अब देश उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब सबसे बड़े घराने जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा, उनके ... *कब सलाखों के पीछे

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

होंगे, यह देश देखना चाहता है।... (व्यवधान) ईडी कार्रवाई कब करेगी? ... (व्यवधान) मैं उस जगह नहीं हूं।... (व्यवधान) अगर मैं उस जगह होता तो अब तक पकड़ लेता।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): राजस्थान में क्या हुआ?... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : वहां क्या हुआ? ... (व्यवधान) जीत गए।... (व्यवधान) एक हम आ गए और एक रो-धो कर आप आ गए।... (व्यवधान) बिल के बारे में मेरे से ज्यादा विद्वान लोगों ने बोला है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री नटराजन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): महोदय, मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस विधेयक के जरिए चिट फंड क्षेत्र में अधिक नियामक तंत्र लाने के इरादे की सराहना करता हूं लेकिन मुझे दुःख है कि विधेयक में बहुत अधिक कमियां हैं। विधेयक में बीमा कवरेज का उपबंध न होना सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको सारदा चिट फंड घोटाले का मामला याद दिलाता हूं, जिसने अप्रैल, 2013 में दिवालिया होने से पहले 1.7 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं को धोखा दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पोंजी योजनाओं से निपटने के लिए कुशल नियामक तंत्र विद्यमान नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं।

चिट फंड कंपनियों में कर्मचारियों द्वारा स्वयं या ग्राहकों के साथ मिलीभगत से धोखाधड़ी करने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिससे इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास खत्म हो रहा है। कमजोर नियामक तंत्र की वजह से गलत चिट फंड कंपनियों के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों से बच निकलना अपेक्षाकृत आसान

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

होता है। कई बार, फोरमैन भी संचित निधि के साथ गायब हो जाते हैं, जिससे ग्राहकों को फंड की भविष्य की निरंतरता के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। चिट फंड व्यापार से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में पाया गया है। इस क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता की कमी एक प्रमुख समस्या है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि चिट फंड (संशोधन) विधेयक बिना बीमा कवरेज के उपबंध के शक्तिहीन कानून है।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है। यह चीट फंड जब तक छोटे लेवल पर रहता है, इसके बारे में लोग आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, लोग एक-दूसरे से पैसे इकट्ठे करते हैं, लोग इसे कमेटी भी बोलते हैं, तब तक यह ठीक रहता है, लेकिन जब यह बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, जब लोगों को बड़े-बड़े लालच दे दिए जाते हैं कि आपके पैसे को दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे और वे एक-दो किश्तें दे भी देते हैं, ताकि लोगों को यकीन हो जाए। फिर वे कहते हैं कि इसमें अपने रिश्तेदारों के पैसे भी लगवाएं, आपके पैसे बहुत अच्छी तरह से वापस आ रहे हैं। दो-तीन किश्तें वापस भी आ जाती हैं, तब चेन रिएक्शन हो जाता है। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा देते हैं। माननीय वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर जी यहां बैठे हैं। शायद उनके यहां भी उस कंपनी से पीड़ित लोग हों। वह 'पर्ल' कंपनी है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक गांव छाजली है। वह कंपनी़ उस एक गांव का दो करोड़ रुपये लेकर भाग गई। दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा दिए थे। अब सोशल स्टिग्मा है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटेगी, तो एक गांव के दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली। बहुत-से गरीब लोगों का पैसा 'पर्ल' कंपनी लेकर भाग गई। पंजाब, दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। देश में पांच करोड़ लोग उस कंपनी से प्रभावित हैं। जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो मैंने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि उस कम्पनी का जो मालिक है, वह गिरफ्तार हो गया है और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन, लोग पूछ रहे हैं कि उसके गिरफ्तार होने का हमें क्या फायदा हुआ। गिरफ्तारी भी कैसी है, वह बीमारी का बहाना बनाकर फाइव स्टार हॉस्पिटल में है। उसकी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि उसने बैंकों से मिलकर उस पर लोन ले लिया है। उसको कुर्क करके और उसकी जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दें। उसको भले ही छोड़ दें, हमें उससे क्या करना है? उसका जेल के अंदर होना या हॉस्पिटल के अंदर एसी

कमरे में बैठकर मजे लेने से तो लोगों के पैसे वापस नहीं आएंगे, लोग कहां जाएँ? क्या वे एफ.आई.आर. करवाएँ या क्या करें?

चिट फंड के जो घोटाले हैं, क्राउन कम्पनी भाग गई। अब तो लोगों का विश्वास बैंकों से भी उठ रहा है। यदि वे प्राइवेट में पैसे लगाते हैं, तो चिट फंड वाले भाग जाते हैं। लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री जी, मैं एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में ऐलन स्टैनफोर्ड नाम का एक आदमी था। उसने वहां के लोगों से पैसे ले लिए, यह कहकर कि वह उनके पैसे को डबल-ट्रिपल कर देगा। उसके बाद उसने लोगों के साथ धोखा किया। वह बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिक चेयर से बचा। वहां फाँसी नहीं है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक चेयर है। वह बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन उसे 185 साल की सजा हुई। इसलिए ऐसी कोई मिसाली सजा दें ताकि कोई भविष्य में ऐसे घोटालेबाज लोग, आम लोगों के खून-पसीने के पैसे लेकर न भागें। बैंकों से पैसे लेकर भाग जाते हैं। हमें क्या पता, अब कौन-सा नया नीरव मोदी और विजय माल्या निकल आएगा? हम बैंक में पैसे जमा करवाने से भी डरने लगे हैं। हम किसी प्राइवेट को पैसे देते हैं कि वह ब्याज दे देगा, तो चिट फंड कम्पनी वाला भाग जाता है। आखिर जाएं, तो जाएं कहाँ? डी.सी. नहीं सुनता, पुलिस में जाएंगे, तो गरीब आदमी की थाने में कौन सुनता है? यह अच्छा बिल है। मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई एकाउंटेबिलिटी भी दीजिए। किसके पास जाएँ? कोई कलेक्टर है या एस.डी.एम. लेवल का कोई अधिकारी है, जिसके पास ऐसे आर्थिक अपराध की शिकायत की जा सके? ऐसे तो कोई भी नयी कम्पनी आ जाती है, लोगों का विश्वास फिर टूट जाता है। ऐसे में लोग करें, तो क्या करें?

यह संसद लोकतंत्र का बहुत बड़ा मन्दिर है। यहां पर बोली हुई एक-एक बात लोग सुनते हैं और यहां से कानून बनते हैं। इतने बड़े-बड़े घोटाले हैं कि लोगों का दिमाग भी घोटालेबाजों ने ऊँचा उठा दिया है। इतने हजार करोड़ रुपये का घपला, 76 हजार करोड़ रुपये का घपला, हमें तो यह भी नहीं पता कि उस रकम को लिखने के लिए कितने ज़ीरो लगते हैं। पाँच-दस करोड़ रुपये के घोटाले तो आम लोग भी नहीं पढ़ते हैं कि छोड़ो यार, कोई छोटा-मोटा चोर होगा। शायद अंग्रेजों ने दो सौ साल में देश को उतना नहीं लूटा होगा, जितना

हमारे लोगों ने 70 सालों में लूट लिया। इसलिए कोई ऐसा कानून बने ताकि मिसाली सजा मिल सके और चिट फंड वाले लोगों के साथ धोखा न कर पाएँ। लोगों के पैसे न लेकर भाग सकें। मैं एक बार फिर से वित्त राज्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पर्ल कम्पनी में लोगों के जितने पैसे लगे हैं, उस कम्पनी की जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दिए जाएं। इस कम्पनी की जायदाद ऑस्ट्रेलिया तक है, जो बेनामी है, किसी के दामाद के नाम पर है, किसी के भतीजे के नाम पर है। इसलिए इंटरनेशनल कानूनों के जरिए उन जायदादों का भी पता करके यहां के लोगों के पैसे ब्याज सहित वापस दिए जाएं। इस बिल में थोड़ा विस्तार से एकाउंटैबिलिटी तय करें, तो और भी अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें आम लोगों के पैसे लगे हुए हैं। यदि उनको निकालने की आपकी इच्छाशक्ति है, वह सच्ची है, तो अच्छी है।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपने दल का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे ऐसे विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया। यह विधेयक 2019 में आया है, यह विधेयक पहले भी था, यह वर्ष 1982 में पहले आया, उसके बाद इसमें बदलाव किया गया। चिट फंड में ज्यादा-से-ज्यादा गरीब लोगों के साथ ही धोखाधड़ी हुई है। मैं जिस स्टेट से आती हूं, वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा का नाम यहां के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ... (व्यवधान) हम लोगों ने चिट फंड के दर्द को झेला है। हमारी जनसंख्या 37 लाख है, जिसमें से 16 लाख लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हमारा इस साल का बजट 16 हजार करोड़ रुपये का था। वर्ष 2006, 2007, 2010, 2011 में हमारे स्टेट से 10 हजार करोड़ रुपये लूटा गया है, आप इस पर चिंता कीजिए। जो चाय बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला गरीब 200 रुपये कमाता है, ऐसे लोगों को बहुत लूटा गया है। जो गरीब लोग जॉब करते हैं, वे जॉब से रिटायरमेंट के बाद मिले पेंशन के पैसे के बारे में इनसे बहुत अच्छा-अच्छा बोला जाता है कि यह पैसा दो साल में डबल होगा, पांच साल में तिगुना होगा। यह बोल-बोलकर इन लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये लूटे गए हैं।

सभापति महोदय, उस टाइम हमारी जो सरकार थी, वर्ष 2018 में मोदी जी के कारण सरकार बदली है। उस टाइम हमारे स्टेट के जो मुख्य मंत्री थे, उन्हें मुख्य मंत्री के रूप में पूरी दुनिया जानती है कि वह बहुत गरीब मुख्य मंत्री हैं, जो पैदल सचिवालय जाते हैं। ऐसे मुख्य मंत्री ने उस रोज़ वैली पार्क का उद्घाटन किया। उस पार्क में खड़े होकर ... *ने कहा कि आप रोज़ वैली में पैसा रखिए, आपका वह पैसा सेफ रहेगा। लेकिन जब हमारे स्टेट के लोग लुट गए तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। वहां के ... * *वे खुद एक एजेंट थे।* मेरे स्टेट में *...* * के जितने लोग थे, वे सब लोग एजेंट थे। ऐसा कोई घर नहीं है, जिस घर में रोज़ वैली चिट फंड स्कैम में पैसा लूटा नहीं गया।

महोदय ,यह बहुत अच्छा विधेयक लाया गया है। मैं आशा करती हूं कि इससे मेरे स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा और आगे चलकर चिट फंड के नाम से लोगों का दिल नहीं कांपेगा। जितनी चिट फंड

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कंपनियां हैं, चाहे वह रोज़ वैली हो, आई-कोर हो, सपोर्ट इंडिया हो, रामेल हो, वारिस हो, जितनी भी कंपनियां हैं, ये 102 कंपनीज़ त्रिपुरा में गई थीं। इन सबके तार वैस्ट बंगाल में हैं। ... (व्यवधान) वैस्ट बंगाल में अभी जो पहली फिल्म सिटी बनी है, वह अगरतला से पैसा लेकर बनी है। इसके बाद वैस्ट बंगाल के लोगों को लूटा है। ... (व्यवधान) इन लोगों को लास्ट में लूटा है। ... (व्यवधान) अब वैस्ट बंगाल को इसके बारे में पता है। ... (व्यवधान) बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है। अब कम से कम दस हजार लड़के-लड़कियां त्रिपुरा में नहीं हैं, वे रोज़ वैली के एजेंट हुआ करते थे। ... *ने हम लोगों को ऐसी सरकार दी थी। अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वे अभी यहां से चले गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट से जो 10 हज़ार करोड़ रुपये लूटे गए हैं, उस पर सीबीआई जांच तो चल रही है लेकिन अच्छा होगा कि हमारे लोगों को उनका पैसा मिले। हमारा बजट 16 हजार करोड़ रुपये का है, 10 हजार करोड़ रुपये लोगों से लूटा गया है। इनमें चाय वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं।

सभापति महोदय, मोदी जी की जन-धन योजना से पहले हमारा बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जब जन-धन योजना में बैंक अकाउंट चालू किए थे तो उसमें लोग खाता न खोलें, इसकी पूरी व्यवस्था उन लोगों ने कर के रखी थी। इससे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इस संशोधन विधेयक से अच्छे काम हों और चिट फंड के नाम से जो बदनामी हुई है, उससे उबरकर जिन लोगों ने अपने खून-पसीने से पैसा कमाया है, उनके लिए अच्छा काम हो। उन लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए जो पैसा रखा था, वह पैसा लुट गया था।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। चिट फंड घोटाले में सिर्फ गरीब का पैसा ही नहीं गया, उन लोगों ने आत्महत्या भी की है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि चिट फंड घोटाला करने वाले लोग और जिन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया है, उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला हो और उनसे पैसा वापस लेकर इन

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों के बीच में बांटा जाए। इनकी जितनी भी संपत्ति है, उसको भी सीज़ कर के उसका पैसा भी इन लोगों में बांटा जाए, यह व्यवस्था भी आप इस बिल में रखें।

सभापति महोदय, मैं अंत में केवल यह कहना चाहती हूं कि पूरा सदन इस चिट फंड बिल का समर्थन करे और हम दुनिया को यह मैसेज दें कि घोटालेबाजों के लिए हमारे भारत में कोई जगह नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक-2019 पर चर्चा में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जो चिट फंड कानून लाए हैं, वह गरीबों के हित के लिए है। हर प्रदेश में हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। मैं बिहार से आता हूं और मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है। वहां भी कई लोग हमको बता रहे हैं कि अगरतला, बंगाल, राजस्थान में जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह लोग चिट फंड से परेशान हैं। चाहे कंपनी का नाम शारदा हो, चाहे रोजवैली हो या पर्ल हो, कई तरह के बोर्ड लगाकर लोग गरीबों का पैसा लेते हैं और कहते हैं कि ढाई साल में, तीन साल में दुगुना हो जाएगा। इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा कानून आप जरूर लाएं कि दोबारा कोई ऐसा गलत काम न करे कि वह एक बोर्ड लगा दे और उसका गलत काम चलना शुरू हो जाए। यह एक सोची-समझी प्लानिंग है, जिसमें जो अच्छे लोग हैं, उसमें से चार आदमी, पढ़े-लिखे रिटायर लोगों को लाते हैं और एक ग्रुप बनाकर हर प्रदेश में एक बोर्ड लगाकर ठगी का काम चला रहे हैं। व्यापारियों को कहा जाता है कि मैं तुमको एक लाख रुपया देता हूं और कल तुम मुझको सवा लाख रुपया लौटाओ। इस तरह से काफी लोगों को पैसा देकर यह काम किया जाता है। पी.ए.सी. एल. का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कि उस कंपनी द्वारा लगभग हजारों लोगों का और हमारे संसदीय क्षेत्र के भी कई लोगों ने बताया है कि उनकी मेहनत का काफी पैसा गलत तरीके से निकाल लिया गया है। ये सब छोटे लोग हैं। कोई रेहड़ी का काम करता है, कोई ठेला चलाने का काम करता है, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, चाय वाले हैं। अत: इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं। मेरा एक सुझाव भी होगा कि चिट फंड वित्तीय लेनदेन से जुड़ा जो नियमन है, इसमें लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। किसी भी सूरत में आम जनता का पैसा न डूबे। सभी लोग, जिनका पैसा डूब गया है, उनके लिए सरकार प्रयास करे कि इनका पैसा कैसे निकले। इनकी जो सम्पत्ति है, उसे बेचकर उन लोगों का पैसा निकलवाने का सरकार प्रयास करे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम): बहुत कम शब्दों में मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की ओर से श्री बन्दोपाध्याय जी ने इससे पहले बोला है। मैं सरकार की एक-दो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह चिट फंड अमेंडमेंट बिल पिछली लोक सभा में रखा गया था। उसके बाद वह स्टैंडिंग कमेटी में आया। मैं भी उस समय मेंबर था। हम लोगों ने अगस्त, 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और आज नवम्बर, 2019 चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद पुन: इस बिल को लाने में एक साल तीन महीने लग गए। अब इस बिल की डेट देखिए – "निर्मला सीतारमण, 31 जुलाई, 2019" एक बिल लाने में इतने दिन क्यों लगे? यह जो देर होती है, इसी से कानून की एफिकेसी कम हो जाती है। मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये विगत दो दिन से आ रहे हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी दो दिन नहीं आई थीं। मैं चाहूंगा कि यह नौजवान मंत्री जी यह सब चीजें देखें ताकि यह समय पर हो। दूसरी बात यह है कि चिट फंड के बारे में लोगों की धारणा साफ नहीं है। त्रिपुरा से हमारी बहन बोलीं और जो अन्य लोग बोले, वे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बोल रहे थे। यह चिट फंड बहुत छोटी चीज है। कुछ लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं, वही लोग आपस में बांट लेते हैं। पब्लिक से पैसा उठाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जो लाया गया है। अब चिट फंड को फ्रैटर्निटी फंड कहा जाएगा। फोरमैन का कम्पेन्सेशन बढ़ाया जाएगा और इस चिट फंड अमेंडमेंट बिल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात और कही गई थी कि दो मैम्बर रहेंगे और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे भाग ले सकते हैं। मैं इसके खिलाफ हूं और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को प्रेज़ेंट होना चाहिए। लेकिन तब भी यह चिट फण्ड अमेंडमेंट बिल में खास आपत्ति के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को फॉलो किया है और इस बिल में उसी को इनक्लूड किया गया है।

यहां भाषण देते हुए सभी लोगों ने शारदा, रोज़ वैली, पंजाब की पर्ल और ओडिशा की सी-शोर के बारे में कहा है। यह जो हजारों-करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक, हमारा बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर है। हम लोगों तक नहीं पहुंच सके और कलेक्टिव स्कीम्स के लोगों ने पर्सनल इंफल्यूएंस

से लोगों से पैसा उठा लिया। अगर सब जगह बैंकिंग सिस्टम पहुंच गया होता तो लोग इसकी तरफ नहीं जाते। यह चिट फण्ड नाम मिसलीडिंग है। यह सीएचईएटी चीट नहीं है, यह सीएचआईटी चिट है, मतलब कागज का छोटा-सा टुकड़ा। सब लोग इसी पर भाषण देते गए कि शारदा हुआ, नारदा हुआ, लेकिन इस बिल का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तो बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर और दूसरा, कलेक्टिव स्कीम्स के बनने में हमारे रेगुलेटर्स का फेल्योर है। हमारे देश में रेगुलेटर्स हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है। हमारे कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंट में एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस भी एक रेगुलेटर हो सकता है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और हजारों- करोड़ों रुपये इसमें डूब गए।

बीजेपी के पश्चिम बंगाल से दो माननीय सदस्य श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री दिलीप घोष, इस पर भाषण करते रहे और बिल पर कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ इल्जाम इन्होंने लगाया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उसको देखें और जहां भी पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री का नाम है, उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। ये सदस्य जो बोले हैं, ये नासमझ हैं। चिट फण्ड का मतलब ही नहीं समझे और इस पर बोल दिया, जो उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चिट फण्ड में जो भी दोषी है उसको शास्ति हो। आपके हाथ में सीबीआई है तो सीबीआई इतने दिन तक ... (व्यवधान) मैं नासमझ मैम्बर को बोल रहा हूं और यह कोई गाली तो नहीं है। आप बोलिए सर, आप डिक्शनरी देखिए ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: हम इस पर विचार करेंगे लेकिन कृपया अब अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय : नासमझ कहना खराब बात नहीं है, असम्मानजनक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सर, इसलिए यह सब बातें यहां कहना ठीक नहीं है। हमारे देश के फाइनैंशियल सिस्टम में जो गलतियां हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और अनरेगुलेटेड डिपोज़िट पर अभी पाबंदी लगाई गई है। और भी कड़े कदम उठाने हैं, ताकि देश में कहीं भी गरीब आदमी का पैसा चौपट न हो। अगर कोई केस है तो उस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए, सीबीआई चार्जशीट दे और शास्ति हो और जो होना है, वह होगा। लेकिन हाउस में इल्जाम लगाना कि त्रिणमूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, यह गलत बात है, यह नहीं होना चाहिए। इससे हाउस की मर्यादा की हानि होती है। मैं आशा करता हूं कि रूलिंग पार्टी के लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। आपके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है। अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसको शास्ति देने की जिम्मेदारी है। आप समझिए यह जिम्मेदारी आपको ठीक से निभानी चाहिए। झगड़ा कर के नहीं, खाली हाऊस में गलत इल्ज़ाम लगा कर वह यह नहीं होगा। इसके साथ मैंने कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, लेकिन ब्रॉडली इन प्रिंसिपल जो चिट-फंड्स अमेंडमेंट स्कीम आप लाए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिर्पोर्ट के अनुसार है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैंने विधेयक के कुछ प्रावधानों को पढ़ा है। यह पहले ही स्थायी समिति के पास जा चुका है जिसने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में उल्लेख किया था। 2017 में लगभग 185 ऐसे मामलों को एस.एफ.आई.ओ. के सामने लाया गया है। भारत में 30000 से अधिक पंजीकृत चिट फंड कंपनियां हैं और गैर-पंजीकृत चिट फंडों की संख्या लगभग 100 गुणा से भी अधिक है। इसलिए, जब आपके पास ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या है, तो मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि सरकार इसे विनियमित करने की पूरी कोशिश कर रही है। चिट फंड, कमिटी, किटी जैसे कई नाम इसे दिए गए हैं और इन सभी फंडों को लेकर हमेशा संदेह की भावना रही है।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र झाँसी में एक घटना हुई है, जहाँ चार लोगों का एक परिवार, उदानिया परिवार, दुर्भाग्य से दिवाली से ठीक पहले जिंदा जला दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और दिवाली के आसपास इसकी प्रतिपूर्ति या वितरण करते हैं। दुर्भाग्य से घर में एक करोड़ से ज्यादा रुपये पड़े थे और कोई चुरा कर ले गया। इसलिए, हमने देखा है कि जब इतनी बेहिसाब संपत्ति या धन है जिसे दबाया जा रहा है और इसे व्यवस्था में नहीं लाया जा रहा है, तो क्या होता है। इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं। यह लगातार एक चलन बनता जा रहा है जिसका मुख्य कारण यह है कि लोग सोचते हैं कि चिट फंड बहुत जरूरी है। यह बैंकिंग प्रणाली की विफलता नहीं है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले उल्लेख किया है। चिट फंड सीमित समय अवधि और विशिष्ट उद्देश्य के लिए होते हैं। एक बार जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वे जल्दी ऋण देने में सक्षम होते हैं, वे जल्दी पैसे एकत्र कर पाते हैं और लोग उससे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं, और जैसे कि एक व्यक्ति के लिए सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये और एक फर्म के लिए 18 लाख रुपये की गई है, यह निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगा।

प्रौद्योगिकी के संबंध में, मैं केवल यही जानना चाहता था कि यदि रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है, तो क्या उस डेटा को कहीं संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी, ताकि सभी निवेशकों द्वारा उसे पुनः सत्यापित किया जा सके?

यह पांच प्रतिशत से सात प्रतिशत तक की सीमा बढ़ाना एक उत्कृष्ट कदम है, इसे घूर्णन बचत और ऋण संघ (आर.ओ.एस.सी.ए.) के रूप में नामित किया गया है। लेकिन हमें जितना संभव हो सके अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक क्षेत्र में लाना चाहिए। चूँकि दोनों वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, मेरा प्रश्न यह होगा कि क्या निधियों के एक निश्चित आकार और उनके संप्रेषण की मॉनिटरिंग की जा सकती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे वास्तव में क्या संप्रेषित कर रहे हैं और धन किस स्रोत से एकत्र कर रहे हैं? क्या उन्हें इसे जमा करने के लिए कहा जा सकता है? कई बार तो ऐसा ही होता है। जब वे प्रति माह 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत जैसे उच्च रिटर्न का वादा करना शुरू करते हैं, तो यह सामान्य व्यक्ति को ऐसी योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। इसलिए, इसे मॉनिटर किया जा सकता है, या उन्हें इसे स्थानीय कार्यालयों, जैसे जिला प्रशासन या जिस विभाग द्वारा घूर्णन बचत और ऋण संघ का निरीक्षण किया जाता है, को सौंपने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि उस संप्रेषण की निगरानी की जा सके, तो यह उन्हें ऐसे बड़े-बड़े दावे करने से रोकेगा जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। जब अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए जाते हैं और अतिरिक्त धनराशि एकत्र की जाती है, तो लोगों के फरार होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं इस विधेयक को लाने और निगरानी के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सरकार को फिर से बधाई देना चाहता हूं और इसलिए, मैं इस विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देना चाहता हूं।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि इस बिल की आवश्यकता क्यों

पड़ी? समाज में दिक्कतें क्या थीं? सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी, जिसको हम पौंजी स्कीम कहते हैं या चिट फंड स्कीम कहते हैं, ये स्कीम्स देश भर में चल रही थीं। चिट मतलब कागज की स्लिप, जो पर्ची या कमेटी के माध्यम से निकाली जाती थी। उसके कारण बहुत सारे लोगों को ठगा गया। उसका नाम ही चिट फंड कर दिया गया। चिट फंड को अगर देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए रहती थी कि एक बहुत बड़ी आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में जिन लोगों को शामिल किया जाना था, वे शामिल नहीं हुए। यही कारण है कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 32 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, यानी 32 करोड़ परिवार के खाते मात्र 4 महीने में खोले गए। आज़ादी के 70 साल बाद तक इस देश में मात्र 12 करोड़ खाते थे, यानी 12 करोड़ का भी आप अंदाजा लगाएं तो कई ऐसे परिवार होंगे, जिनके एक ही परिवार में चार-चार, पांच-पांच, आठ-आठ, दस-दस खाते रहे होंगे तो आठ से दस करोड़ मात्र परिवारों के खाते थे। बाकी सब लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे। वे लोग अपना व्यवसाय कैसे करते थे, बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, कैसे मार्किट से पैसा उठाते थे, कैसे उनको जरूरत पड़ती थी। आपस में सहयोग से, मिल-जुलकर चिट फंड के माध्यम से कुछ रोटी-रोजगार के प्रबंध के लिए सॉफ्ट लोन उठाना, सॉफ्ट लोन बनाना, ये सब किया करते थे। इसी कारण चिट फंड का प्रचलन इस देश में बढ़ा। लेकिन अनरेग्युलेटेड होने की वजह से लगातार यहां पर दिक्कतें बढ़ती गईं और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती गई। वर्ष 1982 में कुछ कानूनी प्रावधान बना कर इस सब चीजों को, गलत चीजों को रोकने का एक प्रयास किया गया, लेकिन वह एक असफल प्रयास था।

मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे तब संचायिका की स्कीम शुरू हुई और हम सब ने अपने स्कूल्स में भी एक छोटी गुल्लक के माध्यम से जो भी थोड़े पैसे मिलते थे, वह जोड़ कर एक खाता बना कर स्कूल में हमें बैंकिंग सिखाने की दृष्टि से संचायिका में हम सब ने पैसा जमा किया। वह सब पैसा भी उड़ गया। संचायिका के बाद 70 के दशक के बाद तमाम ऐसे शारदा-नारदा नामों से प्रचलित ये स्कीम्स हुईं, जो कि असलियत में चिट फंड तो नहीं थीं, फेमस चिट फंड के नाम से हुईं, जहां पर 200 कम्पनियों के कंर्सोटियम ने मतलब 17 लाख लोगों को धोखा दिया और 5-6 बिलियन रुपया इस देश का चुराया गया। गरीब से गरीब आदमी जो

अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, फार्मर बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका पैसा चोरी हो गया, उसका पैसा निकल गया। तमाम बड़े-बड़े नाम मतलब एक राज्य के डीजीपीए, एक राज्य के स्पोर्ट मिनिस्टर ऐसे तमाम लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई। इस चिट फंड अमेंडमेंट एक्ट से पूर्व सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज में चिट फंड आदि धोखे वाली, साज़िश वाली स्कीम्स को शामिल किया। उस कानूनी बदलाव में भी पिछले सत्र में उस पर काम किया गया तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि सीरियसनैस ऑफ परपज जो है, वह दिखाई देता है। देश में जो यह सिस्टम चल रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इस सिस्टम को जब ठीक करने की जरूरत है तो उन्हीं स्कीम्स में से एक यह स्कीम भी लागू की गई, जिसके माध्यम से इसको ठीक किया गया। फ्रॉड्यूलैंट स्कीम्स मतलब कमी क्या है, पहले मैं दो-चार लाइनों में इस बात को बताना चाहूंगी।

सबसे पहले तो एक फ्रॉड्यूलैंट स्कीम है कि लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं। 200 पेड़, 5000 पेड़, इतने पैसे, उतने पैसे, ये जमीन, वह जमीन हर तरीके के झूठे वायदे करके लोगों को ठगा जाता है। उस ठगी के आधार पर लोगों का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो वह लोगों से चुराया लिया जाता है। जब एक पर्टिक्युलर सोसायटी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हटाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सेस न मिले और वह पौंजी स्कीम का हिस्सा न बन जाए। इसके लिए जरूरत है कि ग्रास रूट के ऊपर मतलब जमीनी स्तर पर राज्यों को अधिकृत करने की आवश्यकता थी। राज्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी ताकि राज्य ऐसी तमाम स्कीम्स को कंट्रोल कर सकें और सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार हो। यह दिक्कत थी, इसलिए यह कानून में बदलाव लाया गया। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेन्शियल लिटरेसी की है। पहले तो लिटरेसी थी, अब लिटरेसी की ताकत बढ़ाई गई है, पढ़ने-लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फाइनेन्शियल लिटरेसी आज भी देश में कम है। लोगों को अर्थव्यवस्था से जुड़ने के माध्यम और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि वे पोंजी स्कीम्स और अन्य ऐसी स्कीम्स का हिस्सा बनते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कई बार पाया गया कि बैंक्स गरीब आदमी के लिए

अवलेबल नहीं थे। हमने यह बदलाव पिछले 5 साल में देखा। सरकार बैंकिंग ऑफिसर्स के रवैये में बदलाव लेकर आयी। अभी चाहे वह अटल पेंशन योजना है, चाहे अन्य दुर्घटना से संबंधित योजनाएं हैं। उन सब योजनाओं को लेकर, छोटी-छोटी योजनाओं को लेकर, खाते खुलवाने से लेकर आज बैंक वाला उस गरीब के घर जाकर यह काम करके आता है। वह उस क्षेत्र के अंदर कैम्प लगाता है, जिसे पहले बैंक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। इसी माध्यम से फाइनेन्शियल लिटरेसी की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उस पर काम करने का प्रयास कर रही है। फाइनेन्शियल लिटरेसी के अभाव में लोग ऐसी स्कीम्स में फंसते हैं। एक जो अल्टरनेटिव ओपिनियन है, वह है कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो हैं, वे स्कैमस्टर्स को एब्यूज करते हैं और क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि पैसा दोगुना कैसे हो, रातों-रात पैसा बढ़ जाए, इसलिए वे इनके झांसे में आ जाते हैं। कहीं न कहीं लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 8 से 9 परसेंट है, तो आप 50 परसेंट, 100 परसेंट पैसा नहीं कमा सकते। जब इतना पैसा नहीं कमा सकते तो जो भी स्कीम आपको इस तरीके का लालच दे रही है, वह गलत स्कीम है।

शारदा और इस तरह के अन्य फाइनेन्शियल घोटाले-घपले हुए हैं और तकरीबन 200 प्राइवेट कंपनीज ऐसी स्कीम्स में शामिल रहीं। वर्ष 2013 में वह मामला सामने आया, जिसका सबने असर भी देखा। मैं कुछ प्रोमिनेन्ट पर्सनालिटीज का नाम जरूर लेना चाहती हूँ। दुख: की बात है हमारे संसद में सदस्य थे कुणाल घोष, श्रृंजॉय बोस, जो कि डीजी थे, रजत मजूमदार और देबव्रत सरकार, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। ये जो स्कैम्स हैं, वे इसी सर्किलेशन की वजह से सामने आए हैं। प्राइस चिट मनी और मनी सर्किलेशन बिल जो है, उसमें अंतर स्थापति करने की जरूरत थी, जिसको पूर्व में इसी सरकार ने बैन किया। वह बैन करने के बाद जो सही चिट्स हैं, किस तरीके से उसको रेग्युलेट किया जाए, उसके लिए यह प्रावधान लाया गया। मैं स्थायी समिति की 35वीं रिपोर्ट, 2015-16 की रिपोर्ट का एक पैरा पढ़कर बताना चाहती हूं।

[अनुवाद]

उनके द्वारा किए गए कार्यवाही उत्तर में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है::

"सरकार ने प्रधान मंत्री जन धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन का एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें विनियमित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 21 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इसके अलावा, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना नामक तीन जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, 12.53 करोड़ से अधिक नागरिकों को जीवन या आकस्मिक बीमा और वृद्धावस्था पेंशन की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किया गया है। "

[हिन्दी]

मैं यही बताना चाहती हूं कि यही प्रमुख कारण थे, जिसकी वजह से पोंजी स्कीम्स चलती थीं। सरकार इन सब पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को जब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो राज्य सरकारें भी फाइनेन्शियल इंक्लूजन और फाइनेन्शियल लिटरेसी के लिए आगे आकर काम करें ताकि उनके क्षेत्र के अंदर इस तरह की स्कीम्स का कारोबार न चल पाये। इसमें एक शब्द, जो अभी अमेंडमेंट है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूं। इसमें एक शब्द फ्रटर्निटी फंड जोड़ा गया है। फ्रटर्निटी फंड को जोड़ने के पीछे जो कारण है, वह कारण यह है कि जिस तरीके से ऐच्छिक फंड, क्योंकि चिट्स एंड मनी सर्किलेशन प्राइज मनी वाला जो है, उसे बैन किया गया है। इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नाम देकर जो रेग्युलेटिड स्कीम्स हैं, गरीब तबके के लोगों के फायदे के लिए लोग खुद इकट्ठा होकर चलाते हैं, उन स्कीम्स को प्राइज मनी वाले से कम्पेयर न किया जा सके, इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नया नाम दिया गया है।

दो व्यक्तियों को फोरमैन के रूप में उपलब्ध कराना और अगर किसी कारण से, क्योंकि कई बार इंटीरियर्स में ये स्कीम्स चल रही होती हैं, गांव-देहात में चल रही होती हैं और लोग उससे दूर बैठे होते हैं तो फोरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह अधिकार दिया। मुझे खुशी है कि 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से कई सारी पंचायतों को जोड़ा गया है। अगर गांव के लेवल पर कोई पंचायत ऐसी स्कीम रेगुलेटेड तरीके से

चलाना चाहता है तो वह चला पाए। साथ ही, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रांसपैरेंसी मेनटेन करते हुए वहां पर उपलब्ध रह सके और सरकारी तौर पर उसकी कानूनी व्यवस्था थोड़ी ठीक हो सके।

तीसरी बात है कि फिजिब्लिटी रिपोर्ट को देखते हुए ग्राउण्ड लेवल के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध कराने का मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब हम फाइनैंशियल इन्क्लूजन कर रहे हैं, टेलिफोन्स के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, भीम एप्प के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें अधिक से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट का प्रावधान भी करने की आवश्यकता है, जो कि सीधे तौर पर फाइनैंशियल इन्कलूजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फोरमैन को एक कमीशन के रूप में काम करने के लिए 5 प्रतिशत मिलता था। अभी उस 5 प्रतिशत को बढ़ा कर 7 प्रतिशत किया गया है क्योंकि जो गलत माध्यम से पैसा लिया जाता था, उसे रेगुलेटेड तरीके से बढ़ा कर उन्हें अगर आप पैसे दे दें तो फिर चोरी-चकारी कम होगी।

[अनुवाद]

वित्त संबंधी स्थायी समिति के वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 62 में कहा गया है,

"यह फोरमैन को ग्राहकों से बकाया धनराशि के लिए ग्रहणाधिकार का अधिकार देने की भी अनुमति देता है ताकि चिट फंड कंपनी द्वारा उन ग्राहकों के लिए सेट-ऑफ की अनुमति दी जा सके जिन्होंने पहले ही धन निकाल लिया है ताकि उनके द्वारा डिफ़ॉल्ट को हतोत्साहित किया जा सके।"

[हिन्दी]

जो लोग चिट पहले उठा लेते हैं, उसके बाद धोखा देने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वे पैसे लेकर भागने का प्रावधान रखते हैं। इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उनके ऊपर जो लियन है, उसे फोरमैन रख सकें ताकि अगर वह धोखा दें तो उसे जब्त करके बेहतर कार्रवाई हो सके। इसलिए फोरमैन को

यह अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत बेहतर काम है। चिट फण्ड एक्ट का जो सेक्शन-85 बी है, उसे अमेंडमेंट में हटाया गया है। इसका कारण है कि पहले सिर्फ 100 रुपये की सीलिंग थी। 1982 में 100 रुपये की सीलिंग थी और आज 100 रुपये की सीलिंग के कोई मायने नहीं है। इसलिए इसे हटाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

एक एडिशनल वर्ड 'रोटेटिंग सेविंग एण्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन' डाला गया है। जो गलिबल लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिन्हें आर्थिक नीतियों की ज्यादा जानकारी नहीं हैं, वे इसमें न फँसे और उन्हें बचाने के लिए कंपनीज को इन्क्लूड करके यह प्रावधान किया गया है। चिट फण्ड्स कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा गैप, जो कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भरा नहीं गया, पूरा नहीं किया गया, वही कारण बना। लोगों को सॉफ्ट लोन्स लेने और पैसे बचाकर सेविंग रखने का वही एकमात्र तरीका था। जैसे-जैसे फॉर्मल व्यवस्था बेहतर होती जाएगी, जैसे-जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ग्रासरूट्स तक पहुंचेंगे, जैसे-जैसे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे-वैसे चिट फण्ड्स जैसी स्कीम्स अधिक जानकारी के माध्यम से लोगों के बीच से खत्म भी होगी, समाप्त भी होगी।

मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वे एक अच्छा बिल लेकर आए हैं और व्यवस्थात्मक रूप से इसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हम सरकार के साथ हैं। सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करे। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति जी, पिछले दो दिनों से चिट फण्ड के ऊपर चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से चिट फण्ड एक्ट में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि जिस आशा और विश्वास के साथ यह संशोधन लाया गया है, भले ही यह संशोधन स्टैण्डिंग कमेटी के माध्यम से 38 सालों के बाद लाया गया है, इसलिए इसमें माननीय सदस्यों द्वारा इसका ज्यादा विरोध करने का कोई विषय नहीं बनता। मैं तो सत्ता पक्ष का सदस्य हूं। मैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत करूंगा।

अपराह्न 4.14 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर चिट फण्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद, जैसा कि अभी मैडम लेखी जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम सबके पास, उस जमाने में गांव के परिवारों के पास न सड़कें होती थीं, न संचार के साधन होते थे, न इतनी बैंकिंग थी, और जो उस समय छोटी-छोटी बचत करते थे, उन्हें कहीं न कहीं एकमुश्त रकम इकट्ठा मिल सके। इस दृष्टि से एक छोटा-सा चिट निकाल कर उसके माध्यम से एक व्यक्ति को अधिकतम रकम दी जाती थी, जिसे सारे लोग मिलकर इकट्ठा करते थे। इस तरह से इसका नाम चिट फंड दिया गया। अब चिट का मतलब चिट्ठी हुआ और यह चिट्ठी से निकल कर बना। जब इसका नाम धीरे-धीरे लोगों में फैला और इसको चलाने वाले लोगों में बुद्धि आई, तो चिट के माध्यम से उन्होंने चिटिंग का काम प्रारंभ कर दिया। बाद में यह चिट फंड न होकर चीट फंड हो गया और वे लोग इसके माध्यम से लूटने का काम करने लगे। यदि हम इसके बारे में देखेंगे, तो पाएंगे कि आम जनता को जो लूटने वाले थे, वे ज्यादा पढ़े-लिखे थे और जो आम जनता थी, वे गांव के गरीब, छोटे मजदूर और किसान थे, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसमें जमा किया था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 'यथा नाम तथा गुण', जैसा नाम होता है, वैसे ही उसका गुण होता है। चिट के नाम से ही लगता है कि सही में यह चिटिंग कंपनी है। हमने इतने वर्षों में ऐसा देखा भी है। 38 वर्षों के बाद इसके लिए कानून आ रहा है। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय मोदी जी, वित्त मंत्री जी, आदरणीय अनुराग जी और स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करने का काम किया है। अब कम से कम इसका नाम चिट फंड समाप्त हो गया है। अब इसका नाम 'बंधुता फंड' हो गया है। बंधुता का मतलब हमारा आपस का संबंध होता है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से सारे लोगों का जो पैसा जमा होगा, वह बंधुता तथा एकता के साथ जमा होगा और इस फंड का उपयोग आवर्ती बचत के रूप में होगा। इसका नाम बदलने का जो काम किया गया है, वह निश्चित रूप से सही है, क्योंकि लोगों को चिट शब्द से ही शंका होती थी। पिछले समय में क्या हुआ, हमारे यहां एक कहावत है कि बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि लें। इससे पहले कितने लोगों ने बेइमानी की, कितनी गड़बड़ी की, उन सबसे हटकर अब नया सिस्टम लाया गया है। अब एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया। इसको चलाने वाले लोगों को हम 5 परसेंट की जगह 7 परसेंट का लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अब इसको एक व्यक्ति की जगह समूह चलाएगा। कॉरपोरेट को 18 लाख रुपये तक किया गया। यह फंड इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि कहीं न कहीं अब ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है। पहले यह राशि कम थी, अब लोगों में थोड़ी आर्थिक समृद्धि आई है। अब इसमें लोग 18 लाख रुपये तक कर सकते हैं। लोग पहले चिट निकालने का काम करते थे, लेकिन आजकल संचार का माध्यम है। यदि कोई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित रहे, तो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वह देख सकता है। निश्चित रूप से ये सारे संशोधन बहुत अच्छे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि सामान्यत: जिन लोगों को राशि की जरुरत पड़ती थी, उन्हें अभी भी पड़ती है। आज तक जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके कारण ज्यादा धोखाधड़ी होती थी। रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से जो काम होता था, जितनी उनकी सीलिंग थी, उससे ज्यादा रकम

का काम करके लोगों को लूटने का काम करते थे। आज निश्चित रूप से सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया है। इस तरह से जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनके लिए सारे एक्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम उनको गिरफ्तार करते हैं। हम सभी सांसद तथा जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम इन सभी चीजों को देखें। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे कितनी नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो इस तरह के चिटिंग का काम करती हैं, फंड रेगुलेट कराती हैं और बैंकिंग का काम करती हैं। जिस तरह से आपने कहा कि संचायिका चलती थी, मुझे भी अच्छी तरह से ध्यान है कि बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां आईं। इन बैंकिंग कंपनियों ने हमारे मोहल्ले के लोगों को काम पर लगाया, जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे थे, उन्होंने कुछ नामी-गिरामी लोगों को भी काम पर लगाया।

सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए भी दुख होता है कि उस समय मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहा गया। उस समय मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था और बाद में एमएलए भी बना। हमारे जैसे लोगों के पास भी इस प्रकार की कंपनियों के लोग आए और कहा कि हम आपको सहारा इंडिया का प्रमुख बना देंगे, संचायिका का प्रमुख बना देंगे। तभी से मैं डरता था कि ये लोग सही नहीं हैं। वे जिन लोगों को धन जमा करने के लिए काम पर लगाते है, वे गांव के गरीब तथा छोटे लोग हैं। उनके माध्यम से वे लोग रोज 10-20 रुपये जमा कराते थे और बाद में पैसा इकट्ठा करके भाग जाते थे। मेरे यहां एक महाकौशल कंपनी आई, मकान का काम करने के लिए कंपनियां आईं, बाद में ये सारी कंपनियां भाग गईं। जैसे आदमी कहता है कि दूध का जला छांछ को फूंक कर पीता है। चिट फंड कंपनी के नाम से अन्य बैंकिंग कंपनियों ने भी जिस तरह से लोगों को लूटा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए बैंकिंग के सारे खाते खोलने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ। आज जन धन योजना तथा मुद्रा योजना निकाली गई है। मुद्रा योजना भी इसी में से निकल कर आई कि जिन लोगों के पास धन नहीं है, वे कहीं न कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से 20 या 50 हजार रुपये का लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं।

महोदय, आदरणीय मोदी जी की सरकार में गांव, गरीब, किसान तथा मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास हुआ है। जो चिट फंड विधेयक 2019 आया है, मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिनके लिए पांच से सात पर्सेंट का किया गया है, निश्चित रूप से उनके लिए भी सुविधा होगी। जो लोग गलत तरीके से ज्यादा धन कमाने की चिंता करते हैं, वे न कमा सकें। इसलिए जितने भी संशोधन आए हैं, मैं इन सभी का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुन: वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वराज (नागापट्टिनम): महोदया, इस सम्माननीय सभा में चिट फंड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यह चिट फंड प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए अधिक उपयोगी है। ये ग्रामीण गरीब लोग और उनके परिवार इस प्रणाली का उपयोग अपने आर्थिक विकास में सुधार के लिए करते हैं। चिट फंड योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बचत करने की एक अच्छी योजना है। यह उनकी बचत के लिए एक अच्छा रिटर्न देती है। लेकिन कई कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। यदि ये कंपनियां गरीब लोगों के साथ धोखा करती हैं तो इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा भी कोई पर्यवेक्षक निकाय की नियुक्ति करके इन चिट फंड मामलों की निगरानी की जानी चाहिए।

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चिट फंड बचत का सर्वाधिक आसान तरीका है। इसलिए सरकार को प्रोत्साहन और अन्य चीजें देकर इन चिट फंड कंपनियों का समर्थन करना चाहिए। चिट फंड प्रणाली में धन संबंधी धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और जांच के लिए विशेष रूप से एक पृथक पुलिस स्कंध की स्थापना की जानी चाहिए। मेरा अंतिम कहना यह है कि चिट फंड कंपनियों को जी.एस.टी. से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग चिट फंड योजना का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं सरकार से चिट फंड कंपनियों को जी.एस.टी. से तुरंत छूट देने का अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वूपर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। यह भ्रष्टाचार पर फिर एक करारी चोट है। कभी-कभी यह विचार आता है कि अगर इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते, तो देश की धारा कहां जा रही होती? एक के बाद एक भ्रष्टाचार, बंगाल तो इससे बुरी तरह से हिल गया।

हम लोग यहां पर अपनी-अपनी बात कह रहे थे। पोंजी स्कीम्स पर हम लोग काफी बोले हैं, जिन्हें अनियमित जमाराशि कहते हैं। अब यह एक्ट बन गया है। पिछली बार माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ही बना डाला कि इस किस्म के जितने भी व्यवहार होंगे, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, वे सब के सब अवैध होंगे, वैध होंगे ही नहीं। वे आज तक वैध थे भी नहीं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार यह कानून आया, बैनिंग अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक और यह बिल पास भी हो गया। इसमें कड़ी सजा के प्रोविजंस भी हैं। इसी को एक तरह से पोंजी स्कीम कहते हैं। शारदा, पर्ल और आदर्श को लें, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। जो लोगों की धनराशि को हड़प कर विदेशों में चले गए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि इनकी जमीन आस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। देश में कोई देखने वाला नहीं था, लोग लूटे जा रहे थे, लोग मर रहे थे, हायतौबा हो रही थी, कानून बनाने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। जो हो रहा है, वह हो रहा है, मुफ्त का चंदन घिंस मेरे लल्लू, जैसा चल रहा है, वैसे ही चलने दो, कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, जो जिस हाल में है तो उसको उसी हाल में रहने दो। आखिर मोदी जी ने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद एक-एक चीजें जो देश की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार बिखर चुके थे, लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, हरेक चीज को एक-एक करके जैसे कील मारते हैं, अगर कोई चीज खराब हो गई, ठक-ठक करके उसका पुख्ता प्रबंध किया है।

यह बिल भी भ्रष्टाचार पर करारी चोट है। अब कोई शारदा नहीं होगा, अब कोई पर्ल नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं होगा। इस किस्म की कई घटनाएं हुई थीं, वे घटनाएं-दुर्घटनाएं अब नहीं हो सकती हैं। इसमें तीन प्रकार के अपराध पहले से थे, जो इस तरह की स्कीम चलाता है या शुरुआत करता है, उसके लिए सजा का प्रवाधान किया गया है। जो ऐसी स्कीम चला कर लोगों को धोखा देता है, गलत बात बताता है और ऐसी योजना का संचालन और समर्थन करने के लिए फिल्म एक्टर अगर कहता है कि ऐसी स्कीम है, पैसा डिपोजिट करो, क्रिकेट या बैटमिंटन का खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी या पहलवान, जैसे आजकल विज्ञापन देते हैं, अगर वे ऐसा विज्ञापन भी देते हैं तो वे भी अपराधी हैं और वे भी जेल के अंदर जाएंगे, इस कानून के अंतर्गत, पहले सत्र में इसका प्रोविजन हो चुका है।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। यह एक्ट बहुत पहले आ चुका था लेकिन इसमें कई खामियां थीं, कई कमियां थीं। वे लोग पनप रहे थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, वे मौज मार रहे थे, ऐश कर रहे थे, हर समय एसी(ए.सी.) में रहते थे और हर समय एग्जिक्यूटिव क्लास की फ्लाइट में जाते थे। उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, आम आदमियों से मुंह सिकोड़ कर बात करना, जैसे आम आदमी कुछ नहीं है। कोई आदमी मिले जिससे पैसा लिया है, अगर वह मांगने जाता था, हूं, बाहर जाइए, इस तरह से बात करते थे, बॉडीगार्ड रखते थे। अपने तक फटकने नहीं देते थे कि हमारे पैसे का क्या हुआ? मैं अभी अपने शहर हल्द्वानी-नैनीताल में था। मेरे पास माताएं बहनें आईं और कहने लगीं कि हमें आत्महत्याएं करनी पड़ेगी, आप कहीं न कहीं से पैसा दिलवाइए, हमने इसमें सारे रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया है। हर स्टेट की कमोबेश यही दास्तान है। अब देश में ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो करेगा वह मरेगा, जेल के अंदर जाएगा और तड़पेगा। हमारी सरकार ने इसका पक्का प्रबंध किया है।

माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं, केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। हम इतने कठोर कदम हर जगह उठा रहे हैं, अन्याय, भ्रष्टाचार और अनरैगुलेटेड चीजों का पटापेक्ष हो रहा है। लगता है आज देश का कोई

रखवाला है, इस देश को कोई बचाने वाला है। कहते थे - है तुम्हारा कोई सिरमौर, कोई है देश का रखवाला? आज हम छाती ठोककर कह सकते हैं कि मोदी जी हम सबके रखवाले हैं, देश के रखवाले हैं, गरीब से गरीब के रखवाले हैं।

इस एक्ट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव नहीं है। यह 1982 में बना था, उस समय चिट जो भी चलाता था एक लाख रुपये तक की चिट चला सकता था। अब इसे तीन लाख तक की छूट दे दी गई है। यदि कोई फर्म पूर्व में चिट चलाती थी तो उसे छ: लाख तक की छूट थी। अब वह 18 लाख रुपये तक की चिट चला सकती है। यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यापार कीजिए, कोई भी चिट खोलिए लेकिन एक-एक पैसे का एकाउंट होगा, उसकी एकाउंटिबिलिटी होगी। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका लिया है, उसे देंगे, ब्याज समेत देंगे। इस तरह से बिल्कुल विशुद्ध बैंकिंग प्रणाली है। चिट चलाने के लिए पहले दो व्यक्तियों के जरिये से, जो फोरमैन होता था, यानी चिट चलाने वाला होता था, वह किन्हीं दो व्यक्तियों को लाकर, खड़ा करके डिपोजिट को निकालकर विदड्रॉ कर सकता था। लेकिन अब पारदर्शिता लाने के लिए या तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग में खातेदार, डिपोजिटर दिखेगा या प्रत्यक्ष उपस्थित होगा। उसका फिजीकली वेरिफिकेशन होगा, चाहे वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हो। अब तो घपला कहीं हो ही नहीं सकता है चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गई है। फोरमैन को पांच प्रतिशत तक कमीशन मिलता था, लीगल कमीशन, जो कानून की नजरों में दिया जाता है, इसे अब सात प्रतिशत कर दिया गया है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी चिट को चला रहे हैं तो आपको चलाने के लिए खर्च भी मिलना चाहिए ताकि आपकी क्यूरियोसिटी (जिज्ञासा)जागे, आप और बेहतर काम कर सकें। हर एक के हितों की रक्षा इस एक्ट में की गई है।

सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को पावर दी गई है कि कितने तक की धनराशि को छूट दे सकते हैं। कोई किटी चलाता है, कोई और कुछ चलाता है, कोई छोटी पार्टियां चलाता है, हम पोंजी टाइप की बात कह रहे थे, इसमें किस सीमा तक किसे छूट दे सकते हैं। छूट का प्रोवीजन भी राज्य सरकार के पास है।

यह कहना कि राज्य सरकारों में भी घपला हो सकता है, अब ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर राज्य सरकार में एक रजिस्ट्रार आफ चिट है, जहां चिट का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। अगर वह कहीं बाहर जाता है तो फिर अनरैलेगुलेटिड डिपोजिट कहलाएगा, जिसमें वह जेल जाएगा। इसमें कहीं भी इस एक्ट में शक की आवश्यकता नहीं है। इसमें संशोधन हो रहा है, बहुत अच्छा कानून बनकर आ रहा है। आम आदमी इसे व्यवसाय के रूप में भी ले सकता है। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों की डिपोजिट धनराशि सुरक्षित भी रहेगी।

मैं सरकार और माननीय मोदी जी को को बधाई देना चाहता हूं कि किस तरह से वे छोटी से छोटी चीज को आगे ले जाकर भारत को सुरक्षित कर रहे हैं। आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेशों में जो लोग जाते हैं, वहां उनसे लोग पूछते हैं कि कहां के रहने वाले हो, अच्छा भारत के रहने वाले हैं,मोदी जी के देश के, वैलकम, वैलकम। वे लोग जो यहां क्रिटिसाइज करते हैं, माननीय मोदी के नाम पर विदेशों में सम्मान पा रहे हैं। मैं सबसे इस एक्ट को पास करने के लिए निवेदन करता हूं। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति जी, चिट फंड विधेयक, 2019 अपने आप में लैंडमार्क बिल है। इसे देखने से लगता है कि यह बहुत इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन चाहे एम्पलायमेंट का मामला हो, चाहे सेविंग का मामला हो, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भारतीय अर्थव्यस्था पर पोजिटिव होगा। मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे चिट फंड अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत है। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि और सोच समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, गरीब हो, इस तरह से जो भी हों, हम जो बैंकिग व्यवस्था देखते हैं, उसमें फार्मेलिटीज होती हैं, उसमें टाइम लगता है, कम्प्लीकेटेड है, इन सभी से बचने के लिए जो चिट फंड बिल में अमेंडमेंट आ रहा है, यह उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना, चिट फंड अमेंडमेंट बिल या इस तरह के जो इन्स्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन का बहुत बड़ा टूल है। जहां पर भी फाइनेंशिएल इन्कलूशन का टूल है, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। क्योंकि पूर्व कार्यकाल में प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना के माध्यम से देश में करोड़ों बैक एकाउंट खुले, पहले बैकिंग व्यवस्था बहुत ही लिमिटेड लोगों तक थी। गांवों में चिट फंड जिस हिसाब से चलता है, शहरों में भी चलता है, उसको प्रमोट करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि ने किया है। क्योंकि आज फाइनेंशिएल इन्क्लूजन नहीं है तो हम अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फाइनेंशिएल इन्क्लूजन चाहे जन-धन योजना के संबंध में हो, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के संबंध में हो या चिट फंड के मामले में हो, इसके लिए मेरा मानना है कि ये जो एक्सीलेंट टूल्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन को प्रमोट करेंगे। अगर हम एम्पलायमेंट की बात करें, हमें डॉयरेक्ट एम्पलायमेंट में इसका इम्पैक्ट भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट हम मिलियन्स में देख सकते हैं। इससे इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट मिलियन्स में होगा। क्योंकि जब हम फाइनेंशिएल इन्क्लूजन के लिए काम करेंगे और इसमें जो गरीब लोग हैं वे लोग मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करते हैं, यह अपने आप में

एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि बैंकिग सेक्टर में जब क्रेडिट की बात आती है, क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी फार्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। एलिजिबिलिटी से लेकर हर चीज के लिए रिजिड पॉलिसीज हैं। इन सारी चीजों को चिट फंड एक्ट में और अमेंडमेंट करके स्ट्रीम लाइन किया गया है। इसको और भी ज्यादा इंस्टिट्यूशनलाइज किया गया है, जिससे आराम मिलेगा।

हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको हम कंट्री की बैकबोन कह सकते हैं। आज हम जो 90 परसेंट एम्पलायमेंट जेनरेशन देख रहे हैं, वह हमारा एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। इस सेक्टर के लिए भी जो चिट फंड अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। क्रेडिट गैप बहुत बड़ा है क्योंकि मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था, उसमें देख रहा था कि एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गैप है, वह करीब 17 लाख करोड़ का है। इतना बड़ा क्रेडिट गैप जो एमएसएमई के लिए बना हुआ है, चिड फंड से यह गैप ब्रीच होगा, कम होगा और हमारे एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के प्वाइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुश मिलेगा और एमएसएमई में बहुत बड़ा काम होगा। यह जो कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशिएल एंड क्रेडिट अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बैंकिंग इंस्टिट्यूशन्स से अलग एक पैरलेल व्यवस्था बहुत जरूरी है। कई बार यह लगता है कि लोगों का सोचना यह न हो कि यह सेफ नहीं है तो मरा मानना है कि इसमें जो चिट इन्वेस्टमेंट है, वह अपने आप में सेफ है। क्योंकि इसकी जो गवर्निंग ऑथोरिटीज है, वे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। इस तरह के जो भी इंस्टिट्यूशन वर्क करेंगे, उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो उनकी एकाउंटेबिलिटी होगी, लाइबिलिटी होगी और इसके बाद एक चैकिंग व्यवस्था है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो 1982 के एक्ट में हैं, वे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं। इसके कई एडवांटेज हैं। यह एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए सेविंग है और एक बौरोइंग प्रोडक्ट है। वह सेविंग और बौरो साथ में कर सकता है, पेपर वर्क्स नहीं के बराबर हैं और रिटर्न भी हाई है।

उसके अलावा जो मार्केट में अगर वह कहीं ईक्विटी, बौंड या म्युचुअल फंड में पैसे लगाता है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको लॉस हो सकता है। लेकिन यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसमें लॉस होने के

चांसेज बहुत कम हैं। कई बार हम देखते हैं कि तुरंत ही जब इमर्जेन्सी होती है, उसको फंड की जरूरत होती है, बैंकिंग इश्यूज में एक औपचारिकता होती है, लोन और क्रेडिट देने का उनका एक मैकेनिज्म होता है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यह बिल्कुल ईजी है और उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होने की वजह से जब इमर्जेन्सी होती है, चाहे फैमिली में मेडिकल इमर्जेन्सी हो, चाहे बच्चों की फीस के बारे में हो, चाहे छोटा-मोटा बिजनेस खोलने के बारे में हो, उस समय यह मददगार साबित होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कोई अपनी सेविंग्स 10,000 रु. महीने करता है और 6 महीने तक लगातार सेविंग करता है तो हम मान लेते हैं कि उसके 60,000 रु. जमा हो गये हैं। उस पर ब्याज तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ-साथ वह अपनी 80 प्रतिशत रकम विदड्रॉ कर सकता है, ये प्रावधान भी उसमें हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां जो मैं देख रहा हूं, जैसे कि एसोसिएशन विद इंवेस्टमेंट जो है, ऐसे जो स्कैम हैं, उनमें हमें कानून को और मजबूत करना पड़ेगा।

कई लोग पौंजी स्कीम से इसको अटैच कर रहे थे, पौंजी स्कीम बिल्कुल अलग है और चिट फंड एक्ट 1982 अगर हम पूरा देखें, उसमें और पौंजी स्कीम में बहुत फर्क है। इसके साथ इसको कनैक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स पहले से चल रहे हैं, अब नयी तकनीक आ गई है, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे ये अच्छे संशोधन लेकर आए हैं, उसकी वजह से यह चिट फंड स्कीम और भी ज्यादा स्मूथ होगी। चिट फंड की जगह यह जो फ्रैटरनिटी फंड दिया है, इसको अच्छे नजरिये से देखा जाएगा। मैं सारी बातों को देखते हुए यह कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वह शहर में हो या गांव में हो, जो गरीब है, जिनके छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए भी काम आएगा और साथ में एक बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

[अनुवाद]

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद)*: माननीय सभापति, महोदय, मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक में किए गए संशोधनों का पूरा समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमें उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने इन योजनाओं में अपना पैसा निवेश किया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और रोजाना 200-300 रुपये कमाने वाले मजदूरों ने अपना पैसा लगाया है। यह उनकी मेहनत की कमाई है। उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने बच्चों की शादी करने के लिए इन उच्च रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश किया था। पर्ल इंडिया, समृद्ध जीवन जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा है। लोगों को धोखा दिया गया और उनके पैसे वापस नहीं मिले। वे अपने पैसे के लिए पिछले 8-10 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यह पैसा अत्यंत गरीब वर्ग के लोगों का है और यह उनकी कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा है। उनका पैसा इन चिट फंड कंपनियों में फंस गया है और निवेशक अब पूरी तरह से असहाय और अंजान हैं। मेरा अनुरोध है कि इन धोखेबाज और चूककर्ता कंपनियों की संपत्ति को जब्त किया जाए और इसे बेचकर लोगों को तत्काल धन वापस किया जाए। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया 91 चूककर्ता कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों को बंद करें जिन्हें सेबी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस तरह की कंपनियां हर जगह तेजी से बढ़ रही हैं और इसलिए चूककर्ताओं को दंडित किया जाना चाहिए। असहाय लोगों के साथ-साथ एजेंट भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। निवेशक पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और सरकार से मदद मांग रहे हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक में ऐसे चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करें।

अंत में, मैं इस विधेयक में ये संशोधन करने के लिए सरकार को बधाई और समर्थन देना चाहता हूं। मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

---

* मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): मैडम जी, यह चिट फंड का इश्यू कल-परसों से चल रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें जो लोग फंसते हैं, वे ज्यादातर गरीब हैं या मिडल क्लास के लोग हैं। इसमें बहुत धनी व्यक्ति व्यक्ति नहीं फंसता है। इसका बेसिक कारण क्या है कि गरीब इसमें फंसता क्यों है। अनफोर्चुनेटली, यहां फाइनैंस डिपार्टमेंट से कोई नहीं हैं, यहां पार्लियमेंट्री मिनिस्टर बैठे हैं। जब से देश आजाद हुआ है।... (व्यवधान) आप हट जाइए। चेयर को मेरी ओर देख लेने दो।... (व्यवधान) वह हमारी बात को अच्छी तरह से सुन लेंगी। मैडम, मेरा जो अपना ओपिनियन है और सर आपसे भी विनती है कि फेल्योर का रीजन क्या है? मंत्री जी यहां आ गए, उनका स्वागत है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, हम गरीब लोगों के लिए उनकी बचत के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए, उसको समझ पाए। अब अगर उनको बैंक का खाता खुलवाना है, तो हम लोगों का फॉर्म भरने में धुआं निकल जाता है। मेरे ख्याल में शायद कोई माननीय एमपी खुद फॉर्म नहीं भर सकता है। गरीब की आदमी की समस्या यह है कि वह 50-100 रुपये बचाना चाहता है, लेकिन जो फाइनैंशियल फॉर्मल सिस्टम है, उसमें उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।

वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि यह बेसिक बात है कि इसमें गरीब आदमी क्यों फंस रहा है, क्योंकि हम फॉर्मल सिस्टम में उसकी छोटी बचत 10-20 रुपये को कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे चिट फंड की तरफ जा रहे हैं। चिट फंड कौन कर रहा है, उसी के मोहल्ले का जानने वाला कोई आदमी कहता है कि अरे! तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे को दोगुना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा, चार गुना कर दूंगा तब वह कहता है कि जितना पैसा मेरे पास है, उसे इसमें रख दो, कुछ न कुछ तो इससे मिलेगा। हमें सोचने की जरूरत है कि गरीब आदमी की जो छोटी-मोटी बचत है, उसको फॉर्मल सिस्टम में कैसे लाएं। सर, जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है, आपने अमेंडमेंट्स भी दी है, सवाल ऑर्गनाइज्ड सेक्टर का नहीं है। आज भी जो चिट फंड रजिस्टर कराते हैं, उनको आप कानून के तहत पकड़ सकते हैं। सवाल तो अनऑर्गनाइज्ड का

है, जो गांव-गांव बैठे हैं, इधर-उधर बैठे हैं। मैंने सभी अमेंडमेंट्स पढ़े। आप कह रहे हैं कि जो अनरेगुलेटर और अनऑर्गनाइज्ड हैं, हम उनको ठीक करेंगे।

मेजर पॉइंट, जो इसमें मीसिंग है, मैं विनती करना चाहूंगा कि उन गरीब लोगों के पैसे की क्या इंश्योरेंस है, यहां तो बैंक खातों की इंश्योरेंस नहीं है, हमारा चाहे 20 लाख रुपये पड़े हों, लेकिन एक लाख रुपये की इंश्योरेंस ही मिलेगी। जब तक गरीब लोगों को फॉर्मल सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, कोई इंश्योरेंस का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तो ये जो अन-रेगुलेटेड, अन-ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स खुल रही हैं, जब तक उनके लिए कोई प्रबंध नहीं होगा, तब तक चिट फंड पर बहुत कंट्रोल नहीं होने वाला है। आपने कोशिश अच्छी की है, क्योंकि ऑरिजनल एक्ट 1982 का है। इतने वर्ष बीत गये हैं, इसलिए इसमें अमेंडमेंट तो होनी चाहिए। लेकिन हमारी विनती है, आपकी मेजॉरिटी है, आप इस संशोधन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? गरीबों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है कि गरीबों का कोई बहुत फायदा नहीं होगा। अगर आप हमारी विनती मानते हैं तो इन्श्योरेंस और म्युचुअल फंड में गरीब लोग कैसे बचत कर सकते हैं? जो अनऑर्गनाइज़्ड फर्म्स जगह-जगह खोल देते हैं, उनको आप इसमें कैसे ला सकते हैं? जो फॉर्मल हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे तो पहले भी फंसते थे और अभी भी फंसेंगे, सवाल दूसरों का है। आपने यह जवाब अपने अमेंडमेंट में कहीं नहीं दिया है। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं। इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइज़ेशन चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं। मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, जो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ने इस सभा के सभी सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को अत्यंत गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना है, जो उनकी प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है। इसलिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं केवल दो या तीन मुद्दों को और जोड़ूंगा। हाँ, यह सत्य है कि चिट फंड एक ऐसी संस्था है, जो हमारे देश में सदियों से विद्यमान है। इसलिए, इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं लेकिन जो उपभोक्ता इन वित्तीय संस्थानों के लाभों का आनंद लेने के हकदार हैं उन्हें कम सशक्त, कमजोर और गरीब माना जाता है। अतः मेरी पहली टिप्पणी यह है कि उपभोक्ताओं को विधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस विधेयक में ऐसी कौन सी विधिक सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं, जो उन कमजोर, गरीब और कम सशक्त वर्गों की रक्षा कर सकें, जो इन संस्थाओं का उपयोग एक साथ ऋण और बचत के रूप में कर रहे हैं?

हमारे देश में चिट फंड कम्पनियां अपनी तमाम संभावनाओं के बावजूद अपने नाम के साथ जुड़े अभिशाप से बच नहीं पातीं। 'चिट' नाम तुरंत यह आभास कराता है कि यह धोखा देने और लोगों को छलने के लिए बनाया गया है। इसलिए, इस नाम के साथ यह बुराई जुड़ी हुई है – 'चिट', जिसे 'धोखा' के रूप में समझा जाता है। इस बुराई को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस विधेयक में आपने इस प्रकार के नाम को हटाने का प्रयास किया है। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि 'फोरमेन' शब्द को भी बदला जाना चाहिए, क्योंकि यह इस कानून के उद्देश्य से मेल नहीं खाता।

यहां, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या चिट फंड अधिनियम, 1982 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर स्वयं प्रभावी होगा? उपभोक्ता अदालतों के पास चिट फंड विवादों की सुनवाई के संबंध में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने 2003 में एन. वेंकटेश पेरुमल बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मामले में यह निर्णय लिया था कि उपभोक्ता मंचों के पास चिट फंड लेन-देन से संबंधित शिकायतों को सुनवाई करने का

अधिकार नहीं है। मार्गदर्शी चिट फंड बनाम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता फोरम चिट फंड लेनदेन से निपट सकते हैं। तो, कुछ भ्रम हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 3 के संदर्भ में एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है। तो, इस संबंध में आपके मंत्री जी की क्या राय है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मूल अधिनियम की धारा 87 के तहत राज्य सरकार को कुछ चिट फंड कंपनियों को चिट फंड अधिनियम के किसी भी या सभी प्रावधानों से छूट देने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि छूट के मानदंड पारदर्शी और निश्चित होने चाहिए, और चिट फंड क्षेत्र में कार्य कर रही सभी संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी किया गया है। मुझे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

हां, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस विधेयक को एक साहसिक और पारदर्शी कदम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि हमारे देश में, हमारे पास कानून की कोई कमी नहीं है। संसद में ढेर सारे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही, धोखाधड़ी करने वाले घोटालेबाजों और बेईमान तत्वों की भी कमी नहीं है, जो हमारे अधिनियमों में सभी मौजूदा प्रावधानों की अनदेखी करके गरीब, कम सशक्त और कमजोर आबादी को धोखा दे रहे हैं। इसलिए, हमें एक मजबूत और व्यापक कानून की आवश्यकता है ताकि इस समस्या को रोका जा सके। हमारे पास मौजूद सभी विधायी साधनों के बावजूद, हम कमजोर लोगों को धोखा खाने से नहीं बचा सकते हैं। यही कारण है कि माननीय सदस्य अपनी चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं।

मैं भी उसी राज्य से आता हूं जिसे पहले ही कुख्याति का दर्जा प्राप्त हो चुका है। चाहे इसे 'समूहिक निवेश निधि' कहा जाए या किसी और नामकरण से इसकी मंशा को छिपाने का प्रयास किया जाए, सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य पूरी तरह से उन असामाजिक तत्वों द्वारा तहस-नहस कर दिया गया है जिन्होंने लाखों आम नागरिकों को ठगा है। आज भी, उनमें से कई लोग बेखौफ घूम रहे हैं। एक भी रुपया वापस नहीं किया गया है। कभी-कभी, मुझे लगता है कि क्या हमें और अधिक कड़े कानून की आवश्यकता है, चाहे

जितनी भी सजा का प्रावधान हो। हालांकि वर्तमान कानून में सभी तंत्र मौजूद होने का दावा किया गया है, तो फिर हमें और कितनी ताकत की आवश्यकता है?

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

[हिन्दी]

हमें और क्या चाहिए? हम रुक नहीं पाते हैं। चिट फंड को लेकर गोरखधंधा हो रहा है। करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं। बंगाल से हमारे साथियों ने, चाहे वे बीजेपी पार्टी से क्यों न हों, जो बात उठाई है, वह बिल्कुल सही है कि बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया है। हजारों करोड रुपये लूटे गए। लेकिन हां, यह बात सही है कि वह चिट फंड और पौंजी दोनों अलग हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा है। सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें खुद पता नहीं हैं कि इतने सारे लीगल इम्प्लिकेशन्स हैं कि हम लोगों को सही तरह से इसके बारे में पता करना मुश्किल हो जाता है। अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स इसी का फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को बरबाद कर देते हैं। मैं एक और बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि आपने यह कहा कि [अनुवाद] यह विधेयक फोरमैन को ग्राहकों से बकाया राशि सुरक्षित करने के लिए ग्रहणाधिकार का अधिकार देकर उसके हित को सुरक्षित करता है। हालाँकि, यह विधेयक फोरमैन द्वारा डिफ़ॉल्ट स्थिति में ग्राहकों के हितों को सुरक्षित नहीं करता है। [हिन्दी] फोरमैन की रक्षा करने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सब्स्क्राइबर को और गरीब लोगों को फोरमैन से बचाने के लिए हम कोई साधन नहीं देते हैं। एक और चीज मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि [अनुवाद] चिट फंड उद्योग के प्रमुख हितधारकों का मानना है कि प्रस्तुत विधेयक इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या — अर्थात् असंगठित संचालकों — के समाधान में सक्षम नहीं है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ चिट फंड्स के महासचिव टी. एस. शिवरामकृष्णन ने स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी की है कि इस विधेयक में असंगठित संचालकों को संगठित ढांचे के अंतर्गत लाने हेतु कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इस कानून का ध्यान असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाने पर केंद्रित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि असंगठित इकाइयों की संख्या संगठित इकाइयों की तुलना में कई गुना अधिक है और यह अच्छा संकेत नहीं है, विशेष

रूप से जब उद्योग का आकार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो। इसलिए, बिना किसी संकोच के मैं इस उम्मीद के साथ इस कानून को अपना पूरा समर्थन दे रहा हूं कि अब से गरीब और कमजोर लोगों को इस कानून से पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे सदन में हमारे बहुत सारे साथी बोल चुके हैं और सारी बातों पर विस्तार पर चर्चा हुई है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सारे कानून बदले हैं और इसका मतलब यह है कि पहले बनाए गए कानूनों में कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई थीं। यह चर्चा भी इसीलिए हो रही है कि सब अपने सुझाव दे सकें। जरूरी नहीं है कि जो बिल आज संशोधन के लिए आया है, यह सही हो। इसमें भी कहीं न कहीं खामी रह सकती है। अत: मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि गांव-देहात में कहीं चिट फंड को कमेटी का नाम देते हैं, कहीं इसको सोसायटी का नाम देते हैं। चीटिंग अलग-अलग नाम बदलकर होती है और वे लोग इतने शातिर होते हैं कि ऐसा माहौल और ऐसी जगह देखते हैं जहां लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी न हो। अत: वे लोग ऐसी जगह ही अपना सेटअप जमाते हैं। ज्यादातर वे लोग इसके शिकार होते हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं होती है, जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और जिन्होंने पैसों की कमी देखी होती है। वे इस लालच में आकर कि हमारे पैसे दोगुने हो जाएंगे, तीन गुने हो जाएंगे, वे इस जाल में फंस जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि यह जो संशोधन बिल आया है, इसमें पूर्व में जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, चाहे वह किसी भी राज्य में हुई हो, क्या सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए ऐसे किसी बजट का प्रावधान रखा है जिससे प्राइमरी स्टेज पर उनकी कुछ सहायता हो जाए, उनकी रोजी-रोटी चल जाए? जो लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं, जो लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं, क्या सरकार ने उनके लिए कोई प्रोविज़न रखा है? दूसरा, अगर सरकार यह सोचती है कि जिसके पास पैसा था, उसने चिट फण्ड में पैसा दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने कमेटी में दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने सोसायटी में डाल दिया। जिस तरह से सरकार का आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान है तो क्या कोई सरकार ऐसा सोचती है कि उसकी एक ऐसी लेयर बनाए कि सरकार की तरफ से उसकी कमाई का सर्टिफिकेट, अगर इतनी कम कमाई है और इससे नीचे बिलकुल इतनी ही

कमाई है तो केवल उसके लिए हो, जिससे कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनको रोटी किसी भी सूरत में नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में हैं। जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं और उनके साथ चीटिंग हो गई है। जिनके घरों में झगड़े हो रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ताकि इससे वे बच सकें, तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इसे कमेटी में भेजा जाए। मैं उस कमेटी में भी हूं और वहां से जो सुझाव आएं, उसके अनुसार संशोधन करके दोबारा से बिल को लाया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कमेटी से बिल होकर आ चुका है और उसकी रिपोर्ट काफी लम्बी-चौड़ी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदया, आप अभी यहां से बोलकर सभापति जी की कुर्सी पर चली गई हैं तो स्वाभाविक तौर से आपका ज्ञान दोनों स्थान का है, वैसी परिस्थिति में बोलना कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। महोदया, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं के बारे में हम बचपन से सुना करते थे, लेकिन इसका क्या दायरा है, यह समझना कभी सम्भव नहीं हो पाया था। समय-समय पर इस बारे में तभी चर्चा आती थी, जब पता चलता था कि 30 हजार करोड़ रुपये निकलकर किसी के पास चले गए हैं। कभी पता चलता था कि रोज़ वैली टाइप का कुछ हुआ है और 60 हजार करोड़ रुपये चले गए हैं। हमारी सरकार ने कम से कम कलेक्टिव स्कीम्स, जिसे पिछले सत्र में पारित किया गया है, या चिट फण्ड है। पहले बहुत सारे रेगुलेटरी फण्ड्स थे, जिनको सेबी कवर नहीं कर पाता था तो उसमें से चिट फण्ड भी एक था। पिछले सत्र में ही इसे पारित किया जाना था, क्योंकि वर्ष 2018 से ही यह चल रहा है, लेकिन सौभाग्य से हमारी सरकार को इस विधेयक को पारित करने का अवसर मिला है। इसका जो साइज बताया जाता है। जब तक सदन में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता है, तब तक यह अनुमान नहीं लगता है कि जिन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका साइज क्या है?

चिट फंड की बात करें तो रु. 500 अरब तक जाती है जो कि लागत है। तीन प्रकार के चिट फण्ड थे। एक तो राज्य सरकारें करती थीं, उनके अधीनस्थ पीएसयूज़ इत्यादि करते थे। कुछ हद तक उन पर नियंत्रण रहता था, कुछ हद तक नियंत्रण नहीं रहता था। उसके बाद दूसरी श्रेणी का था जो प्राइवेट रजिस्टर्ड था। उस पर भी कुछ प्रकार का नियंत्रण रहता था। लेकिन उसमें भी लूपहोल्स रहते थे, जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन इनके अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड चिट फण्ड्स थे, उनकी संख्या देश में, वर्ष 1982 में जो चिट फण्ड एक्ट बना, उस दौरान लगभग 10 हजार से अधिक चिट फण्ड की संस्थाएं थीं। उसमें बहुत सारी सम्भावनाएं थीं, जिसके कारण लीकेज थी और वह सेबी के भी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं था। इस प्रकार से देश की बहुत बड़ी वित्तीय व्यवस्था चिट फण्ड के माध्यम से थी। यह पारम्परिक रूप से सौ वर्षों से अधिक समय

से है। यह देश की आजादी के पहले भी था और देश की आजादी के बाद भी चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम सभी लोग राजनेता हैं, सांसद हैं और विधायक हैं। इस देश में जो व्यवस्था है उसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ तीन हजार सांसद और जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सरकारी व्यक्तियों की संख्या कहीं ज्यादा है, चाहे वह राज्य सरकार में हों या केन्द्र सरकार में हों। हम पांच साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन संस्थागत तरीके से तीस वर्ष तक रहने वाले अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। हम सब सीमित समय के लिए आएंगे। जब सदन के भीतर पांच वर्ष के लिए आएंगे तो चर्चा करेंगे, फिर सदन के बाहर चले जाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति जीतकर आएगा। इस आंशिक पांच वर्ष के भीतर हम इतना काम करते हैं। लेकिन संस्थाओं को देखने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी पिछले 70 वर्षों से रही है। अगर उन्होंने इस विषय को ध्यान से देखा होता, इस देश के 70-72 परसेंट भारत के लोग चिट फण्ड में इनवेस्ट करते हैं, ऐसी समिति की रिपोर्ट भी है। लोगों का 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा इसमें लुट गया है। अभी भारत में लगभग 30 हजार से अधिक चिट-फंड हैं, उसका मूल्यांकन किया गया है तो वे जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, लगभग 35 हजार करोड़ रुपये हैं। ये रजिस्टर्ड वाले हैं, जिनको हम जानते हैं। सौ गुना इससे अधिक हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब है कि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार इसमें होता है और इसमें संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ बैंक्स अगर लाख, दो लाख या तीन लाख करोड़ का व्यापार करते हैं तो चिंट-फंड की व्यवस्था में भी साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये है। यही एक बड़ी चिंता का कारण बनता है।

महोदया, आखिर इनका उपयोग कौन करता है? मतलब इसका आकर्षण किनके लिए होता है? ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम किटी पार्टीज़ की बात छोड़ दें, जो भारत में बहुत ही पारंपरिक तौर से बड़े लोगों के बीच में होता है, वह अलग विषय है। लेकिन चिट-फंड से जो लोग जुड़ते हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, खेत-खलिहानों में काम करते हैं। उनको लगता है कि साहब अब सौ रुपये जमा करें, चार-पांच सौ रुपये जमा किए हमको पांच हजार रुपये मिल जाएंगे, उसका आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बहुत है। इसी प्रकार से हमको याद है कि तरह-तरह की योजनाएं भारत में आती रही हैं। यहां हमारे एक बड़े मंत्री जी

बैठे हुए हैं, इन्होंने पटना में एमू की खेती की थी। जब हम इनके घर पहुंचे तो माननीय मंत्री जी के घर में कम से कम चार सौ एमू था और एमू के अंडे बेच रहे थे। पहली बार हमको समझ में आया, लेकिन उसके पहले दक्षिण में कहीं सुना था कि यह जो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है। मंत्री जी हम आपका उदाहरण दे रहे हैं। वे किसी और ज्ञान में पड़े हुए हैं। मंत्री जी आपके एमू की चर्चा हो रही है। जो आपके घर में था, आपके एमू की चर्चा हो रही है। हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर सर हिला रहे हैं। हम आपके बारे में बोल रहे हैं। मैडम, ये चार सौ एमू ले कर आए थे। ये उस समय बिहार सरकार के मंत्री थे, अब हमको समझ में आ रहा है कि पहली बार हमने अपने जीवन में एमू देखा तो बड़ी-बड़ी पक्षियां इनके घर में घूम रही थीं। इन्होंने कहा कि बड़ा अंडे का व्यापार होता है। तब तक मैंने एमू ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन बाद में जब हमने कागज पलट कर देखा तो एमू के व्यापार करने वाले इस देश में दो का चार बना रहे थे और चार का आठ बना कर एमू के नाम पर लोग पैसे का निवेश करा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है कि मंत्री जी ने अपने पैसे से एमू का व्यापार किया था। ... (व्यवधान) लेकिन एमू के नाम पर पूरे भारतवर्ष में ऐसी-ऐसी योजनाएं थीं। फिर एक किसी ने कहा कि अगर आप इज़राइल की यात्रा करेंगे और ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपकी इस यात्रा से जो कमाई होगी, उसमें से हम जो टूरिज्म का प्रॉफिट कमाएंगे, उससे हम भारत में स्कूल और अस्पताल खोलेंगे। बाद में वह व्यक्ति लगभग दस हजार करोड़ रुपये ले कर चला गया। ऐसे-ऐसे ज्ञानी लोग भारतवर्ष में कितने और कहां-कहां हैं, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। ... (व्यवधान) ये तो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि एमू का अंडा बेचना है और पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है। मैं उस विषय को नहीं उठा रहा हूँ, केवल संदर्भित कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): सभापति महोदया, मुझे माननीय सदस्य का जवाब देना है। माननीय सदस्य ने जिस एमू की चर्चा की है, चिट-फंड से उसका कहीं रिश्ता-नाता नहीं है। ... (व्यवधान) वह एमू मैं अपने घर के लिए लाया था। ... (व्यवधान) ये जान लें। अगर नहीं जानें तो थोड़ा और ज्ञानवर्धन कर लें। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल इतना ही कहा कि मंत्री जी आपके घर में उन 40 और 50 एमू को देखने के बाद मेरा एमू के प्रति ज्ञान बढ़ा। ... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : माननीय सदस्य, तो उसमें चिट-फंड कहां से आ गया?

श्री राजीव प्रताप रूडी : पता नहीं। आप भारत सरकार के मंत्री हैं, कम से कम जो बोल रहे हैं, इसी पर चर्चा हो रही है चिट-फंड की हो रही है कि देश में एक बार योजना चली थी, जिसमें एमू के नाम पर लोगों ने वसूल लिया था। ... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : महोदया, देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एमू चिट-फंड में आया था। हमने एमू लिया जरूर था, लेकिन एमू के ग्राहक मिले नहीं, लेकिन चिट-फंड से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मंत्री जी,ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। एमू की एक योजना थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ... (व्यवधान) बाकी जो लोग समझ पाएं हैं, समझ गए हैं। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। ... (व्यवधान) महोदया, मैं कह रहा था। ... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि गिरिराज जी जो बोल देते हैं तो उस पर आगे क्रॉस करना नहीं चाहिए, बल्कि मान ही लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मेरे पास कागज़ बहुत हैं, मुझे बोलना है। लेकिन एक बात बताएं और मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और ये तो हमारे छोटे मंत्री जी इस विभाग के हैं, छोटे और बड़े मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। देश की सरकार ने और देश के प्रधान मंत्री जी ने इन सब चीजों को देख कर के एक बहुत बड़ी योजना लागू की है। सचमुच में पता नहीं, माननीय सांसदों ने कितने स्थानों पर इसका लाभ उठाया। लेकिन मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में और जो प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, शिशु योजना, उन्होंने इन्हीं सब परिस्थितियों को देख कर, यहां तो पैसा लगाना पड़ता था। मैंने कम से कम डेढ़ सौ करोड़

के आस-पास अपने संसदीय क्षेत्र में शिशु योजना के तहत् पैसे बंटवा दिए हैं। हमारे पास जो योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम लोग जिनको मैंने पैसा दिलवाया, उनसे मैंने पूछा कि शिशु योजना में जो बैंक से आपने लोन लिया है, आपके पास सिलाई की दुकान है, आपके पास मीट की शॉप है, आपके पास परचून की दुकान है, आपके पास चूडियों की दुकान है, आपके पास मोबाइल रिपेयर की दुकान है और इन सब लोगों की दुकान चल रही थी। जब मैंने सब लोगों को लोन दिलाया तो सभी लोग जो अपना व्यापार 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार में करते थे, इन्होंने अपने जीवन में बैंक से कभी लोन नहीं लिया। यह सचमुच में एक्सपेरिमेंट है।

महोदया, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण सभी सांसदों को देना चाहूंगा। मैंने 23 हजार आवेदन मुद्रा योजना के तहत बैंकों में जमा कराया। उसमें से मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 21 हजार आवेदन बैंक ने किसी न किसी कारणवश एक फार्मेट लगाकर लौटा दिए। मुद्रा योजना जो देश की सरकार और प्रधान मंत्री की सबसे बड़ी योजना है अगर हम सब मिलकर इसको कार्यान्वित कर दें और भारत की सरकार और माननीय मंत्री इसकी निगरानी करें तो ऐसे चिट फंड बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गरीब अपने बैंक के खाते से पैसा निकालेगा और उसके बाद एमाउंट डेबिट होगा। वह अपना व्यापार करके उसे लौटा देगा। जब देश की सरकार और देश के बैंक्स, अगर बैंकिंग सर्विसेस हमारे यहां थोड़े सा लोगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े जो स्कैंडल्स होते हैं या इस प्रकार के रेगुलेशन की हम बात करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से एक पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में यहां बैठे हैं। अगर आप सिर्फ छपरा को पायलेट के रूप में एक बार एग्जामिन करवा लें। मैंने आग्रह किया है कि गरीबों तक पहुंचने की जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें मुद्रा योजना के तहत मैंने कितने आवेदन डलवाए। आपके बैंकों ने बिना किसी कारण के एक पैमफ्लेट लगाकर कितने को अस्वीकृत किया है और कितने को स्वीकृत किया है। अगर एक जिले को पकड़ कर आप पायलेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे बिलों की सम्भावनाएं भारत में

विमर्श करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हम देश के गरीबों को बहुत आगे लेकर चल सकते हैं और किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। इस विषय पर विस्तार से सदन में जब-जब मौका मिलेगा... (व्यवधान) मैडम, आप मेरी बातों से नाराज हुई हैं, आप उठ रही है, आप मत उठिए।

<u>अपराह्न 5.18 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

मुझे लगा कि आप मेरी बातों से नाराज होकर जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बड़ी बात हम रख ही रहे थे, तो आपके समक्ष भी एक बार फिर से उसी बात को संक्षिप्त रूप से रख ही दें। यह मेरा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जी जा रही हैं और आप इस कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। आपकी मुस्कान के सामने बोलने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि यह चिट फंड के पहले हमने कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम पर भी विधेयक पारित किया। देश में लोगों के पैसे की और जो जमा की हुई राशि है, उसकी बचत के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि छपरा जो जिला है, आप पायलेट के रूप में उस जिले के बारे में, अगर आप जिले के रूप में सारण जिला जो बिहार का मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां 23 हजार मुद्रा योजना के आवेदन हमने जमा कराए हैं, मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, 21 हजार के आस-पास आवेदन पड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सारण जिले को पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी एग्जामिन करवा लें कि कितने आवेदन किए गए, गरीबों तक कितना पैसा पहुंचा। ऐसे चिट फंड की सम्भावनाएं और काननू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गरीबों के पास, नौजवानों के पास, साइकिल बनाने वाले दुकानदारों के पास, परचून की दुकानदारों के पास, चूड़ियां बेचने वाली उस गरीब महिला के पास अगर ये पैसे सीधे सरकार के बैंकों से जाने लगे तो स्वाभाविक तौर से देश में यह नुकसान जो होता है और देश में गरीबों को जो लूटा जाता है, उस व्यवस्था को हम नियंत्रित कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): महोदय, धन्यवाद। चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहुत विस्तार से यहां पर चर्चा हुई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब भी देश के गरीब की बात आती है, छोटे व्यापारी की बात आती है, लोक सभा के इस सदन में सभी अपने राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठकर कानून बनाने में एकजुट और सहमत होकर अपने विचार भी रखते हैं, सुझाव भी रखते हैं और इस कानून का समर्थन भी सब तरफ से देखने को मिला है। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी बात रखते हुए और क्या सुधार हो सकते हैं, इस बिल से क्या सुधार होगा, क्या चुनौतियाँ समाज में हैं, इन सब विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। कहीं न कहीं ये बातें भी आईं कि क्या डिपॉजिट स्कीम या पैसा इकट्ठा करने वाले जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसकी चर्चा भी हुई, कहीं न कहीं उस बात को एक मिक्सअप होते हुए भी देखा गया। अनरेग्युलेटिड डिपॉजिट को हम चिट फंड के साथ कहीं न कहीं बहुत बार बातों में मिक्स कर गए। अगर आपको याद हो कि पिछले ही सत्र में जब नियमित योजना जमा राशि पर प्रतिबंध पर कानून बनाने के लिए हम यहां पर आये थे, तब भी इस सदन में भी और राज्य सभा में भी सभी माननीय सांसदों ने, जिन्होंने उस चर्चा में भाग लिया, उसमें भी बहुत अच्छे विचार दिए और जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी थीं, उन्होंने उस समय सारी अमेंडमेंट्स विदड्रा भी की थीं कि यह गरीब के हित में बिल है, ताकि उसका जो ईमानदारी का पैसा है, जो छोटी-छोटी बचत है, कहीं वह बर्बाद न हो जाए, इसलिए उस समय भी इन सब लोगों ने सहयोग किया था। यह मात्र दो-तीन महीने पुरानी बात है। चिट फंड बिल शायद उस समय आता।

पिछली बार जब यह 16वीं लोक सभा में यहां पर आया, वित्त संबंधी स्थायी समिति को इसे देखने के लिए कहा गया, विस्तार में इस पर चर्चा हुई। इससे पहले की-एडवाइजरी ग्रुप इस पर बनाया गया था। उन्होंने अपनी अलग से रिकमंडेशन दी थी। फाइनेंस कमेटी के सारे विचार सुनते हुए, उनकी 21वीं रिपोर्ट भी सुनी, उसमें उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आयी थी। फिर 35वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा कानून बने, जिससे चिट फंड में जो अपना पैसा देते हैं, उनको कहीं न कहीं सुरक्षित रखा जाए और

मजबूती वहां पर मिल सके। उसमें प्रमुखता क्या थी, जो अनियमित जमा राशि पर प्रतिबंध था, उसमें डिपॉजिट जो कंपनियाँ लेती हैं, जो 9 रेग्युलेटर से बाहर हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन, जो इन जैसे 9 आर्गनाइजेशंस से बाहर हैं, वे सारे ही अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट गिने जाएंगे। उसमें बड़ी क्लियर व्याख्या है। जो 9 में रजिस्टर होंगे, वे रेग्युलेटेड होंगे और जो 9 से बाहर होंगे, वे अनरेग्युलेटेड होंगे। वह अलग बिल था। यह चिट फंड के लिए है, जो डिपॉजिट मेकिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और निर्धारित समय पर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी है, अलग-अलग इंटरवल पर देनी है। इस पर भी यह कहा गया, जो पहले डिविडेंड की बात आती थी कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसमें कुछ विरोध भी होता है कि डिविडेंड कहां से दोगे। उस पर भी इसको बदलाव करके नाम बदलने की बात कही गई। यह ज्यादा जागरूकता लाने के लिए सब कुछ किया गया है। जहाँ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट इल्लीगल है, वहीं पर चिट फंड लीगल है। आप रजिस्टर करवाते हो और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको परमीशन मिलती है, तब जाकर आप अपनी चिट को फ्लोट कर सकते हो। लोग उसके हिस्से बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि फोरमैन, क्योंकि 1981 के बाद तो बेचारे की उसकी कमीशन ही नहीं बढ़ पाई थी, तो स्थायी समिति ने भी, के. ए.जी. ने भी, दोनों ने ही कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए, तभी इसको बढ़ाकर 7 परसेंट किया गया ताकि फोरमैन का कमीशन बढ़ सके। इसकी चर्चा में बहुत सारी बातें आईं।

एक बात मैं कहूंगा कि यह अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको क्रेडिट भी और सेविंग, दोनों की व्यवस्था एक ही योजना में मिलती है। इसके अलावा, नाम बदलने की जो बात यहां कही गई कि नए नाम क्यों दिए गए, तो बहुत सारे भाषणों में, विशेष तौर पर, पश्चिम बंगाल के जो माननीय सांसद थे, उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि चिट और चीट, इन दोनों में बहुत अन्तर है, लेकिन कहीं न कहीं उस राज्य में कई जगहों पर ऐसा अन्तर देखने को नहीं मिलता। चिट और चीटइन दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उसी भावना के साथ इसे लाया गया था कि जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, वे बिल्कुल अलग हैं।

वे डिपॉजिट बेस्ड हैं, घपले करने वाले काम हैं। चिट फण्ड एक लीगल सिस्टम है, जिसके माध्यम से इसे चलाया जा सकता है। इसलिए चाहे फ्रैटरनिटी फण्ड की बात हो या आर.ओ.एस.सी. ए., इसे एक अल्टरनेट नाम देने की व्यवस्था खड़ी की गयी है, ताकि इसके माध्यम से आगे लाभ मिल सके।

यह बात आई कि बहुत पहले यह कैप लगाई गई थी कि किसी व्यक्ति का एक लाख रुपये और किसी फर्म का तीन लाख रुपये तक या छः लाख रुपये तक हो सके। यह पहले था। अब वर्ष 2001 की इंफ्लेशन रेट के हिसाब से इसे तीन गुणा बढ़ाया गया है। इंडीविडुअल्स के लिए इसकी लिमिट को तीन लाख रुपये और फर्म्स के लिए इसे अठारह लाख रुपये किया गया। एक सवाल आया कि बैंकिंग के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स को लेंड करते हैं। वीरास्वामी जी ने कहा था और प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रति वर्ष प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में, एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर, लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी किया गया, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सांसदों ने अभी कहा कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। उस पर मैं आगे और आपको जानकारी भी दूंगा। आपने जीएसटी के एग्जेम्पशंस की बात कही। यह ऑपरेशनल मैटर है और जी.एस. टी. काउन्सिल में इस विषय पर विचार किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। आपने हाउसवाइव्स को अफेक्ट करने की बात कही। उसके बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि जो पहले 100 रुपये की कैप थी, यह सही बात है कि बहुत सारे सांसदों ने कहा कि आज के समय में 100 रुपये बहुत कम है। इसलिए हमने अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर उन राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने राज्य के अनुसार इसे तय कर सकते हैं। इसे तय करने में वहां की राज्य सरकार की भूमिका रहेगी। इससे छोटे-छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, उन्हें भी और जो महिलाएं हैं, हाउसवाइव्स हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

जहां तक चिट फण्ड्स स्कैम की बात कही गयी, कई जगहों पर तो सुप्रीम-कोर्ट-मॉनीटर्ड कमेटीज काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न चिह्न खड़ा न करें। हाँ, उसमें तेजी आए। हम

सब लोगों की चिन्ता है कि लोगों के जो पैसे लगे हैं, उन्हें जल्द वापस किए जाएं। लेकिन, जब वह पैसा वापस दिलाने की बात आती है तो कई लोग ऐसे बड़े पदों पर बैठ कर भी उसमें एक रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि यह पैसा गरीबों से जुड़ा हुआ पैसा है। उस जांच में किसी को भी अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। गरीब को उसके डूबे हुए पैसे जल्द से जल्द वापस मिलें, यह हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वह चाहे कोई भी क्यों न हों, आखिरकार उस गरीब की ईमानदारी की कमाई को छीनने का हक किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनीटर की गयी इस जांच में कोई भी रोड़ा न बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए।

जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, यह इसलिए किया गया कि अगर आप व्यस्त हैं, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले शायद हम लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएगा या डेटा का इतना यूज होगा, लेकिन पिछले चार वर्षों में हमने भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति देखी है कि दुनिया भर में हमारे यहां सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन बढ़ने की शुरुआत हुई। दूसरी ओर से भारत सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयास किया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के गांव-गांव को, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है। यह इतनी बड़ी बात है कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर जहां हमारे देश की हर पंचायत और गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी सुविधा गांव-गांव तक होगी। यह डिजिटल इंडिया को ताकत भी देगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके चिट का परिणाम निकल जाएगा तो दो दिनों के अन्दर उन लोगों से, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है, उनसे उसके रजिस्टर पर साइन करवाना है। उसमें यह अनिवार्य किया गया है, ताकि इसमें कोई धांधली नहीं हो सके। इसका भी प्रावधान हमने इसमें करके दिया है।

यहां इंश्योरेंस की बात आई, यह ऑपरेशनल मैटर है। अब आप कहिए कि किसी चिट में या चिट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लगे कि हम इंश्योरेंस का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम बगैर इंश्योरेंस के ही

ठीक हैं। अगर किसी को लगता है कि उसे इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उसे इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। कोई भी आईआरडीए तक जा सकता है। अगर कोई रेगुलेटर या इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अपनी चिट को इंश्योर करवाना चाहे, तो हमने उनके ऊपर इसको छोड़ा है। इसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कहीं न कहीं उन गरीब लोगों के ऊपर पड़ती। जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम करने की बात है, आपने कहा कि इसको 100 परसेंट से घटा कर 50 परसेंट कर दीजिए। मुझे लगता है कि यह अन्याय होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, उनकी पूरी सिक्योटी का हमने इसमें प्रावधान किया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैंस एंड एडवाइजर ग्रुप ने भी इसके बारे में कहा था। मुझे लगता है कि आप सब की भी सहमति होगी कि जो भी इसमें पैसा निवेश करें, उसका पैसा सुरक्षित हो, किसी का एक रुपया भी न डूबे, इसके लिए सदन को पूरी प्राथमिकता से निर्णय करना चाहिए।

इसके अलावा, आरबीआई ने भी इस डिमांड को नहीं माना था और दूसरा, माननीय महताब जी ने भी कहा था। हमने चिट फंड्स को रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकारों के पास ही इसका अधिकार दिया है। रजिस्ट्रार को भी बहुत सारे अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिए हैं। [अनुवाद] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत, स्वयं आरबीआई को भी किसी भी चिट फंड की पुस्तकों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 73 के अंतर्गत आरबीआई किसी भी राज्य सरकार को किसी नीति संबंधी विषय पर, चाहे स्वयं पहल करते हुए अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर, परामर्श दे सकता है। [हिन्दी] यह जो कहा गया था कि आरबीआई के पास कुछ अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि आरबीआई के पास इन नियमों के अंतर्गत अधिकार है। वहां पर वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। [अनुवाद] धारा 87 के अंतर्गत, केवल आर.बी.आई. के परामर्श से राज्य सरकार किसी भी चिट फंड को अधिनियम से छूट दे सकती है। [हिन्दी] सुप्रिया जी कह रही थी कि आरबीआई के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के पास बहुत कुछ है।

इसके अलावा, एक सवाल खड़ा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। यह पहले से मौजूद है। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करता है। वह राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। इस कमेटी में सेबी, आरबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, सीबीआई, पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारी है। मुझे लगता है कि जो फ्रॉड से रिलेटेड या बाकी रेगुलेटर हैं, वे सभी इसमें शामिल हैं। राज्य में चीफ सेक्रेटरी है और जहां से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें उनका हिस्सा है। वहां हर तीन महीने में एक बार कमेटी मिलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में कोई शंका रहनी चाहिए। इनके पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं। इनके पास हर तीन महीने में मिलने का नियम भी बना हुआ है और उसमें न्याय दिलाने के लिए उचित लोग भी हैं। उन्होंने ग्राहकों के हितों की रक्षा के बारे में बात की। इसके बारे में मैं अपनी तरफ से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। अभी महताब जी नहीं है। [अनुवाद] अधिनियम का अध्याय 5 अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है ताकि किसी विशेष चक्र में जीतने वाले अंशदाता भावी चक्रों में भी अपना भुगतान जारी रखें। अध्याय 3 फोरमैन के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करता है, जिसमें सभी अंशदाताओं की हित की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। अध्याय 4 में चूक करने वाले अंशधारकों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है, जैसे कि उन्हें हटाना और उनके स्थान पर अन्य को नियुक्त करना, ताकि अन्य अंशधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

इसके अलावा, आरबीआई ने 'सचेत' नाम से एक पोर्टल लांच किया है, जिस पर इसकी जानकारी भी है। अगर आपको याद होगा, तो बैनिंग ऑफ अन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हमने यह भी प्रावधान किया था कि इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से योजना चलाने वाले लोगों का एक डेटा बैंक बने और उनके पोर्टल पर वह उपलब्ध हो, ताकि देश भर में उसकी जानकारी मिल सके। उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया था और यहां भी सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी का पैसा लेकर

कोई न भागे। अगर सदन को लगता है कि सजा होनी चाहिए, तो उसका प्रावधान इस कानून में किया गया है, ताकि भविष्य में उस बात का ध्यान रखा जा सके। अधीर रंजन जी ने कहा कि क्या चिट फंड से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों पर उपभोक्ता फोरम द्वारा विचार किया जा सकता है। उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित है। आपने दो-तीन हाई कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी उदाहरण यहां पर दिया। यह न्यायपालिका द्वारा तय किया जाता है कि क्या कोई उपभोक्ता शिकायत या शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सम्मिलित की जाती है। इसलिए शायद कहीं न कहीं यह और यह एक केस में ही नहीं, बहुत सारों में दिक्कत आती है। आपका यह विषय उठाना बड़ा वाजिब है, मैं आपसे इसमें कुछ हद तक सहमत भी हूं। आपने कहा कि फोरमैन का नाम बदलना चाहिए। इस पर बड़ी डिटेल में चर्चा कमेटी में भी हुई, उससे पहले जो एडवाजरी ग्रुप रखा गया, कुछ सांसदों ने और भी कहा, तो मुझे लगता है कि इसकी रिस्पांसिबिलिटीज भी, इसका नाम भी इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है। उसको लिअन करने तक के सारे प्रावधान किए गए हैं। यह इंडिविजुअल और कंपनी में कहीं पर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इसकी डेफिनिशन बहुत क्लियर है और अब इसके ऊपर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अमर सिंह जी ने कहा कि लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली और बीमा तक पहुंच मिलनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। कहीं न कहीं जब हम सब लोग यह बात उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पिछले कुछ वर्षों पर भी नजर उठाकर देखना चाहिए कि हम कहां पर थे, कहां पहुंच पाए हैं। आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे बैंक खाते नहीं थे। बहुत सारे मीन्स, 37 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर पढ़कर बताना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना में 37 करोड़ 30 लाख बैंक खाते 16 अक्टूबर, 2019 तक खुले। आप कल्पना कीजिए कि जिन गरीबों के पिछले 70 वर्षों में खाते नहीं खुले थे, 15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंक का खाता खोलेंगे। हमने जब कहा, तो बहुत मजाक भी उड़ाया

गया कि कौन पैसा जमा कराएगा, जीरो फ्रिल अकाउंट में कौन खाता खुलवायेगा? माननीय अध्यक्ष जी, केवल खाते नहीं खुले हैं, इनमें 1,05,523 करोड़ रुपये देश के गरीबों ने जमा करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है।

प्लास्टिक कार्ड्स या प्लास्टिक मनी की बात कही गई। मैं कहूंगा कि दुनिया कॉइन से प्लास्टिक कार्ड पर या प्लास्टिक करेंसी पर गई। [अनुवाद] भारत ने सिक्कों से कागजी मुद्रा और कागजी मुद्रा से डिजिटल भुगतान की ओर अग्रणी भूमिका निभाई है। हमें इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए कि यूपीआई मंच के माध्यम से पिछले माह एक अरब से अधिक लेन-देन संपन्न हुए हैं। मैं इसे दोहराता हूं — एक अरब से अधिक लेन-देन हुए हैं। [हिन्दी] यूपीआई कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया। 1 बिलियन ट्रांजैक्शन्स उसमें हो जाएं, यह बहुत बड़ी बात है। देश के गरीब ने, आम नागरिक ने और गांव में रहने वाले, सभी ने उसको माना है। रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया गया। गरीब एटीएम तक जाने की कहां सोचता था? हमने उनको ताकत दी है। लगभग 28 करोड़ लोगों के पास रुपे डेबिट कार्ड देश के अंदर भी हैं और अब तो सिंगापुर, यूएई और बाकी देशों में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई गई है, मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आप मास्टर कार्ड, वीजा या एसबीआई कार्ड की वैल्युएशन देख लीजिए, कहां पर है। आज उनकी वैल्युएशन जहां पर है, कल को अगर रुपे डेबिट कार्ड की वैल्युएशन मार्केट में की जाए, तो मुझे लगता है कि अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा कि हजारों करोड़ रुपये की वैल्युएशन हमारे रुपे डेबिट कार्ड की हो सकती है। हमने फाइनेन्शियल इन्कलूजन के स्तर पर प्रयास किए हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि इसमें जितने सुधार की जरूरत होगी, उसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे। सुप्रिया जी ने कहा कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ गया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का आर्टिकल पढ़िए, बिल पढ़ कर नहीं आईं, लेकिन डॉक्टर साहब के आर्टिकल पर सब कुछ बोला। मुझे कुछ न कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं

बिना नाम लिए बोल देता हूं क्योंकि बिल पर कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। एनपीए किसके दिए हुए हैं। ... (व्यवधान) वे वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेकर बोला जाए। जब हमारी सरकार आई, मैं उस समय पार्लियामेंटरी स्टैन्डिंग कमेटी का सदस्य था। उस समय रघुराम राजन जी ने आकर कहा था कि यह एनपीए का लोन उस समय का है जब यूपीए सरकार थी। ये लोन उसी समय दिए गए और बाद में एनपीए हुए। उस समय इसे कारपेट के नीचे दबाया गया था। हमने कुछ भी नहीं छिपाया, हमने देश को बताया कि एक्चुअल में एनपीए है और वह देश की जनता के सामने आया। हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू कराने का प्रयास किया। हम लोग फोर-आर स्ट्रेटजी पॉलिसी लेकर आए, जिसमें रिकग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिर्फाम्स है। हमने इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। हमने कुछ छिपाया नहीं। जो दस पीएसबी थे, अब उनकी चार एंटिटी रह जाएगी। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकें। वे पीसीएफ फ्रेमवर्क से बाहर आए तो हमारी सरकार के कारण आए। हमने उनको रिकैपिटलाइजेशन करने काम किया, उसमें लाखों-करोड़ रुपये हमारी सरकार ने डाले हैं। उस समय कहा गया कि आपने इन्सोलवेंसी और बैंकरप्सी कोड लाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। इससे क्या हो गया? हमने बड़ा तीर मारा है। हममें हिम्मत थी तो हम कानून भी लेकर आए और उस कानून के डर और प्रावधान से लगभग चार करोड़ चौरासी लाख रुपये इस देश में वापस आया है, उसके माध्यम या उसके डर या उसके प्रावधानों से आया है। उससे डेटर-क्रेडिटर रिलेशनशिप बेहतर हुई है। कुछ एनसीएलटी आने से पहले सोल्व हो गई और कुछ एनसीएलटी आने के बाद हुए। भूषण स्टील अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। शायद पहले चार-पांच वर्ष लगते और पैसा वापस नहीं आ पाता। इस काननू बनने के बाद वह समय आधा से भी कम रह गए और हजारों करोड़ रुपये वापस आने शुरू हुए हैं। हमने कानून बनाया और उसे लागू किया। फिज्यूटिव इकोनॉमिक आफेंडर्स बिल की बात आई, आपने पैसा दिया और वे भाग गए। उन्हें वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया और विदेशों में रहने वाले को जेल भी कराई और कई लोगों को वापस लाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की है। हमने किया है इसीलिए बोलते

हैं। जहां तक फाइनेन्शियल लिटरेसी की बात कही गई, इस देश में फाइनेन्शियल लिटरेसी पर कोई काम ही नहीं हुआ, यह कहा गया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कम से कम पांच मिनट लेना चाहूंगा। यहां 1483 फाइनेन्शियल लिटरेसी सेंटर्स हैं। यह आंकड़ा 31 मार्च, 2019 तक का है। अप्रैल, 2018 से लेकर मार्च, 2019 तक इन फाइनेन्शियल लिटरेसी के 52,084 स्पेशल कैम्प लगाए जिसमें 93,343 स्पेसिफिक कैम्प लगाए गए। रूरल ब्रांच में 3,05,672 कैम्प लगाए गए और पिछले साल 2,64,120 कैम्प लगाए गए। इसके अलावा अलग से फाइनेन्शियल इनक्लूजन फंड बनाया गया है। हमने फाइनेन्शियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैम्प भी शुरू किए। हमने आरआरबी और आरसीबी को फंडिंग सपोर्ट दी है, वह छह हजार रुपये प्रति कैम्प देते हैं। 330 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्टस में पांच हजार कैम्प लगाए हैं। स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट में डेमो वैन के लिए भी देते हैं। इससे और जानकारी मिल सके, फाइनेंशियल लिट्रेसी स्पेशल फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हो सके। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड स्कीम 7 सितंबर, 2016 को बनाई गई थी। इसका काम एडमिनिस्टर, एजुकेशन और प्रोटेक्शन करना और जानकारी देना था। आईईपीएफ ने एमओयू कॉमन सर्विस सैंटर्स, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ से किया है, जो मिनिस्ट्री आफ इलैक्ट्रॉनिक्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि भविष्य में और सेंसटाइजेशन हो और जानकारियां मिलें। वर्ष 2018-19 में 27,639 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए गए। सीएसई ई-गवर्नेंस मैकेनिज्म प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स से करवाया गया। इस वर्ष और आने वाले वर्षों में हम 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएसई के थ्रू प्रोग्राम किए जाएंगे।

नेहरू युवा केन्द्र, जो केवल एक संस्था है, जिसमें बहुत कम कार्य किए जाते हैं, हमने उसे इसमें जोड़ने का काम किया है। हम इसे कस्टमाइज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कंडक्ट करेंगे। इसमें आफिशियल्स और वालेंटियर्स को जानकारी देंगे ताकि लाखों लोगों को वे जानकारी दे सकें। हम इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिट्रेसी प्रोग्राम ग्रामीण भारत में एडवांस स्टेज पर चलाने की बात इंडिया पोस्ट

पेमेंट बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। पोस्ट बैंक ने देश भर में लगभग 650 ब्रांचेज़ माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर खोली हैं। इसके माध्यम से 3219 प्रोग्राम्स किए जाएंगे। 20,000 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 3 लाख 21 हजार 9 सौ भारत के नागरिकों को इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इतने कार्यक्रम फाइनेंशियल लिट्रेसी के माध्यम से शुरू किए गए हैं। इसके अलावा भी लंबी सूची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे चलूं। मैंने आईबीसी और एपेक्स कोर्ट की बात कही है, जनधन योजना का विषय भी रखा है। यह भी कहा गया कि कलैक्शन कम हुई क्योंकि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन वर्ष 2013-14 में 6 लाख 39 हजार करोड़ था जो पिछले साल बढ़ गया, इसमें डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा कारण है। हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था।

प्रो. सौगत राय : यह तो बजट के रिप्लाई की तरह हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपने यह मुद्दा उठाया। इसलिए वे जवाब दे रहे हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें किसी पर भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं, हम सहमति से इस बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन किसी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है, मैं जितनी जानकारी दे सकता हूं, उतनी देने का प्रयास कर रहा हूं। हम में दम था, हमने डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, इसलिए 6 लाख 35 हजार करोड़ से बढ़कर 11 लाख 38 हजार करोड़ रुपये की कलैक्शन हुई है, लगभग दुगनी कलैक्शन हुई। इनकम टैक्स देने वाले भी लगभग दुगने हुए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने देखा कि अनरैगुलेटेड डिपोजिट, पोंजी स्कीम्स को चिट फंड के साथ मिश्रण किया गया था। किसी ने 'नासमझ' शब्द का प्रयोग किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जानकारी के अभाव में ऐसा कई बार होता था, मुझ से भी होता था, सबसे होता है। मैं शायद इस विभाग का मंत्री हूं तो मेरे पास ज्यादा जानकारी है, जानकारी सब तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। हम

देश को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाना चाहते हैं और वर्ष 2025 तक बनाकर छोड़ेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं।

अर्थव्यस्था पर अधिकतर सवाल थे, मैं उस पर नोट बनाकर लाया हूं। अगर आप कहते तो मैं एक-एक करके सब पर कार्रवाई कर सकता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू को उठाया गया है। पर्ल कंपनी की बात भी कही गई। जहां पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी होगी, एक कंपनी चाहे एक राज्य में है, दूसरे में है या तीसरे में है, मुझे लगता है कि यह समय-सीमा तो उनको भी तय करनी चाहिए। अगर सदन को लगता है कि निर्धारित समय के अंतर्गत है तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट पर थोप नहीं सकता। लेकिन, जो कमेटीज बनती हैं, हमने कई वर्षों तक देखा है कि कोई एक वर्ष के लिए बनती है और दस वर्ष तक वह अपना काम करती रहती है। निर्धारित समय के अंदर उस पर काम हो, गरीबों को पैसा मिले, मैं आप सबकी इस भावना को समझता हूं। इस सदन के माध्यम से वह भावना मीडिया भी जन-जन तक पहुंचा सकती है, जहां तक पहुंचे। लेकिन हमारी सरकार कानून में जो भी बदलाव करना होगा, वह करेगी, आप सबके सहयोग से करेगी, ताकि भविष्य में किसी गरीब का पैसा न लुटे। फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम्स भी होंगे। कानून की पूरी ताकत भी उनको दी जाएगी और जानकारी भी जन-जन तक पहुंचे ऐसा प्रावधान किया जाएगा। मेरा आप सब से भी अनुरोध है कि आप भी जब कोई कार्यक्रम करें तो वहां पर लोगों में जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि पोंजी स्कीम में और लीगल चिट फंड में क्या अंतर है। यह जो रेगुलेटेड डिपॉजिट हैं, जो 9 संस्थाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, वे जेनुइन कैसे हैं, लीगल कैसे हैं और इल्लीगल क्या है, इसको यदि आप भी जन-जन तक पहुंचाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सोशल मीडिया व मीडिया पर जनता को बताएं। मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि भविष्य में जब ये फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम किए जाएं तो जहां संभव हो सके वहां पर सांसदों को भी बुलाना चाहिए ताकि सांसदों की भागीदारी भी वहां पर हो और जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके। मैं किसी राज्य के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कोई जितना मर्जी कहे कि किसी एक राज्य के बारे में कहें, किसी एक स्कीम के बारे में कहें, आज मैं देश के गरीबों के हित के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं

उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब के हित के संरक्षण के लिए है और यह बिल भी उसी के लिए लाया गया है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हम गरीब के हित के लिए इस बिल को पास करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो। आप सड़क पर जाकर जो करना है करिए, लेकिन सदन ने हमें कानून बनाने की क्षमता या ताकत दी है। हम यहां पर कानून बनाएंगे क्योंकि बाकी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर यहां पर अपने सुझाव दिए हैं, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इन्होंने राजनीति से उठकर इस बिल का समर्थन किया है।

प्रो. सौगत राय :मंत्री जी ने इतना अच्छा जवाब दिया है, इनको कम्प्लीमेंट दे दीजिए।

[अनुवाद]

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर): महोदय, मंत्री जी ने काफी उत्कृष्ट उत्तर दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जी.एस.टी. के मुद्दे की न तो पुष्टि हुई है और न ही इनकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। …(*व्यवधान*) मुझे अपना प्रश्न समाप्त करने दें। यह केवल एक छोटा सा सुझाव है। आप कह रहे थे कि इसका बीमा व्यक्तियों को स्वयं वहन करना होगा। जब आप जी.एस.टी. एकत्र कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? …(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह जीएसटी का विषय नहीं है, चिट फंड का विषय है।

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी : केंद्र सरकार को इन सभी पंजीकृत चिट फंडों का बीमा क्यों नहीं करना चाहिए? यदि किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है तो बीमा होगा। इसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए जी.एस.टी. के माध्यम से किया जाता है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे लगता है कि जब मैंने अपना उत्तर देना शुरू किया, तो मैंने विशेष रूप से माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख किया और तदनुसार उत्तर दिया कि यह मुद्दा विधेयक से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जी.एस.टी. परिषद से संबंधित है। उन पर नजर रखी जाएगी।

इसके अलावा, बीमा के बारे में, हमने कहा कि आकार एक चिट से दूसरे चिट तक भिन्न हो सकता है। अतः इसे ग्राहकों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वे इसे बीमित कराना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि इसकी लागत का वहन ग्राहकों एवं चिट फंड द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4 **धारा 11 के स्थान पर नई**

धारा का प्रतिस्थापन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन , क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, अपनी बात रखते समय मैंने एक गंभीर चिंता व्यक्त की थी कि यह प्रावधान समाज के गरीब और वंचित वर्गों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वयं सहायता समूह, कुदुम्बश्री समूह तथा समता समूहों में फ्रेटरनिटी फंड के साथ-साथ घूर्णन बचत और ऋण संस्थाएं भी संचालित हो रही हैं। आप दो शब्दों को निगमित कर रहे हैं, अर्थात, फ्रेटरनिटी फंड' और 'बचत और ऋण संस्था'। यह धारा 2, खंड (ख) की परिभाषा के दायरे में आएगा। जब इसे शामिल किया जा रहा है, तो उन गरीब लोगों पर, जो कुछ ग्रामीण कार्य कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि किसी समूह में 10 सदस्य प्रत्येक 30,000 रुपये का योगदान देते हैं, तो कुल धनराशि 3 लाख रुपये होगी और वे ऋण एवं बचत गतिविधियों में संलग्न होंगे। योजना में सब कुछ है। इसका क्या असर होगा? इसीलिए, मैंने फ्रेटरनिटी फंड, '*कुरी*' को हटाने के साथ-साथ घूर्णन बचत और ऋण संस्था को हटाने के लिए संशोधन का नोटिस दिया है। उन्हें धारा 2, खंड (ख) की परिभाषा से हटा दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

मैं खंड 4 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 24 और 25,--

"कुरी", " फ्रेटरनिटी फंड" या " घूर्णन बचत और ऋण संस्था " का लोप (1)
किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मैं खंड 4 में संशोधन संख्या 2 का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,--

"एक वर्ष" के *स्थान पर*

"छः महीने" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

प्रो. सौगत राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो संशोधन दिया है और जो प्रेमचन्द्रन जी ने दिया है, वह एक ही है। मेरी बात सुनिये।

माननीय अध्यक्ष : आपको 6 और 7 पर बोलना है।

प्रो. सौगत राय: सर, मेरा संशोधन यह है कि इसे ओमिट किया जाए क्योंकि इससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चिट फंड क्या है, पौंजी स्कीम क्या है, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप यह बताएं।

प्रो. सौगत राय: मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेमचन्द्रन जी ने भी यह सवाल उठाया है। लेकिन मंत्री ने अच्छा जवाब दिया है, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 धारा 13 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 3 का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 43 और 44,--

"तीन लाख रुपये" के *स्थान* पर

"दो लाख रुपये" *प्रतिस्थापित* किया जाए"। (3)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रोफेसर सौगत राय: महोदय, मेरा संशोधन है, पृष्ठ 2, पंक्ति 32, "एक वर्ष" *के स्थान पर* "छः महीने" *प्रतिस्थापित* करें। यह एक मामूली संशोधन है। अभी जो बोला है कि एक साल के अंदर उसको भर्ती करना चाहिए। हमारा यह कहना है कि 6 महीने के अंदर करिए। [अनुवाद] लेकिन मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 और 39,--

"तीन लाख रुपये" के *स्थान पर*

"चार लाख रुपये" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (14)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सुरेश द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.00 बजे

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा 16 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : क्या प्रो. सौगत राय जी, में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, यहां पर बोला गया कि चिट फंड की मीटिंग में वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोई हाजिर हो सकता है। मैं वीडियो काँफ्रेंसिंग के खिलाफ हूं।... (व्यवधान)

सर, अमेंडमेंट मूव करने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : दादा, अमेंडमेंट मूव होता है या मूव नहीं होता है।

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय : महोदय, मैं विधेयक के खंड 6 में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 2, --

'या फोरमैन द्वारा विधिवत रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से' *लोप किया जाए।*

(10)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत रायद्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बिल के पारित होने के आधा घंटे बाद तक, 6.30 बजे तक सदन का समय बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

माननीय अध्यक्ष : बिल पास भी होगा और शून्य काल भी चलेगा।

सदन का समय 06.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

खंड 7 **धारा 17 का संशोधन**

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत रायजी, क्या आप संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय : महोदय, मैं विधेयक के खंड 7 में संशोधन संख्या 11 से 13 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 6, --

'या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से' *लोप किया जाए।* (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9, --

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से *लोप किया जाए।* (12)

पृष्ठ 3, पंक्तियां 10 और 11, --

"ड्रा की तारीख के दो दिनों की अवधि के भीतर" के *स्थान पर* "उसी दिन" को प्रतिस्थापित किया जाए"। (13)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेशजी, क्या आप संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक के खंड 7 में संशोधन संख्या 15 और 16 को प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 और 6 को लोप किया जाए। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9, --

"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से" *के स्थान पर*

"व्यक्तिगत रूप से" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (16)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 8 धारा 21 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं विधेयक के खंड 8 में संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 13, --

"सात प्रतिशत" के *स्थान पर*

"छह प्रतिशत" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

महोदय, फोरमैन के निवेदन के संबंध में चिट फंड की अधिकतम धनराशि बढ़ाई जा रही है। जैसे-जैसे सीमा बढ़ेगी, फोरमैन का कमीशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। कृपया बताएं कि कमीशन को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत क्यों किया जा रहा है? इस वृद्धि का बोझ अंततः अंशधारकों को ही सहना पड़ेगा। इसलिए, मैं पाँच प्रतिशत से केवल छह प्रतिशत तक सीमित वृद्धि के लिए संशोधन प्रस्तावित कर रहा हूं। यह मेरा संशोधन है, जिसे कृपया स्वीकार किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेशजी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक के खंड 8 में संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 13, --

"सात प्रतिशत" के *स्थान पर*

"आठ प्रतिशत" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (17)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

<u>*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*</u>

<u>*खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।*</u>

<u>*खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।*</u>

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक महत्त्व के विषय पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। केन्द्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके 1 जनवरी, 2004 एवं उत्तर प्रदेश सरकार में 1 अप्रैल, 2005 व उसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों/शिक्षकों और अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लाई गई, जिसे राष्ट्रीय पेंशन या नवीन पेंशन प्रणाली भी कहते हैं, जो लागू की गई। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह उसके मूल वेतन के 10 प्रतिशत अंश के बराबर कटौती की व्यवस्था थी, जो सामान्य भविष्य निधि कहलाती थी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ ही जीपीएफ के रूप में कटौती की गई समस्त धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सहित कर्मचारियों को मिल जाती थी तथा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर प्रतिमाह निश्चित रूप से पेंशन मिलती थी।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नवीन पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 व उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के कुल वेतन के 10 प्रतिशत अंश के बराबर प्रतिमाह कटौती की जा रही है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के कुल वेतन के 14 प्रतिशत अंश के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जा रही है। इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन की कटौती एवं सरकार द्वारा जमा धनराशि तीन फंड मैनेजर्स क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाता है।

इन तीनों फंड मैनेजर्स द्वारा संग्रह की गई धनराशि को बाजार में निवेश किया जा रहा है। जिस प्रकार निवेशित धनराशि से प्राप्त लाभ अथवा हानि के आधार पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय जो धनराशि होगी, उसका 60 प्रतिशत अंश कर्मचारियों को दिया जाएगा, जबकि 40 प्रतिशत अंश से कर्मचारियों के पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। नवीन पेंशन प्रणाली में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि यदि बाजार में लगाया गया धन डूब जाता है अथवा हानि हो जाती है, तो कर्मचारियों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पुरानी पेंशन प्रणाली को पुन: बहाल करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिछली बार भी मैंने इस विषय को सदन में कई बार उठाया है। मेरा लोक सभा क्षेत्र जमशेदपुर है, जो औद्योगिक घराने के नाम से मशहूर है। वहां टाटा जैसे बड़े उद्यमी स्थापित हैं। वहीं एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर भी आदित्यपुर में है। यहां एमएसएमई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे-बड़े उद्योगों को मिलाकर लगभग दो हजार उद्योग हैं। इसके साथ ही, यहां माइंस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट की स्वीकृति के बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पिछली जनवरी में भूमि पूजन हुआ था। भारत सरकार के माननीय मंत्री ने वहां जाकर भूमि-पूजन भी किया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपये आबंटित किये, लेकिन वन विभाग द्वारा एनओसी न मिलने के कारण आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में अगर एयरपोर्ट बन जाता है, तो इससे केवल झारखण्ड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरूलिया और ओडिशा के बारिपदा, मयूरभंज और बालेश्वर भी जमशेदपुर जैसे बड़े शहर से जुड़ जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पोथुगन्ती रामुलु (नगरकुरनूल): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे 'शून्य काल' के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं तेलंगाना राज्य में नगरकुरनूल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी मुख्य रूप से आचमपेट में अधिक है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी तीन लाख है। साक्षरता दर बहुत कम है। यद्यपि केन्द्र

सरकार और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, तथापि इन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। यह पता चला है कि 2018 के अंत तक देश भर में कुल 226 ई.एम.आर.एस., एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं। अब समय आ गया है कि आचमपेट में ऐसे ई.एम.आर.एस. की स्थापना की जाए जो मेरे संसदीय क्षेत्र नगरकुरनूल के अंतर्गत आता है। पर्याप्त विद्यालयों, विशेष रूप से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अभाव के कारण अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि आचमपेट में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना/उद्घाटन समय की मांग है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे नगरकुरनूल संसदीय क्षेत्र के आचमपेट में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए मंजूरी दें ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को अपने अभिभावकों पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

[हिन्दी]

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपका ध्यान संगम नगरी की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूं। प्रयागराज में गंगा के किनारे लकड़ी के तख्त जो सैकड़ों वर्षों से स्थापित थे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूजा कराई जाती रही है। इसी स्थान से सम्पूर्ण राष्ट्र एवं विदेशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को धार्मिक कार्यों में तीर्थ पुरोहितों के कर कमलों द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। दिनांक 14.11.2019 को दिन में एक बजे उनके सारे तख्ते जेसीबी और तमाम बड़ी मशीनों द्वारा सेना के लोगों ने पलट दिए, तहस-नहस, ध्वस्त कर दिए। इससे हमारे पुरोहितों में बहुत असंतोष है। अत: मैं आपसे मांग करती हूं कि उन्हें स्थायी रूप से गंगा के किनारे जगह आबंटित की जाए, जिससे

उनका सदियों से चला आ रहा यह पूजा-पाठ चलता रहे और हम सबका मान-सम्मान बना रहे। यह मेरे संसदीय क्षेत्र में है, जिसमें लोगों की आवाजाही है, इसलिए मैंने आपसे यह निवेदन किया है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती केसरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां जो विषय रख रहा हूं, वह एक नोटिस है, जो एक संभावना के प्रति मैं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, जिसमें रेलवे की भी जिम्मेवारी होगी और राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी होगी। महोदय, मैं इस सदन में इस बात को रखना चाह रहा हूं। मैं ऑन-रिकॉर्ड आना चाह रहा हूं। बिहार सरकार और रेलवे के बीच में एक निर्णय हुआ है, जिसका रेलवे ने विरोध किया है। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण किया गया। रेलवे ने दीघा से लेकर सोनपुर में एक पुल का निर्माण किया। बाद में राज्य सरकार ने उस पुल के ऊपर सड़क का निर्माण कर दिया, लेकिन रेलवे और बिहार सरकार के सड़क विभाग में जो समझौता हुआ, उसमें यह तय हुआ था कि 16, 18 या 20 चक्के के ट्रक इस पुल पर नहीं चलेंगे। महोदय, आज रात्रि से दीघा और सोनपुर के बीच रात दस बजे से ये 10, 12, 16 और 18 चक्के के 30-40 टन के ट्रक इस पुल पर से निकलेंगे, जो उत्तर बिहार और पूरे पूर्वोत्तर भारत को रेलवे से जोड़ता है। मुझे आशंका है और मैंने लिखा है। रेलवे ने भी बिहार सरकार को लिखकर भेजा है कि अगर इस पुल पर बड़े ट्रक चलेंगे, जिनमें बालू लदा रहेगा और यदि इस पुल पर चलने से रेलवे की लाइन और पुल क्षतिग्रस्त होता है तो किसी भी ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है। अत: इस परिचालन पर रोक लगाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों और पूरे देश के लोगों को यह सूचना देना चाहूंगा कि एक संभावित घटना, जो होने वाली है और जिस पर रेलवे ने लिखकर भी दिया है कि इसके परिचालन पर रोक लगाई जाए और राज्य सरकार ने उसकी अनुमति दी है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए वे सभी अधिकारी, जिनको मैं समय-समय पर लिखकर देता रहा हूं, जिम्मेदार होंगे। यह विषय

सदन में भी उठेगा, क्योंकि इस दुर्घटना की संभावना रेलवे ने लिखित रूप से प्रकट कर दी है, जिसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपकी तरफ से निर्देशन भी चाहता हूं, क्योंकि ऐसी टेक्निकल संभावना है कि वहां एक्सिडेंट हो सकता है। बड़े पुल पर असंचालित रूप से ट्रकों के चलने के कारण अगर वह ध्वस्त हो सकता है तो एक सांसद के रूप में मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं सदन में इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करूं और आपका निर्देशन भी प्राप्त करूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र से लगे हुए बोलंगिर, बरगढ़ और कालाहाण्डी लोक सभा क्षेत्र में सिर्फ सौ किलोमीटर के रेडियस में तीन तीर्थस्थान हैं- हरिशंकर, नरसिंहनाथ और जोगेश्वर मंदिर पतोरा। हजारों तीर्थयात्री प्रतिदिन वहां पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम ओडिशा के लोग तीनों जगहों को गंगा मानते हैं। अत: इसे टूरिज्म सेंटर के रूप में मान्यता दी जाए और इसके साथ-साथ नौपाड़ा रेलवे स्टेशन से लोग उतरकर तीनों पवित्र दर्शनीय स्थानों का दर्शन करने जाते हैं। अत: नौपाड़ा रेलवे स्टेशन को मॉर्डर्न रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। नौपाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आता है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय रेलवे मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें उधर से गुजरती हैं, नौपाड़ा में निश्चित रूप से हर गाड़ी का स्टॉपेज दिया जाए, धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देशहित तथा जनहित में मैलामाइन की मिलावट दूध, दुग्ध उत्पादों, अन्य खाद्य पदार्थों तथा पशु आहारों के संदर्भ में दिलाना चाहता हूं। मैलामाइन को सन् 1830 में जर्मन वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने व टाइलें बनाने में किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैलामाइन एक धीमा जहर है। इसकी मिलावट दूध, दुग्ध उत्पादों तथा अन्य खाद्य पदार्थों, जिसमें पशु आहार है, में किया जाता है। इसके मिलाने से प्रोटीन की मात्रा अधिक दिखती है। इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपयोग से गुर्दे की पथरी तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। सन् 2008 में चीन में मैलामाइन युक्त दूध के उपयोग से हजारों बच्चे बीमार हो गए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं द्वारा भी खाद्य पदार्थों में मैलामाइन की मिलावट को पूर्णत: प्रतिबंधित रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस कारण अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह भारत की संस्था एफ.एस.एस.ए.आई. ने भी चीन से आयात किए जाने वाले दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है, परन्तु साथ ही एफ.एस.एस.ए.आई. ने एक मात्रा निर्धारित कर दी है, जिसे दूध, दुग्ध उत्पादों तथा अन्य उत्पादों में मिलाया जा सकता है। यह एक अजीब बात है। अभी तक भारत में मैलामाइन के मिलावट की कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आई है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्यगण एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकें, वही माननीय सदस्य इस समय सदन में बोलें। छ: बजकर तीस मिनट पर आज सदन स्थगित होगा।

श्री रामस्वरूप शर्मा : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विरोधाभास को देखते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की मैलामाइन की मिलावट को रोकने हेतु एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित मात्रा को पूर्णत: समाप्त किया जाए, ताकि देश के बच्चों तथा पशुधन को होने वाली हानि से बचाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद (अरानी): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष, महोदय। मैं अरानी संसदीय- निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें केवल पोलुर विधानसभा क्षेत्र में एक रेलवे लाइन है। चेन्नई से काटपाडी के लिए एक ट्रेन चल रही थी और अचानक विभिन्न कारणों से इसे रोक दिया गया। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि चेन्नई से काटपाडी आने वाली ट्रेन संख्या 66018 को तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम तक बढ़ा दिया जाए और अंत में चेन्नई वापस आ जाए। इसके अलावा, हम तिरुवन्नामलाई मंदिर के बहुत करीब हैं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और *पूर्णमी गिरिवलम* एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें लगभग पांच लाख लोग उस विशेष स्थान पर आते हैं। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि निम्नलिखित ट्रेनों को पोलूर में रोका जाए, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक ही स्टेशन है, जिसका नाम पोलूर है। निम्नलिखित ट्रेनों का पोलूर में ठहराव होना चाहिए, अर्थात् रामेश्वरम-तिरुपति एक्सप्रेस, त्रिची-हैदराबाद एक्सप्रेस और रामेश्वरम-हैदराबाद एक्सप्रेस। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष जी, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के लिए 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। इन 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने के बाद ग्रेजुएट टीचर्स को मात्र आठ हजार रुपये दिए जाते थे और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 12 हजार रुपये सुनिश्चित किए गए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यह पैसा कम तो है ही, क्यों कि इसमें जीवनयापन नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले चार साल से इन लोगों का पैसा, इन लोगों की सैलरी नहीं दी गयी है, मानदेय नहीं दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि 11 करोड़ रुपया राज्य सरकार के पास फंसा हुआ है और 551 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के पास फंसा हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस सदन के माध्यम से संबंधित मंत्री को निदेर्शित करें कि इन मदरसा टीचर्स का, जिसमें सभी धर्म के टीचर हैं, उनका पैसा जल्द से जल्द उनको दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर और श्री गिरीश चन्द्र को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत ऋषभदेव भगवान, जिनको हम केसरिया जी भगवान कहते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगम्बर लोग ऋषभदेव भगवान को प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। साथ ही, आदिवासी समुदाय के लोगों की भी उनमें आस्था है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी जनजाति बंधु केसरिया जी भगवान को अपना भगवान मानते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि केसरिया जी भगवान को भारत सरकार की जो दर्शन योजना है, उसके अंतर्गत उसको लिया जाए ताकि वहां आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटैड से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने 18 तारीख को इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार इसी वित्त वर्ष में 28 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है जिसमें एयर इंडिया सहित बीपीसीएल के निजीकरण के लिए सरकार की एक योजना है। मेरी जानकारी के अनुसार सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को पहले ही बीपीसीएल के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बीपीसीएल की चैंबूर रिफाइनरी, मुंबई के प्रबंधन और कर्मचारियों ने मुझसे संपर्क किया और सरकार के अनुचित प्रस्ताव के बारे में अपनी पीड़ा बताई। यह भी रिर्पोट में है कि कानूनी सलाहकार की नियुक्ति के लिए निजीकरण और विज्ञापन की प्रक्रिया पहले ही समाचार पत्रों में जारी की जा चुकी है। बीपीसीएल को पिछले कई वर्षों के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। यह पिछले 16 वर्षों से ग्लोबल फॉर्च्यून 500

कंपनियों में से एक है। तब हम, बीपीसीएल के निजीकरण के प्रस्ताव के कारणों को समझने में असमर्थ हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र देश के विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है और बीपीसीएल ने अपने राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1976 से अपना योगदान साबित किया है। मेरे विचार में, बीपीसीएल का निजीकरण हमारे राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। जिसके परिणामस्वरूप तेल क्षेत्र में निजी एकाधिकार हो सकता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए हमारे राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों का भविष्य दांव पर है।

निजीकरण से प्रभावित होने वाले हितधारकों की लंबी सूची है, जैसे कंपनी के कामगार और अधिकारी, दिहाड़ी मज़दूर, ठेकेदार, सीएसआर गतिविधियां, मछुआरों को डीजल सब्सिडी, ठेकेदारों के श्रम, विक्रेता, सुरक्षा, आदि। यह न केवल चेंबूर रिफाइनरी में है, बल्कि पूरे देश में बड़ी संख्या में हैं। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे कठोर प्रस्तावों को रोकना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के हित में बीपीसीएल सहित किसी भी पीएसयू के निजीकरण के विचार पर एक बार फिर सोचना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री सप्तगिरी उलाका एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो कई माननीय सदस्य शून्य काल में बाकी हैं, सात बजे तक का समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अगर किसी क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है तो वह कृषि और किसान से जुड़े हालात हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के उन प्रयासों का स्वागत करता हूँ, जिनके अन्तर्गत फसल बीमा योजना, त्वरित

सिंचाई योजना, हर खेत में बिजली द्वारा सिंचाई, हर किसान को वर्ष में 6 हजार रुपये अनुदान राशि वगैरह की सहायता कार्यान्वित की जा रही है। आज ऐसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़-सुखाड़, ओला एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो गई फसल की भरपाई करते हुए उनके सम्मानजनक जीवन-यापन का बंदोबस्त कर सकें। खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में कम कीमतों पर उपलब्ध हो। हाईब्रिड फसलों के नाम पर किसानों के सामने मंहगे बीज का संकट उनकी पारंपरिक किसानी की राह पर बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है।

अत: इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि किसानों को दयनीय स्थिति से उबारने के लिए कृषि के आधारभूत ढांचे, कृषि उत्पादन और उसके विपणन के परंपरागत तरीकों को बदलने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को न्यूनतम लागत पर उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए निश्चित रूप से हमें कृषि उत्पादन की ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। खेती करने वाले मजदूरों के अभाव में कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक उपकरणों के अत्यधिक मंहगे होने के कारण मध्यमवर्गीय किसान उन्हें खरीद ही नहीं सकते। इसलिए सरकार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. के. जयकुमार (तिरुवल्लुर): महोदय, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा संसदीय- निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश और चेन्नई शहर के बीच स्थित है। यह संसदीय क्षेत्र हमेशा पानी की कमी की समस्या का सामना करता है, खासकर गर्मियों के दौरान, हमारी बहनों और माताओं को बर्तन लेकर पानी के लिए इधर-उधर भागते देखना बहुत निराशाजनक होता है। इस क्षेत्र में तीन नदियां बहती हैं। वर्षा ऋतु के दौरान यदि पानी को रोककर उसे भूमि में संचित किया जाए तो जल संकट समाप्त हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे ध्यान में रखा जाए और तीनों नदियों में चेकडैम प्रदान किए जाएं जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा।

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी): *वणक्कम,* माननीय अध्यक्ष महोदय। *थेन* पेन्नायार नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु के पांच जिलों - कृष्णागिरि, धर्मपुरी, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और तिरुवन्नमलाई - से होकर बहती है और फिर पुडुचेरी में प्रवेश करती है। वर्ष 1892 में स्थापित और वर्ष 1933 में संशोधित अंतर-राज्यीय नदी समझौते के अनुसार कर्नाटक में बड़ी या छोटी नदी परियोजना का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में पांच परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। ये दो पम्पहाउस स्टेशन हैं, एक डायवर्जन तकनीक प्लांट, एक लिफ्ट सिंचाई योजना है और एक जलाशय बनाया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और एक अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने और कर्नाटक सरकार से इन परियोजनाओं को रोकने के लिए कहने का अनुरोध करते हैं, जिसे राज्य सरकार करने में विफल रही है। हमारे नेता, *थिरु* स्टालिन *अवर्गल* ने इन पांच जिलों में कल एक आंदोलन करने की घोषणा की है। इसलिए, हम आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं।

श्री असित कुमार माल (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलपुर के विश्वभारती विश्वविद्यालय में केन्द्रीय बल की तैनाती के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम संतुष्ट नहीं हैं; हम इससे अत्यधिक असंतुष्ट हैं क्योंकि यह *कबीगुरु* रवींद्रनाथ टैगोर का एक विश्व प्रसिद्ध, पवित्र, शैक्षणिक संस्थान है। यह वास्तव में इस विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा की गंभीर क्षति को दर्शाता है। 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप अन्यायपूर्ण, अप्रिय और अनुचित है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केंद्रीय बलों को तुरंत वापस ले।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। हमारे बुंदेलखंड छुट्टा गोवंश की समस्या है, जो अन्ना प्रथा के नाम से जानी जाती है। मैंने इसी सदन में भारत सरकार से मांग की थी कि बुंदेलखंड में जो भी गाय पालने वाले लोग हैं उनको एक हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट

करना चाहता हूं। उन्होंने 900 रुपये प्रतिमाह प्रति गाय पालक को देने का निर्णय लिया है। मैं आपसे एक बात कहकर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बुंदेलखंड में गायों पर बड़ी व्यवस्था सरकार कर रही है। मेरी मांग है कि बुंदेलखंड को 100 परसेंट आर्गेनिक एग्रो इकनॉमिक जोन बनाया जाए, जिसके आधार पर बुंदेलखंड में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स के बजाय गाय से प्राप्त होने वाली जो खाद है, उसके माध्यम से पूरे बुंदेलखंड में खेती हो। उसको सिक्किम के पैटर्न पर बुंदेलखंड में बड़े-बड़े क्रय केन्द्र, बड़ी-बड़ी आर्गेनिक कम्पनियाँ जितनी हैं, उनके खरीद केन्द्र हर जिले में बनाए जाएं ताकि हमारे बुंदेलखंड के किसान सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष जी, मैम्बर्स बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री एक और दो बैठे हैं। माननीय सदस्य, अभी कैबिनेट की बैठक है इसलिए मंत्री जी मुझसे इजाजत लेकर गए हैं। उन्होंने आग्रह किया था कि हमारी कैबिनेट की बैठक है। मैंने कहा कि राज्य मंत्री जी को बैठा दें। बाकी आपकी बात सुनने के लिए मैं बैठा हूं।

प्रो. सौगत राय: आपने क्लेरिफाई कर दिया है, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : मैं सब की बात सुनने वाला हूं। मंत्री जी कैबिनेट बैठक में मुझसे पूछ कर गए हैं।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बालाघाट लोक सभा से आता हूं, जो कि महाराष्ट्र की सीमा नागपुर से लगा हुआ क्षेत्र है। मेरे यहां के लोगों को अधिकांश इलाज कराने के लिए, व्यवसाय के लिए नागपुर जाना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रेन बालाघाट से नागपुर चलती थी, उस ट्रेन को पिछले चार माह से बंद कर दिया गया है। वह इतवारी बालाघाट के नाम से चलती थी। इसके कारण उन यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, आने-जाने की दिक्कत हो गई है। इससे मरीजों, पढ़ने वाले छात्रों और व्यापारियों को कष्ट हो रहा है। इसलिए

आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि सुबह बालाघाट से नागपुर के लिए और शाम के समय नागपुर से बालाघाट के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए ताकि हमारे यहां के मरीजों, छात्रों और व्यापारियों को उसका लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र रीवा, मध्य प्रदेश की तीन खरीफ की मुख्य्य फसले हैं- धान, उड़द और मूंग। उड़द और मूंग पूरी तरह से भारी वर्षा के कारण तबाह हो गई और धान कंडो रोग लगने की वजह से खत्म हो गई। लेकिन आज तक इतने बड़े प्रदर्शन और तमाम मांगों के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन फसलों के नुकसान का कोई सर्वे नहीं कराया है। इसके साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि भारत सरकार दे रही है, उसमें भी रोड़े अटकाये जा रहे हैं। वह भी नहीं मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह उड़द, मूंग और धान की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करा कर किसानों को उचित मुआवजा दें और किसान सम्मान निधि की राशि तत्काल प्रदान कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। जयहिंद**।**

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी सिरसा में डबवाली शहर है। उस शहर में जो रेलवे लाइन जाती है, वह शहर को दो भागों में डिवाइड करती है। वहां पर जो मालगाड़ी जाती है, जब स्पेशल ट्रेन जाती है तो दस-दस, ग्यारह-ग्यारह घंटे के लिए फाटक बंद हो जाता है। पूरा शहर स्टैंड-स्टिल की स्थिति में आ जाता है। एक महीने में ऐसी स्पेशल ट्रेन जो है, वह कम से कम चार-पांच बार जाती है। अगर सीजन का समय है, तो आप देखिये कि एक दिन में एक ट्रेन भी जाती है तो महीना भर लगातार दस-दस, बारह-बारह घंटे शहर स्टैंड-स्टिल हो जाएगा। वहां के लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट है कि वहां अल्टरनेट सिस्टम कर दें। हमारी सरकार उनको लैंड देने को तैयार है, वहां के लोग सब कुछ देने को तैयार है, लैंड देने को तैयार है। अगर कोई अल्टरनेट माध्यम वहां पर बन जाए तो उन लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी। वहां पर लोडिंग-अनलोडिंग होने के बाद लोग वहां से आवागमन ठीक से रख सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ सुबह प्रश्न काल में जो प्रश्न संख्या 46 थी, उसके अंदर बहुत अच्छा रिप्लाई दिया गया था। हमारे सांसद महोदय ने सवाल उठाया था। उसमें जो एक रेलवे लाइन हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा, फतेहाबाद जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट थी कि उसमें हरियाणा सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, जितना जल्दी हो सके उसे कर दें तो आपका बहुत-बहुत आभार होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीपक बैज। दीपक जी, आप अपनी सीट पर खड़े हो जाइए, अपने आप माइक चालू हो जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री दीपक बैज (बस्तर): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सल प्रभावित और अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। बस्तर जिले की खनिज सम्पदा से केन्द्र सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह बस्तर का दुर्भाग्य है कि बस्तर के लोगों की सुविधा के लिए अभी तक रायपुर से बस्तर तक रेल लाइन नहीं जुड़ पाई है। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह यात्रियों की सुविधा हेतु बस्तर से रायपुर तक सीधी रेल लाइन जोड़ने का कष्ट करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहन मण्डावी जी - उपस्थित नहीं।

डॉ. भारती प्रवीण पवार।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं किसानों को दिये जाने वाले कृषि ऋण के संदर्भ में बात करना चाहती हूं। कृषि ऋण में किसानों के साथ बैंक जो एग्रीमेंट करते हैं, वह अंग्रेजी भाषा में करते हैं। लगभग सभी किसान अंग्रेजी को नहीं जानते हैं। उस एग्रीमेंट पर बैंक अधिकारी किसानों से हस्ताक्षर करवा लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस पर नोटिस किया जाए। यह विषय गंभीर है। आप इस पर नोटिस करें।

डॉ. भारती प्रवीण पवार: महोदय, धन्यवाद। किसान भी मजबूरी में उस पर साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट की मुख्य बातें भी किसानों को कई बार नहीं बताई जाती हैं, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा बनाई गई उपरोक्त कृषि ऋण योजना के नियमों की जानकारी न मिलने से किसान इन नियमों को समझ नहीं पाते हैं। यह एग्रीमेंट पेपर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कृषि ऋण का एग्रीमेंट पेपर हिन्दी या स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे किसान कृषि ऋण योजना को अच्छी तरह से जान सके और अपने हक को प्राप्त कर सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल जी।

भारती जी, आपका विषय आ गया है। नोटिस ले लिया है**।**

डॉ. भारती प्रवीण पवार : महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवले और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के प्रधान मंत्री ने देश के क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इनबैलेंसेज को दूर करने के लिए नीति आयोग के द्वारा देश के ऐसे 115 जनपदों को, जो हेल्थ, एजुकेशन, अन्य पैरामीटर्स या इंडीकेटर्स पर पीछे थे, उन

पिछड़े जनपदों को एक आकांक्षा जनपद के रूप में लिया है। ये 115 जनपद देश के सभी राज्यों, 28 राज्यों में से चिन्हित किए गए थे। आज उन जनपदों में भारत सरकार के द्वारा भी एक-एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का नोडल अधिकारी है। यह प्रयास है कि वे आकांक्षा जनपद देश की मुख्यधारा या अन्य जनपदों की तुलना में आयें। हमारे यहाँ, [अनुवाद] आज भी सिद्धार्थनगर में संस्थागत प्रसव का कुल अनुमानित प्रसव में प्रतिशत मात्र 39.8 है; कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 62.7 है; आरटीई द्वारा निर्दिष्ट शिक्षकों से युक्त प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत 55 है; युवाओं को प्रमाणित अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण का प्रतिशत मात्र 0.2 है; ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन का प्रतिशत 40.87 है; कक्षा सात में गणित विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का प्रतिशत 17.12 है; भाषा विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का प्रतिशत 11.16 है; तथा गर्भवती महिलाओं को चार या अधिक प्रसव पूर्व देखभाल जांच प्राप्त करने का प्रतिशत मात्र 15 है। [हिन्दी] आज इन जनपदों को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ये ही स्कीम्स उन जनपदों में चल रही हैं। जब तक इन जनपदों को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाएगा, जैसे आज मेरा सिद्धार्थ नगर, जो उत्तर प्रदेश का है, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये आकांक्षा जनपद हैं। यहां कोई उद्योग नहीं है, यहां शून्य उद्योग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह केन (गन्ना) एरिया है, वहां कोई न कोई उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे हम उसे देश की मुख्यधारा में ला सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती माला राय (कोलकाता दक्षिण): धन्यवाद, महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भारत भर में कॉल ड्रॉप की समस्या के संबंध में उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हालांकि अक्टूबर, 2017 में ट्राई ने कॉल ड्रॉप बेंचमार्क को पूरा करने में विफल रहने वाले ऑपरेटरों के लिए

कड़े मानदंड और दंड की घोषणा की थी, फिर भी भारत में दूरसंचार उपभोक्ताओं को इस बड़े पैमाने पर देशव्यापी खतरे के कारण अभी भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इससे सरकार को प्रिय चुनिंदा दूरसंचार ऑपरेटरों को अतिरिक्त राजस्व देने की कीमत पर आम लोगों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। यह सुविचारित संकट प्रतीत होता है जिसका उद्देश्य कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाना है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। केंद्र सरकार को इस मामले की गहन जाँच करनी चाहिए और यथाशीघ्र एक ठोस समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत बड़ी दिक्कत में है। लगभग एक लाख खाताधारक हैं, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में कल्याण, बदलापुर, डंडोली, उल्हासनगर, अम्बरनाथ, भिवंडी से हैं, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की पूंजी बैंक में रखी है। उनके बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी फीस भरने का पैसा उनके पास नहीं है। रिजर्व बैंक ने कुछ बंधन लगा कर रखा है कि एक महीने में केवल चालीस हजार रुपये निकाल सकते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। उनकी पूरी दीवाली अंधेरे में गई। 6,000 मिलिट्री से रिटायर लोग हैं, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी इस बैंक में रखी हुई है। कुछ लोगों के पास अस्पताल के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उनके रिटायरमेंट के पैसे से घर चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे सेविंग अकाउंट में रखा है। उसके ब्याज से उनका घर चलता था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आज तक लगभग दस लोगों की मौत हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन लोगों को सहूलियतें दें। जिनके पैसे वहां फँसे हुए हैं, उनके पैसे उन्हें जल्द से जल्द मिले, वित्त मंत्रालय ऐसा निर्देश रिजर्व बैंक को दें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप नई व्यवस्था के बारे में तो बताइए कि नई व्यवस्था क्या है। क्या आपको एक कागज मिला है?

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, वह मिल गया।

माननीय अध्यक्ष: फिर यह बताइए कि नई व्यवस्था क्या है?

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं सभी माननीय सदस्यों की ओर से माननीय अध्यक्ष के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अभी एक नई व्यवस्था शुरू की है कि जो भी अगला वक्ता होगा, उन्हें पहले से एक कागज मिल जाएगा। मुझे एक चिट मिली है। मैं सब लोगों की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

प्रो. सौगत राय: क्या आप इसलिए बधाई देने के लिए खड़े हैं?

माननीय अध्यक्ष: आपको अभी नहीं मिला है।

डॉ. सत्यपाल सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह रोजाना हजारों लोगों की सुरक्षा का विषय है।

दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक जो रेलवे लाइन है, उसमें हजारों लोग चलते हैं। डिस्कवरी चैनल के अनुसार यह दुनिया का छठा सबसे ज्यादा भीड़ वाला मार्ग है। उसके टॉयलेट्स में, उसकी छत पर बैठ कर लोग चलते हैं। जहां उसमें 90 लोगों की कपैसिटी है, वहां उसमें 350 से 400 लोग चलते हैं। मैंने आज भी रेल राज्य मंत्री को एक वीडियो दिखाया है और दो महीने पहले इसे रेलवे अधिकारियों को दिखाया है कि एक

बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी सदन के अन्दर वर्ष 2016 के बजट में 1600 करोड़ रुपये भारतीय संसद ने इसके लिए स्वीकृत किए थे और जनवरी, 2017 में माननीय रेल राज्य मंत्री के हाथों उसका भूमिपूजन हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। कल कोई बहुत बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से और रेल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए वक्त दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में इस बार बेमौसमी बारिश होने के कारण हमारे यहां के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जैसे अरंडी, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा कठोल सहित सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट ने उसके लिए सर्वे का आदेश भी दे दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। बीमा कंपनियों की जो 72 घंटे की तय समय सीमा है, उसमें संशोधन करने करने की आवश्यकता है। इन कंपनियों का जो टोल फ्री नंबर है या ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर है, उस पर कोई फोन ही नहीं उठाता है, इसलिए किसान अपनी राय नहीं रख सकता है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 72 घंटे की जो तय समय सीमा है, उसमें भी सुधार किया जाए। जब वहां कोई सर्वे करने के लिए जाए, तो उस वक्त भी किसानों की राय लेनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहां अरंडी का पार्क है, उसमें बेमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और उसमें कीड़े लग गए हैं। इसको इंगलिश में सेमी लूपर कहा जाता है। उसकी वजह से किसानों का सारे के सारे पार्क्स नष्ट हो गए हैं।

महोदय, वहां किसानों को सहायता देने के लिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र बैतूल, हरदा, हरसूद, मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण मेरी आठों विधान सभाओं में भारी आर्थिक क्षति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र बैतूल, हरदा, हरसूद क्षेत्र के मेहनतकश किसान भाइयों की व्यथा को समझें तथा निराकरण हेतु त्वरित पहल करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से किसानों का सर्वे कराया है। आज तिथि पर्यन्त प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। महोदय, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान भी मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों को नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में त्वरित पहल कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री मारगनी भरत जी - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): मैं तेलंगाना राज्य के सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र की भूमि की सुरक्षा की आवश्यकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस संबंध में, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले 30 से 40 वर्षों से सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ अधिकृत और अनधिकृत कब्जाधारियों ने रक्षा भूमि पर कब्जा कर लिया है और अनधिकृत रूप से बिना किसी वैध अनुमति और सभी नागरिक सुविधाओं के साथ शानदार विवाह समारोह हॉल, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्तरां और

बड़े गोदामों जैसे व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया है। सरकार को राजस्व के रूप में एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। तेलंगाना सरकार पहले ही केंद्र सरकार से अनुरोध कर चुकी है कि इन छावनी क्षेत्र की भूमि को आम जनता के उपयोग के लिए स्काईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आबंटित किया जाए। छावनी क्षेत्र की भूमि के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए एक जांच भी शुरू की जाए।

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (नरसाराओपेट): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह विषय हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी गारू के हृदय के अत्यंत निकट है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तीन चरणों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। पहले चरण में, 58 चिकित्सा महाविद्यालय पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं; दूसरे चरण में, 24 चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने की योजना है; और तीसरे चरण में, अभी वे 75 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चिकित्सा महाविद्यालय संसदीय क्षेत्र को इकाई न मानकर जिले को इकाई मानकर स्थापित कर रहे हैं। मेरे गुंटूर जिले का उदाहरण लें। गुंटूर जिले में दो निजी चिकित्सा महाविद्यालय, एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और एम्स महाविद्यालय भी हैं। लेकिन जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे संसदीय क्षेत्र को एक इकाई के रूप में लें और चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाएं। मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा क्योंकि यह संसद में सभी से संबंधित है। हाल ही में, 39 संसद सीटों वाले तमिलनाडु को केवल 28 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय मिले हैं। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश का विभाजन अभी पांच वर्ष पहले ही हुआ है। हम अभी भी राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र

निवेदन करता हूं कि हाल ही में आवेदन किए गए सात मेडिकल कॉलेजों को उदारतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करें।

[हिन्दी]

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, बिहार में थावे जंक्शन से वाया छपरा, पाटलीपुत्र जंक्शन, पटना तक अप एंड डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस चालू करवाने का आग्रह कर रहा हूं। पहले जब छोटी लाइन थी, तब वहां ट्रेनों की संख्या 6 जोड़ी थी। आज बड़ी लाइन बन जाने के दो साल बाद ट्रेनों की संख्या एक जोड़ी कर दी गई है। इस लाइन पर विद्युतीकरण का काम भी हो चुका है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि थावे जंक्शन से पाटलीपुत्र जंक्शन, पटना तक इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित 6 जोड़ी ट्रेनों की सेवा पुन: चालू कराई जाए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में करजत से पनवल तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में मैं तीन साल से प्रयत्न करता आ रहा हूं। बीते 3 साल में बजट में भी वहां के लिए प्रावधान किया था। यह पूरा क्षेत्र मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। मुंबई के करीब होने के कारण लाखों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। मुंबई तक यात्रा करने वाले ज्यादातर कामगार, कर्मचारी और व्यापारी होते हैं। इस मार्ग पर जमीन अधिग्रहण का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस कारण इस मार्ग पर रेल लाइन चालू नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि करजत से पनवल तक जल्दी से जल्दी रेल सेवा चालू की जाए, ताकि यात्रियों को सुविधा हो, साथ ही साथ इससे रेलवे विभाग को ज्यादा आमदनी होगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल रमेश शेवले और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आपने मुझे फिर एक बार बोलने का अवसर दिया। मैं एक बहुत ही महत्वूर्ण विषय के बारे में कहना चाहती हूं। इसे बहुत महत्व देने की जरूरत है। आजकल खाने में सब्जियों और फलों में रसायन मिलाकर बेचते हैं। यह सिर्फ मेरे एरिया का विषय नहीं है, यह पूरे भारत में हो रहा है। मैंने देखा है कि खेती से लेकर कृत्रिम रूप से पकाने तक फल और सब्जियों में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। दूध में भी रसायन का प्रयोग किया जा रहा है। घना दिखाने के लिए दूध में यूरिया डालते हैं। जो मछली पालन होता है, उसमें भी आजकल यूरिया डालते हैं, ताकि बहुत जल्दी उनकी फसल हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यह सब करने से असम में, सारे पूर्व अंचल में, … **(व्यवधान)** पूरे देश में इससे कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे मुनाफे के लिए इसे कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि विशेष आईन का प्रयोग करके लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी सारे देश में एनआरसी को लागू करने की चर्चा हो रही है। असम में यह काम शुरू हुआ है। डॉ. मनमोहन सिंह जी के केंद्रीय शासन और असम में तरुण जी के शासन ने इसे शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में मोदी सरकार ने इस काम को आगे लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट के स्टेट कॉर्डिनेटर … [1*]* ने बताया कि फाइनल लिस्ट पब्लिश हुआ था, उसके बाद उनका जीवन सुरक्षित नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर

[1*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया। अभी राज्य शासन ने नया स्टेट कॉर्डिनेटर नियुक्त किया। इस ऑफिसर ने सोशल मीडिया में काफी अपडेट दिया है जो काफी ऑब्जेक्शनेबल है। यह कुछ आर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, कुछ कम्युनिटी के खिलाफ है और कुछ पॉलीटिकल पार्टी के खिलाफ है। मैंने असम के मुख्य मंत्री जी को खत भी लिखा है। एनआरसी सिर्फ राज्य का विषय नहीं है इसलिए आपके जरिए शासन को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेट कॉर्डिनेटर को तुरंत बदलना चाहिए और दूसरे निष्पक्ष ऑफिसर को काम देना चाहिए। असम में एनआरसी हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि दोबारा होगा, दोबारा होने से जो हमारा रिर्सोस और टाइम बर्बाद हुआ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही फीस वसूली की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र का मजबूत स्तम्भ होता है जिस पर उस देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाती है। परन्तु वर्तमान परिवेश में शिक्षा की जो स्थिति है उससे हम सभी परिचित हैं। शिक्षा आज स्कूल माफिया और व्यवसायीकरण की भेंट चढ़े हुए हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस वृद्धि करने से उसमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकगण काफी परेशान हैं। दिल्ली में 400 के लगभग वैसे प्राइवेट स्कूल है जो डीडीए द्वारा सस्ते दामों पर दिए गए जमीन पर चल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार के दिशा-निर्देश के बाद भी ये स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी कर उसकी वसूली कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उस पर नकेल कसने में असमर्थ दिख रही है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा उसमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, दर्जनों ऐसे स्कूल है जिनके कई सारे ब्रांच दिल्ली में स्थित है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अत: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमाने ढंग से की जा रही फीस की वसूली पर रोक-थाम करायी जाए।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने दो प्रावधान किए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यह वेलकम स्टेप है। जो भी बिल आता है, इसके इन्फार्मेशन के लिए

सेशन लगाते हैं, इस बार चीट फंड अमेंडमेंट्स बिल से शुरूआत की है, वह बहुत अच्छा है और हमें इन्फॉर्मेशन मिली। सामने जो लकड़ी की पट्टीयां लगी थीं, जहां हम अपनी अटेंडेस लगाते हैं, वहां ब्रास प्लेट लगा कर उसकी शान अच्छी बना दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आपने अपना समय समाप्त कर लिया, दो मिनट में अपनी बात बोलें।

श्री जसबीर सिंह गिल : अध्यक्ष महोदय, जो अच्छा हो रहा है उसे न बताएं तो क्या करेंगे। पंजाब को डिस्ट्रब करने के लिए आईएसआई की गतिविधियों की तरफ मैं सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले महीने आईएसआई ने एक ड्रोन ने सात बार चक्कर लगाया और उस ड्रोन की क्षमता तकरीबन पच्चीस किलो थी। कई किलो आरडीएक्स और एके-47 राइफल्स पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के तरणताल जिले में भेजी गई। हमारा युवा बहुत जज्बाती और जुझारू है। मैं नंगे पांव झोली फैला कर हर दरवाजे पर जाने के लिए तैयार हूं। हमारे यहां एक आर्मी रिक्रुटमेंट सेटर खुलवा दीजिए। धन्यवाद।

श्री अकबर लोन (बारामूला): स्पीकर साहब, आपको भी मालूम होगा और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है। मरकज और रियासत को भी मालूम है। जम्मू-कश्मीर में हालिया बे-वक्त की बर्फबारी हुई है, उससे वहां काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के लपेट में सबसे ज्यादा एक आम किसान आया है। इसके मेवादार दरख्त बिल्कुल तहस-नहस हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। उनको कोई मदावा करने के लिए मेरी जनाएबे प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से गुजारिश है कि वह कोई स्पेशल फंड इस जिम्न के लिए मंजूर करे जिसे कश्मीर सरकार के अधीन रखा जाएगा।

جناب محمد اکبر لون (بارا مولہ): جناب اسپیکر صاحب، آپ کو بھی معلوم ہوگا اور پوری انتظامیہ کو بھی معلوم ہے۔ مرکز اور ریاست کو بھی معلوم ہے۔ جموں و کشمیر میں ابھی حال میں جو بے وقت برفباری ہوئی ہے اس سے وہاں کافی نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کے لپیٹے میں سب سے زیادہ ایک عام کسان آیا ہے۔ اس کے میوادار درخت

بالکل تہس نہس ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ان کو کوئی مداوا کرنے کے لئے میری جناب وزیرِ اعظم صاحب سے آپ کے ذریعہ سے گزارش ہے کہ وہ کوئی اسپیشل فنڈ جائےگا۔۔ رکھا **कश्मीर सरकार के अधीन** کریں منظور لئے زمرکے اس

<u>सायं 07.00 बजे</u>

प्रो. सौगत राय : माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि प्रोफेसर अभिजीत विनायक बनर्जी को इस साल इकोनोमिक्स में दो और लोगों के साथ नोबल प्राइज़ मिला है। वे कोलकाता में प्रेजीडेंसी कॉलेज, जिसमें मैं भी पढ़ा था और दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में पढ़े थे। उन्होंने रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पर रिसर्च की है। यह गरीबों की हालत देखने का सबसे अच्छा सिस्टम है। वे दिल्ली आए थे, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की सुसंतान को पार्लियामेंट से रिसेप्शन दिया जाए। इससे पहले युसूफ साहब को भी सैंट्रल हॉल में रिसेप्शन दिया गया था। मैं प्रपोज करता हूं कि डॉ. अभिजीत बनर्जी को रिसेप्शन दीजिए, उन्होंने गरीबी के खिलाफ काम किया है।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्री असीत कुमार माल और श्रीमती माला राय को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सात बजकर पन्द्रह मिनट तक सदन की कार्यवाही बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सात बजकर पन्द्रह मिनट तक बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती मंजूलता मंडल (भद्रक): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। महोदय, मेरे संसदीय-निर्वाचन क्षेत्र भद्रक में, चंडीखोल-भद्रक और भद्रक-बालासोर से एनएच-5 (नया एनएच-16) का छः लेन का विस्तार चल रहा है। निम्नलिखित स्थानों पर यातायात और सार्वजनिक मार्ग के लिए फ्लाईओवर ब्रिज, अंडरपास और वाहन पास की अत्यधिक आवश्यकता है। चरम्पा, रानीताल, मार्कोना, सोरो, बहनागा, बारिकपुर चक और चताबर रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वार के पास चार-लेन सड़क पर मौजूदा अंडरपास पुलों के विस्तार की आवश्यकता है। ये पुल संकीर्ण और कम ऊंचाई वाले हैं। मौजूदा पुलों के विस्तार के लिए नियमित जन आंदोलन और धरना चल रहा है। फिलहाल जन आंदोलन के कारण विस्तारीकरण का काम रोक दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन मौजूदा अंडरपास पुलों का विस्तार जनता के व्यापक हित में उच्च स्तर तक किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से फिर से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को देखें और उपरोक्त मुद्दों को जल्द से जल्द हल करें।

डॉ. (प्रोफेसर) महेन्द्र मुंजपरा (सुरेन्द्रनगर): महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पाटडी तालुका में पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से कोई यात्री ट्रेन सेवा नहीं है। जंगली गधा अभयारण्य पाटडी तालुका में स्थित है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहां तीन बड़े तीर्थ स्थल शक्ति माताजी मंदिर, धाम और स्वामी नारायण मंदिर, वर्णीधाम और रमापीर मंदिर, पीपलीधाम हैं। साल भर कई लोग इन पवित्र स्थानों पर आते हैं और कई श्रमिक, विद्यार्थी और अन्य मजदूर नियमित रूप से आसपास के स्थानों से वहां आते-जाते रहते हैं। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया पाटडी तालुका के आगंतुकों के लाभ के लिए नई यात्री ट्रेनें शुरू करें या पाटडी स्टेशन तक वलसाड-वीरमगाम ट्रेन का विस्तार करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरीट पी. सोलंकी को डॉ. महन्द्रभाई मुंजपरा राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिलीगुडी कोलकाता के बाद बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और नेशनल सेक्युरिटी की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। पिछले सालों में इस शहर की तेजी से आबादी बढ़ी है। यह पूरे नार्थ बंगाल के लिए हब है। लेकिन, जिस तरह से इस शहर का विकास होना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ड्रेनेज का भी इश्यू है। एयरपोर्ट पर प्रतिदिन करीब छ: हजार लोग आते हैं, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट की हालत खस्ता है। एजुकेशन की हालत भी खस्ता है। नार्थ बंगाल में एक ही नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज नाम से एक अस्पताल है, उसकी भी हालत काफी खस्ता है। इन सबको देखते हुए अगर हम स्मार्ट सिटी के तहत इस शहर का विकास करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से और वहां जो बहुत सारी आबादी रहती है, उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सिलीगुडी को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल करें और इसको विकसित करें।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। काराकाट लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड नवीनगर में वर्ष 2007 एवं 2008 में भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन के लिए वहां के किसानों से 2200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। भूमि अधिग्रहण के समय कंपनी ने वहां के किसानों से इकरारनामा किया था कि जब बिजली का उत्पादन शुरू होगा तो यहां के जो विस्थापित किसान हैं उनको 80 परसेंट नौकरी दी जाएगी और जो भी सुविधाएं मानव कल्याण के हित में है, जो विस्थापित गांव हैं, उनमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वर्ष 2017-18 से वहां पर 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू है, लेकिन वहां के विस्थापित लोगों के साथ जो 80 परसेंट रोजगार देने के लिए इकरारनामा था, जिनकी भूमि चली गई है, वे खेती के लायक या किसी के लायक नहीं रह गए हैं, उनको रोजगार न देकर बाहरी लोगों को उसमें रोजगार दिया जा रहा है। प्लांट लगने के बाद, उसमें पानी काफी नीचे से लिया जा रहा है, जिसके कारण 20 गांवों में पानी की हाहाकार मची हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से

सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के जो विस्थापित परिवार हैं, किसान हैं, उनको वहां पर नौकरी दी जाए व अन्य सुविधाएं मुहैया की जाएं।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके सामने उत्तराखंड राज्य की डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के बीच में मिलानी क्षेत्रों पर स्थित मोहान नामक स्थान पर 41 साल पूर्व इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) का जो निर्माण किया गया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी विनिवेश की प्रक्रिया गतिमान है। यह जानकारी में आया है कि इस समय वहां 500 कर्मचारी काम करते हैं। इसका उद्देश्य था कि हिमालयी राज्यों की जड़ी-बूटियों का दोहन करके गोबर, मूत्र और वहां की जड़ी-बूटी से, वहां के गरीब, बरोजगार और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, यहां पर दवा बनाते थे। इस समय यह फैक्ट्री निर्माण के समय वर्ष 1978 से आज तक लगातार प्रोफिट में चल रही है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि वहां सरकार की विनिवेश की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से जनहित में रोका जाना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी और पलायन उत्तराखंड की मुख्य समस्या है। इसीलिए नए राज्य का निर्माण हुआ था। अगर विनिवेश होगा तो लगभग 5000 आदमी और जिसमें 500 कर्मचारी हैं, वे एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए यह अति लोक महत्व का विषय है, जिस पर आपका निर्देश आना बहुत आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री राजमोहन उन्नीथन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं सभा का ध्यान पॉक्सो मामलों में कम सजा दर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन ने 'भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में लंबित मुकदमों की स्थिति' पर एक अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर सिर्फ नौ फीसदी है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि वर्तमान दर पर लंबित मामलों के पीड़ितों को न्याय के लिए 2029 तक इंतजार करना होगा, भले ही बाल यौन शोषण का कोई नया मामला सामने न आए। बाल अधिकार संरक्षण पर दिल्ली आयोग की रिपोर्ट ने

दिल्ली में बाल बलात्कार पीड़ितों और उनके परिवारों की दयनीय स्थिति और सरकारी एजेंसियों से सहायता की कमी को उजागर किया है, चाहे वह मुआवजे, व्यक्तियों के समर्थन, स्वास्थ्य और शिक्षा या कानूनी सहायता के रूप में हो। यह दयनीय स्थिति मेरे राज्य, केरल सहित सभी राज्यों में व्याप्त है। अतः भारत में बच्चों को यौन अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्वरित और आवश्यक प्रशासनिक और विधायी कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय अध्यक्ष जी, देश को आज दो टुकड़ों में हम देख सकते हैं। 20 प्रतिशत शहरी और 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में किसान या किसान से जुड़ी हुई दूसरी जातियां रहती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कल किसानों पर 4-5 घंटे चर्चा हुई और कल एक विपक्षी पार्टी किसानों की बातें सुनने के बजाए अपने किसी एजीटेशन में लगी हुई थी। जहां तक सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी बीजेपी की सरकार है। श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं, वह कृपया इस तरफ ध्यान दें। इनके क्षेत्र में भी और दूसरी जगहों पर भी गन्ने की बहुत ज्यादा मात्रा में फसल होती है और जो प्रदूषण को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। उसका बड़ा पेड़ होता है। 3 साल से उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई है। किसानों के हजारों करोड़ रुपये बकाया हैं। उनकी रोजी-रोटी नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में एक बार 8 प्रतिशत महंगाई बढ़ी। एक बार 7 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के करीब महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी है तो कम से कम रेट को बराबर करने के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ने का रेट है, उसको बराबर करने के लिए 100 रुपये के आसपास बढ़ाया जाए। सरकार की जो नीति है कि किसान की डबल आय करेंगे। उस हिसाब से 400 का 800 बैठता है। इस हिसाब से प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि कम से कम 500 रुपये जरूर कर दिये जाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरीश चन्द्र को श्री मलूक नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर है। नबरंगपुर जिले में चेन्नाहांडी ब्लॉक-1 है जिसमें कुड़ी पंचायत में अभी तक कोई मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, जैसे जड़िया ब्लॉक में सैन बट्टेमरा है, पापड़ाहांडी ब्लॉक, गोड़देवपाली एवं तंदुरखूंटी ब्लॉक हैं, वहां भी कोई मोबाइल फैसिलिटी नहीं है। मलकानगिरी जिला भी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। मलकानगिरी की उड़ूका पंचायत है, चित्रगुंडा इलाका में कुछ एरियाज में मोबाइल फैसिलिटी है लेकिन इंटरनैट की कोई सुविधा नहीं है। वहां बैंक का काम नहीं हो पा रहा है। 108 मोबाइल फैसिलिटी भी लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो मैथिली इलाका है। इसीलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां जल्दी से जल्दी मोबाइल सुविधाएं प्रदान की जाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका को श्री रमेश चन्द्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय अध्यक्ष जी, कटिहार जिले के अन्तर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र में गंगा नदी बहती है और उस गंगा नदी में कोसी नदी, महानंदा , कारीकोसी, बरान्डी, गंडक नदी वगैरह सारी नदियां आकर मिलती हैं और बाढ़ के समय पानी का प्रवाह और जल प्रवाह इतना अधिक रहता है कि पानी के प्रवाह के कारण कटिहार जिले के अन्तर्गत मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर, अवधपुर, बोलिया, बाघमाड़ा, गांधी टोला, पीर पहाड़ मजार, गोला घाट सहित कई गांव जो गंगा नदी के तेज बहाव एवं कटाव से प्रभावित हैं, उसी तरह से अमदाबाद प्रखंड के मेहूटोला, झब्बूटोला, कीर्ति टोला, युशुफ टोला ऐसे बहुत से गांव इन दिनों गंगा नदी और महानंदा से बुरी तरह से प्रभावित हैं और कटावग्रस्त हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यहां कटाव से बचाव किया जाए और कटाव पीड़ित हजारों परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, चार घंटे हुए हैं, अभी मैं स्टैंडिंग कमेटी में लड़ कर आ रहा हूं, तो यह एक अच्छा मौका है। मैं क्षेत्र की जनता के लिए सदन में बोलूंगा। जब यह संविधान बना तो उस वक्त यह था कि आरक्षण किस तरह के लोगों को मिलेगा और अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों

को आरक्षण मिले, यह संविधान सभा का खुला मत था। उसी में दो डिसक्रिमिनेशंस हुए कि यदि अनुसूचित जाति अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए यह कहा गया कि चूंकि, उनका रहन-सहन, कल्चर, आचार-व्यवहार अलग है, इस कारण से अनुसूचित जाति को एक रिप्राइव दे दिया गया, एक रीज़न दे दिया गया।

झारखंड की यह स्थिति है कि 47 में 26-27 प्रतिशत आदिवासी हैं। उस वक्त 26 प्रतिशत में से मात्र तीन प्रतिशत लोग ईसाई थे, धर्मांतरण केवल तीन प्रतिशत हुआ था। वर्ष 1937 में धर्मांतरण करने का कानून बना था, जो यह कहता था कि यदि धर्मांतरण होगा, यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है, लेकिन डीएम को उसकी जानकारी होनी चाहिए और धर्मांतरण होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है कि उस 26 प्रतिशत आदिवासी में से 20 प्रतिशत लोग, लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरण से उनका पूरा कल्चर बदल गया है। धर्मांतरण करने वाले लोग उनको शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और विशेष आर्थिक तौर पर प्रभावित करके, धर्मांतरण करा रहे हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जब संविधान सभा में डिबेट हुई और उस वक्त हमारे फोरफादर्स ने कहा कि यदि इस तरह की स्थिति होगी तो अनुसूचित जनजाति को भी अनुसूचित जाति की तरह धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा। आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति की तरह अनुसूचित जनजाति को भी धर्मांतरण के बाद आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जिसके कारण हम धर्मांतरण पर रोक लगाएं।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक 21 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 7.17 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 नवम्बर, 2019 / 30 कार्तिक, 1941 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित